Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ८] तृतीय विधान सभा के अष्टम सत्र, १९६५ का तृतीय दिवस [संख्या ३

बुधवार, दिनांक २२ सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ४.१०. बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वन, यातायात, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, विद्युत्, वित्त, श्रम, आयुर्वेद, उद्योग, सहकारी एवं पंचायत-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ३०

श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री विजयपाल कटारा।

जिला डूंगरपुर में बस परमिटों के लिये दरख्वास्तें

३१. **श्री विजयपाल कटारा** (डूंगरपुर-सु०) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि डूंगरपुर जिले में बस परमिट मांगने वालों की दरख्वास्तें लम्बे अर्से से विचाराधीन पड़ी हैं ?

(२) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इन दरख्वास्तों पर कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन रूट्स पर और परमिट देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी नहीं। डूंगरपुर जिले से प्रस्तुत होने वाली दरख्वास्तों पर आर. टी. ए. द्वारा विचार होकर तारीख ३१-५ व १-६-६५ की मीटिंग में निम्नलिखित मार्गों पर परमिट्स दिये जा चुके हैं :—

(१) सागवाड़ा-मांडली
(२) डूंगरपुर-विजयमाला
(३) आसपुर से गिठाऊवा
(४) सलूम्बर-गलियाकोट
(५) गलियाकोट-मांडली
(६) आसपुर-डूंगरपुर
(७) बांसवाड़ा-मांडली।

इसके पश्चात् प्रस्तुत होने वाली दरख्वास्तें राजस्थान गजट तारीख २९-७-६५ व १२-८-६५ में प्रकाशित हो चुकी हैं तथा ओब्जेक्शन्स की मयाद समाप्त होने के बाद आगामी आर. टी. ए. की मीटिंग में परमिट्स देने के बारे में विचार किया जावेगा।

Page No 2

(श्री भीमसिंह)

(२) यह सही नहीं है। उपरोक्त पैरा नं० (१) में दी गई सूचना के अतिरिक्त डूंगरपुर जिले के सभी मार्गों पर पर्मिट बढाने के सम्बन्ध में नोटिसेज राजपत्र तारीख १-७-६५ में प्रकाशित किये गये हैं। जिस पर आर. टी. ए. ने अपनी बैठक दिनांक १ व २ सितम्बर, ६५ में विचार कर निम्नलिखित मार्गों पर स्कोप बढाने की घोषणा की :—

	वर्तमान स्कोप	बढाये जाने पर स्कोप
(१) डूंगरपुर-पीठ	३	५
(२) डूंगरपुर-बांसवाडा वाया सागवाडा	८	१२
(३) डूंगरपुर-गलियाकोट वाया ओवरी	३	४
(४) सागवाड़ा-पारसोला	१	२

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मार्गों का सर्वेक्षण कराये जाने के पश्चात् स्कोप बढाये जाने के आदेश दे दिये हैं।

श्री विजयपाल कटारा: किन किन की दरख्वास्तें हैं पर्मिट मांगने के लिये, उनके नाम बतायें।

श्री भीमसिंह: दरख्वास्त देने वालों के नाम प्रश्न में मांगे नहीं थे इसलिये अभी नहीं दिये जा सकते, दरख्वास्तें कई हो सकती हैं, नाम भी कई हो सकते हैं, पृथक से मांगें तो दे सकता हूं।

श्री रामकिशन (वैर): पहले प्रश्न में अपने आप शामिल हो जाता है।

श्री भीमसिंह: पहले प्रश्न में यह है, क्या यह सच है कि डूंगरपुर जिले में बस पर्मिट मांगने वालों की दरख्वास्तें लम्बे अर्से से विचाराधीन पड़ी हैं? इसमें यह नहीं दिया है कि किन किन की दरख्वास्तें हैं। इसलिये किन किन की हैं, यह इस समय पता नहीं है।

श्री रामकिशन: यह तो सारे आपके साथ होंगे। इसमें किन्हीं आदिवासी अनुसूचित जाति के लोगों को पर्मिट दिये हैं क्या?

श्री भीमसिंह: जातिवार दरख्वास्तें छांटी नहीं जाती हैं, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता।

श्री रामकिशन: क्या आर. टी. ए. आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों को पर्मिट देने में ऐतराज समझते हैं, इसमें जातिपांति का क्या ऐतराज है, उस नाम से तो आप वोट लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम सवाल है, इसका उत्तर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: क्या सरकार की कोई नीति है, जिसके अनुसार कि इस प्रकार पर्मिट देने में अनुसूचित जातियों को प्राथमिकता दी जाय?

श्री भीमसिंह: ऐसी नीति नहीं है, कोऑपरेटिव, सेमी कोआपरेटिव सोसाइटीज हों तो उनको प्राथमिकता दी जाती है। ये लोग बनायें तो इनको प्राथमिकता दी जा सकती है।

श्री रामकिशन: नीति क्यों नहीं है, हमारे संविधान में यह है कि पिछड़े वर्गों के लोगों को प्राथमिकता दी जायगी, विभाग ने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं निकाला है, या आदेश नहीं निकाला तो इसका

(श्री रामकिशन)
मतलब यह थोडे ही है कि उनको प्राथमिकता नहीं दी जा कर संविधान का उल्लंघन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : कृपया इस पर विचार करें कि भविष्य में इस प्रकार की नीति होनी चाहिये या नहीं।

प्रश्न संख्या ३२।

श्री मानकचन्द सुराणा। (अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)।

प्रश्न संख्या ३३

श्री रावतराम। अनुपस्थित—(कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया

परिवार नियोजन कार्य और राज्य कर्मचारियों को सुविधा

३४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में परिवार नियोजन कार्य कब से चालू किया गया है और उसमें हर साल कितनी प्रगति हुई है? सालवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) राज्य के जो सरकारी कर्मचारी परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत ओपरेशन आदि करवाते हैं उन्हें सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं?

(३) क्या अन्य राज्य सरकारों के मुकाबले राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को उपरोक्त सुविधाएं कम दी जाती हैं? यदि हां, तो क्यों?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) राज्य के कर्मचारियों को ऑपरेशन करवाने पर चार दिन का पुरुषों को और १० दिन का महिलाओं को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाता है।

(३) सुविधाओं में समानता होना संभव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने यह पूछा है कि अन्य राज्यों के मुकाबले में राजस्थान में सुविधाएं कम दी जाती हैं या ज्यादा? इसका उत्तर नहीं दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : समानता हो नहीं सकती, कुछ इन्सेन्टिव देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री जयनारायण सालोदिया: क्या फरक है, किस किस मामले में कितना फर्क है?

श्री दामोदरलाल व्यास: अलग अलग राज्यों में अलग अलग सुविधाएं हैं, आप किस राज्य का पूछना चाहते हैं?

श्री जयनारायण सालोदिया: राजस्थान से ज्यादा सुविधाएं किस राज्य में हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास: राजस्थान की सुविधाएं मैंने बता दीं, किस राज्य की जानना चाहते हैं?

श्री रामकिशन (वैर): ज्यादा आबादी के केरल और उत्तर प्रदेश हैं, उनमें क्या सुविधायें हैं?

Page No 4

श्री दामोदरलाल व्यास: केरल की सूचना मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री रामकिशन: उत्तर प्रदेश की ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): जितने राज्यों के मुकाबले राजस्थान में अधिक सुविधाएं हों, वह बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास: मेरे पास इस समय तीन-चार राज्यों की सूचना उपलब्ध हैं।

श्री रामकिशन: जिन जिन की उपलब्ध हैं उनके बारे में बता दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास: आसाम में कुछ नहीं, मद्रास में कुछ नहीं।

श्री रामकिशन: आसाम में वैसे ही सबसे कम आबादी है।

श्री दामोदरलाल व्यास: मेरे पास जो सूचना है वह मैं कह रहा हूं। आपने केरल का पूछा मेरे पास नहीं है।

श्री रामकिशन: उत्तर प्रदेश की ?

श्री दामोदरलाल व्यास: उत्तर प्रदेश की मेरे पास नहीं है।

श्री रामकिशन: तो फिर आप क्या सूचना लाये हैं ? आसाम में तो आबादी बढाने का सवाल है।

श्री दामोदरलाल व्यास: माननीय सदस्य बहुत इम्पेशेन्ट हो रहे हैं, मैं जिन राज्यों की सूचना देने जा रहा हूं उनकी पूरी सूचना आपने सुनी ही नहीं, दो राज्यों की मेरे पास और हैं मैसूर में " monetary incentive to the extent of Rs. 25.00 to males"

श्री जयनारायण सालोदिया: हिन्दी में बतायें।

श्री दामोदरलाल व्यास: २५ पुरुषों को, १५ महिलाओं को गवर्नमेन्ट एम्प्लॉईज में से गवर्नमेन्ट एम्प्लाईज को, लोकल बोडीज एम्पलॉईज को। अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी बोडी के कर्मचारी हैं तो उनको तीन रुपये ज्यादा बेनीफिट वगैरह वगैरह। मेरे पास अंग्रेजी में सूचना है, हिन्दी में अनुवाद करके बताऊंगा तो समय लगेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: हिन्दी में अनुवाद करके ही यहां लाना था।

श्री मानसिंह महार (आमेर): हम अगर अंग्रेजी में प्रश्न करते हैं तो एडिमट नहीं करते हैं, वह हमें वापस भेज दिया जाता है और इधर मंत्रीगण अंग्रेजी में जवाब दें, शर्म की बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास: आप हिन्दी में सुनिए क्योंकि मेरे पास राज्य सरकारों की सूचना अंग्रेजी में आई है, इसलिए मैंने अंग्रेजी में पढा। उडीसा में :

"Facilities are available in all hospitals, dispensaries primary health centres. Rs. 10/- per male and Rs.15/ per female are allowed for sterlisation. Six days special leave is allowed for undergoing sterlisation."

सब सरकारी औषधालय व प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स में सुविधाएं उपलब्ध हैं। आर्थिक सहायता १० रु० और १५ रु० मेल को और फीमेल को दी जाती है स्ट्रेलाइजेशन कराने के लिए जिसकी १५०) रु० से कम आय हो।

(श्री दामोदरलाल व्यास)
६ दिन की केज्यूअल लीव दी जाती है। उसके बाद पंजाब में

"Visectomy operations are done free. Six days leave is allowed to Government servants. A sum of Rs......to meet the medicines is allowed to those who undergo operation.

राजस्थान का मैंने अर्ज कर दिया। बाकी और सुविधाएं देने पर विचार हो रहा है।
"A sum of Rs. 5/- per head is to be paid to the persons working as canvassing agents."

५) और ६) रुपये रूरल एरियाज में उन लोगों को जो लोगों को समझा-बुझाकर स्टेरलाईजेशन के लिए लाएं। इस तरह के बहुत इन्सेन्टिव्ज हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने जो लिस्ट दी है उसमें बताया है कि कितनी डिस्पेन्सरीज चलती हैं लेकिन कितने आदमियों ने परिवार नियोजन कराया, यह नहीं बताया।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके पहले सवाल के जवाब में मैंने बताया कि सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है?

श्री जयनारायण सालोदिया : सदन की मेज पर जो सूची है उसमें अस्पतालों की सूची दी गई है। मेरा प्रश्न है कि प्रगति क्या हुई है?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसे साल की अर्ज करूं?

श्री जयनारायण सालोदिया : जो भी सुविधा हो। मैंने तो पूरी मांगी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आखिर किसी साल का तो बताइए।

श्री जयनारायण सालोदिया : जबसे परिवार नियोजन शुरू हुआ तब से।

श्री रामकिशन : आप १९६५ का बताइए।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह वर्ष तो चल रहा है। सूची नहीं मिल सकी है, १९६४ का बता सकता हूं।

श्री मानसिंह महार : टोटल बताइए।

श्री दामोदरलाल व्यास : किस बात का?

श्री मानसिंह महार : कितनों ने ऑपरेशन कराया?

श्री दामोदरलाल व्यास : आदमी ८१४९, लेडीज २०६६, कुल १०२१५....

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि जो ऑपरेशन्स होते हैं वे सफल नहीं होते हैं और उसके बाद भी बच्चे पैदा होते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे अनुभव में नहीं आया।

(श्री जयनारायण सालोदिया और श्री हरिप्रसाद शर्मा के एक साथ खडे होकर बोलने पर)

मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वह गलत तरीका है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मंत्री महोदय का तरीका ठीक नहीं है।

Page No 6

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसा अनुभव उन्हें नहीं हुआ। क्या उनका स्टरलाइजेशन हुआ है जिससे ऐसा अनुभव उन्हें नहीं हुआ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे ऐसे केसेज की जानकारी नहीं है। ऐसे स्ट्रे केसेज हो सकते हैं माननीय सदस्यों की जानकारी में।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपको जानकारी करानी चाहिए।

श्री मानसिंह महार : दुर्भाग्य यह है कि मंत्री बदल जाते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी बात सुन चुका हूं।

श्री मानसिंह महार : ऐसे डार्क में आप कैसे रहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जो सदन में अपना अनुभव कहा था वह मालूम है।

श्री मानसिंह महार : तो आप मंत्री होते ही तलाश की होती कि यह गलती कैसे हुई ? आपको जनता की भलाई की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मंत्रीजी इस संबंध में सूचना देने की कृपा करेंगे कि कितने परसेन्ट आपरेशन्स सफल हुए। कम से कम यह जानकारी तो उनको प्राप्त होनी ही चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : असफल ऑपरेशन्स की सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य चाहें तो मैं जानकारी करके बता दूंगा।

प्रश्न संख्या ३५

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री गोविन्दसिंह

झालावाड़ ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बसें और राज्य सरकार के शेयर्स

३६. **श्री गोविन्दसिंह** (पिन्ड़ावा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी में राजस्थान सरकार का एक लाख रुपया शेयर के रूप में लगा हुआ है?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त कम्पनी ने कुछ अन्य बसें झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की सारी बसें बेचने के पहले बेच दी ?

(३) यदि हां तो किस किस व्यक्ति को बसें बेचीं और कितनी कितनी रकम में बेचीं? सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) क्या यह सच है कि उपरोक्त कम्पनी घाटे में चल रही थी इसी कारण बसें बेचीं ?

(५) क्या यह सही है कि जो बसें बेचीं उनको आम नीलामी द्वारा नहीं बेचा गया ?

(६) यदि हां, तो ऐसा क्यों किया और राज्य सरकार से क्या ऐसा करने की इजाजत ले ली थी ?

(७) क्या यह सही है कि अब भी ये बसें झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के नाम से चल रही हैं और ऐसा करने पर राजस्थान सरकार को टैक्स का घाटा हो रहा है ?

Page No 7

उप मंत्री, वित्त (श्रीमती कमला बेनीवाल): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि २७ तारीख को यही प्रश्न इन्हीं माननीय सदस्य ने पूछा है इसलिए २७ तारीख तक इसे रोक दें तो उस दिन एक साथ जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री भैरोंसिंह।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा से प्रशिक्षण प्राप्त सर्वेयर्स

३७. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा से अब तक किस किस वर्ष कितने कितने व्यक्तियों ने सर्वेयर का प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

(२) किस किस विभाग में सर्वेयर के कितने कितने पद निर्धारित हैं और यदि ये पद नहीं हैं तो सर्वेयर का पद क्या किसी विभाग में किसी अन्य पद के समान मान्यता प्राप्त है ?

(३) सर्वेयर की प्रशिक्षण अवधि के लिये सरकार द्वारा क्या सुविधा दी जाती है ?

श्रम मंत्री (श्री मीखाभाई): (१) राजस्थान में कोटा के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र से निम्नलिखित सर्वेयर्स ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है :

परीक्षा की तारीख	परीक्षा में प्रवेश होने वालों की संख्या	उत्तीर्ण होने वालों की संख्या
१९६० जुलाई	१८	१८
१९६१ अप्रेल	१७	१३
१९६२ जनवरी	२७	२६
१९६२ अक्टूबर	२५	२३
१९६३ जुलाई	१५	१५
१९६४ अप्रेल	१३	१३
१९६५ जनवरी	१४	१४
योग	१२९	१२२

(२) इसकी सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है। सम्बन्धित विभाग से पूछा जाय।

(३) सर्वेयर का प्रशिक्षण भी अन्य व्यवसायों की भांति निःशुल्क दिया जाता है एवं एक तिहाई योग्य तथा गरीब छात्रों को पच्चीस रुपये माहवार छात्रवृत्ति दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह: सर्वेयर का प्रशिक्षण जो पास कर चुके हैं वे गवर्नमेन्ट सर्विस में कितने आये और बेकार कितने बैठे हैं ?

श्री मीखाभाई: मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार कोई बेकार नहीं है। १२२ आदमियों ने ट्रेनिंग ली थी और वे करीब करीब सब रोजगार में लगे हुए हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या यह सही है कि डिपार्टमेन्ट्स के अन्दर जो सर्वेयर्स के ग्रेड्स हैं वे ग्रेड्स इन प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को नहीं दिये जाते ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी नहीं है। किस किस विभाग में क्या ग्रेडस हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सब एब्जॉर्ब हो गये हैं और यह इस बात को साबित करता है कि ग्रेडस अच्छे होंगे।

श्री भैरोंसिह : शिक्षा देने के पहले राज्य सरकार के तरफ से कोई जांच की जाती है क्या कि कितनी मात्रा में सर्वेयर्स को एब्जॉर्ब किया जा सकेगा और उनकी संख्या कितनी होनी चाहिये ?

श्री भीखाभाई : इसकी आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में जब कोटा बांध बना रहा था उस वक्त सम्भावना थी कि अधिक से अधिक सर्वेयर्स की आवश्यकता रहेगी, इसलिये ट्रेनिंग दी गई थी। वैसे राज्य सरकार इसकी ट्रेनिंग निश्चित् नहीं करती, वह भारत सरकार करती है, उनकी एक सिलेबस कमेटी बनी हुई है।

श्री भैरोंसिह : मैंने पूछा क्या और जवाब दिया क्या ? मैंने जो आप से पूछा है वह यह पूछा है कि सर्वेयर्स के लिये छात्र संख्या निर्धारित की जाती है वह किस अनुपात में की जाती है और इतने लोगों को एब्जॉर्ब कर लिया जावेगा।

(विराम)

आप न समझे हों तो कौल साहब से पूछ लें।

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि भारत सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दी गई क्योंकि उन लोगों की आवश्यकता थी वहां पर। जितने सेन्टर खोले। एक केपेसिटी मुकर्रर की उसके अनुसार लोग नहीं मिल रहे हैं।

श्री भैरोंसिह : ट्रेनिंग देने के पश्चात् राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : सेन्ट्रल योजना है और कहीं पर जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिह : जाने का प्रश्न नहीं है। आप संकटकालीन स्थिति में बेकार ही इस प्रकार समय खो रहे हैं।

श्री भीखाभाई : इरिगेशन में भी जा सकते हैं, पंचायतों में भी जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिह : मैं मेरे क्वेश्चन को फिर रिपीट करूंगा, आप इसका उत्तर स्पष्ट कहिये कि राजस्थान सरकार का यह उत्तर-दायित्व है या नहीं कि सर्वेयर की ट्रेनिंग लेने के बाद उनको राजस्थान सरकार एब्जॉर्ब करे ?

श्री भीखाभाई : ऑल इन्डिया बेसिस पर ट्रेनिंग होती है और ऑल इन्डिया बेसिस का ही यह क्वेश्चन है। भारत सरकार की योजना है इसलिये उसका स्कोप राजस्थान तक ही नहीं है।

श्री भैरोंसिह : मैंने जो स्पष्ट रूप से उत्तर चाहा है, मेरे प्रश्न का वह उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप फिर दोहराइये।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व नहीं है कि सर्वेयर को ट्रेनिंग लेने के बाद एब्जॉर्ब करें ?

श्री भीखाभाई : मैं जबाब दे चुका हूं। ऑल इन्डिया में राजस्थान भी आ जाता है।

श्री भैरोंसिंह: मैं ऑल इन्डिया की बात नहीं कहता। आप तो यह स्पष्ट कर दीजिये कि राजस्थान सरकार की रेस्पोन्सिबिलिटी उनको एब्जॉर्ब करने की है या नहीं ?

(विराम)

क्या यह राजस्थान सरकार की रेस्पोन्सिबिलिटी है या नहीं कि जो सर्वेयर ट्रेनिंग लेने के बाद उत्तीर्ण होकर आये उनको राज्य सरकार किसी स्थान पर एब्जॉर्ब करे ?

श्री भीखाभाई: मैंने आपको यह बताया कि यह भारत सरकार की ट्रेनिंग है और कहीं भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं।

राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं यह कोई प्रश्न नहीं। ऑल इन्डिया बेसिस पर है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): मंत्री महोदय तूल दे रहे हैं और उलझा रहे हैं इसके बजाय इतना ही कह दीजिये कि यथासंभव एब्जॉर्ब करने की चेष्टा करूंगा।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि जिन सर्वेयर्स को आपने एब्जॉर्ब किया है उन सर्वेयर्स को भी वही ग्रेड है जो कि बाकी के सर्वेयर्स को दी जाती है ?

श्री भीखाभाई: यह अलग प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि आप के पास कोई इस सम्बन्ध की शिकायत आयी है कि इस शिक्षण केन्द्र से सर्वेयर ट्रेनिंग लेकर आये हैं उनको कम वेतन और ग्रेड दिया गया है ?

श्री भीखाभाई: इस समय इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है। इसके लिये आप यदि कोई अलग नोटिस देंगे तो जानकारी करके उत्तर दे सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह: अगर आपने मेरे सवाल को पढा होता, जो कि आपने नहीं पढा है, तो आपको मालूम हो जाता कि नम्बर २ पर यह मेरा प्रश्न है। आप पहले उस प्रश्न को पढ कर आते तो अच्छा होता।

(विराम)

ऐसे मंत्रियों से कैसे पिंड छुडायें।

श्री अध्यक्ष: आप दूसरा प्रश्न पूछ लें।

स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी, कोटा को बीडों का ठेका।

श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री भैरोंसिंह: इनका कोई डिप्टी मिनिस्टर नहीं है क्या ?

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, एक चीज निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी मंत्री बोलते हैं तो दूसरे मंत्री हंसते हैं। यह उनकी अप्रतिष्ठा है। बेचारे असहाय हैं।

श्री जयनारायण खालोदिया (निवाई): आदिवासी मंत्रियों को पीछे बिठाते हैं और आप लोग आगे आकर बैठ जाते हैं। यह हरिजन मंत्रियों के साथ भेदभाव है।

स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी, कोटा को बीडों का ठेका

३८. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी, कोटा को कितनी व कौन कौन सी बीडों का ठेका दिया हुआ है व इसका क्षेत्रफल कितना है ?

(२) अभी तक औसतन उक्त फैक्टरी ने प्रति वर्ष इन बीडों से कितना घास प्राप्त किया है ?

Page No 10

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(३) क्या यह सत्य है कि स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी के साथ हुए इकरारनामें की शर्त के अनुसार पड़ोसी ग्रामवासियों को लीज्ड एरिया में मवेशी चराने का व हेड लोड्स लेने का अधिकार प्राप्त है? अगर हां, तो क्या इस संबन्ध में सरकार की ओर से कोई व्यवस्था की गई है?

(४) क्या यह सत्य है कि फैक्टरी वाले ग्रामवासियों को इन क्षेत्रों में मवेशी नहीं चराने देते? अगर हां, तो सरकार ने इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की है?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई): (१) स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी, कोटा को ३७,२५३ एकड़ भूमि का ठेका संलग्न बीडों की सूची के अनुसार दिया गया है।

(२) अभी तक उक्त फैक्टरी ने सिर्फ ६३-६४ में ही इन बीडों का ही घास प्राप्त किया है जो ९७०३५२ किलोग्राम हैं।

(३) जी हां, स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी के साथ हुए इकरारनामे की शर्त नं० २ के अन्तर्गत स्थानीय ग्रामवासियों को जो भी अधिकार व रियायतें फैक्टरी को घास का एरिया देने से पूर्व प्राप्त थीं वे अब भी सुरक्षित हैं और किसी ग्रामवासी की ओर से इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में विशेष व्यवस्था करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(४) जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल: क्या यह सही है कि जितना घास कम से कम काटने का इकरारनामा है उतना घास अब तक फैक्टरी नहीं काट पाई है?

श्री भीखाभाई: ऐसा नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: यह प्रश्न आने के बाद क्या सरकार विचार कर रही है कि इतना घास नहीं काट पायी है?

श्री भीखाभाई: फैक्टरी खुद ही कह रही है कि इसमें संशोधन किया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल: क्या यह सही है कि फैक्टरी ने अभी तक आपको घास काटने का जितना रुपया रॉयल्टी का सन् ६३-६४ और ६४-६५ का होता है वह जमा नहीं कराया है?

श्री भीखा भाई: कुछ रुपया बाकी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: सरकार फैक्टरी के साथ यह लिनियेन्सी क्यों बरत रही है? शर्त के अनुसार घास काट लेना चाहिए और रॉयल्टी के अनुसार पैसा जमा करा देना चाहिये। एग्रीमेन्ट के अनुसार दोनों शर्तों का ब्रीच हुआ है। आप इसके लिये कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं?

श्री भीखाभाई: रुपये वसूली की कार्यवाही चल रही है और जल्दी ही वसूली हो जावेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल: रुपया वसूल करने के सिलसिले में १५ हजार ६३-६४ के और ६४-६५ के १५ हजार, इन सब की श्री कामताप्रसादजी की पर्सनल सिक्योरिटी ले ली जाय क्या यह कहा है फैक्टरी ने?

श्री भीखाभाई: इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: १९६३-६४ की रॉयल्टी का रुपया जमा न कराने के बाद

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
भी ६४-६५ में उसको घास काटने की इजाजत दे दी गई ?

श्री भीखाभाई : लगभग १५ हजार रुपया बाकी है। किस किस साल का कितना कितना बाकी है, यह मुझे नहीं मालूम है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : १९६३-६४ का रुपया बाकी होते हुए भी घास काटने की इजाजत दे दी गई, यह क्यों ?

श्री भीखाभाई : अगर एक आदमी में रॉयल्टी निकलती है तो दूसरे साल भी वसूल कर सकते हैं। यह तो लेने-देने का सवाल है। पी.डी.आर. है और कई तरीके हैं सरकार के पास ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सरकार का रॉयल्टी का रुपया फैक्टरी पर चढ़ा हुआ है उसको सरकार छोड़ने की कोशिश कर रही है ?

श्री भीखाभाई : यह माननीय सदस्य की जानकारी में हो और वे ही पैरवी कर रहे हों तो दूसरी बात है, मेरी जानकारी में तो यह नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : १९६३-६४ के रुपये की वसूली के लिये क्या एक्शन लिया ?

श्री भीखाभाई : जल्दी ही रुपया जमा कराने के लिये कहा गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि एग्रीमेन्ट के अनुसार एक साल की रॉयल्टी जमा नहीं करायें तो नेक्स्ट ईयर घास नहीं काट सकती ?

श्री भीखाभाई : मैंने एग्रीमेन्ट को देखा नहीं है, लेकिन जब रुपया बकाया हो और किसी कारण से नहीं दिया हो तो रुपया तो वसूल हो ही जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : मेरे प्रश्न का जवाब दीजिये। क्या एग्रीमेन्ट की शर्त के अनुसार रॉयल्टी का रुपया जमा नहीं करायें तो नेक्स्ट ईयर घास नहीं काटा जा सकता ?

श्री भीखाभाई : मैंने आपसे कहा कि एग्रीमेन्ट की कॉपी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरे पास है।

Clause 7 of the agreement:

"The licensee shall pay a royalty at the rate of 40 P. per quintal for a minimum quantity of two lac maunds of grass which he shall be entitled to collect from the area reserved for the purpose and the said royalty shall be charged even if lesser quantity of grass is collected by the licensee. The licensee shall deposit 1/4 of the total royalty in advance on the 1st of October each year. The remaining amount of royalty shall be payable in three equal instalments on the 1st of Jany., 1st of February and the 1st of April of the following year."

कान्ट्रैक्ट के अन्दर लिखा है कि इन शर्तों की अवहेलना करने पर लीज खत्म कर दी जायगी।

श्री भीखाभाई : जब इस अर्से का घास घट गया था तो उस घास को रोक रखा है रोयल्टी के एवज में। रुपया वसूल करना है; मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आगे जाकर घास काटा नहीं है। आखिर उन्होंने फैक्टरी में इनवेस्टमेन्ट किया है फिर भी वसूली के लिये ताकीद की है।

Page No 12

श्री भैरोंसिंह : तो आपके कहने के अनुसार क्या जो एग्रीमेन्ट किया गया है उसका वायोलेशन किया गया है ?

श्री भीखाभाई : टेक्निकली आप जिस रूप में मालूम करना चाहते हैं मैं उस रूप में तो नहीं कह सकता लेकिन व्यवहारिक रूप से मैं समझता हूं एग्रीमेन्ट का वायोलेशन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : एग्रीमेन्ट की जिस प्रकार की क्लॉजेज हैं उनके अनुसार यह आप मानते हैं कि एग्रीमेन्ट का वायोलेशन हुआ है तो आपने उनके खिलाफ जान-बूझकर एक्शन नहीं लिया ?

श्री भीखाभाई : आखिर आप चाहते क्या हैं ? फैक्टरी बन्द करवाना चाहते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या आपकी जानकारी में यह है या नहीं कि श्री कामताप्रसाद जी मुख्यमंत्रीजी के रिश्तेदार हैं ?

श्री भीखाभाई : इसके बारे में जानकारी इस वक्त में नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : और आप मुख्य मंत्रीजी की लडकी की शादी में जो श्री कामताप्रसादजी के लडके के साथ हुई उस में सम्मिलित होने पर भी आपको यह पता नहीं कि श्री कामताप्रसादजी मुख्य मंत्री के रिश्तेदार हैं। आपको शर्म आनी चाहिये आप कितना झूठ बोल रहे हैं।

श्री भीखाभाई : इसके मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री मनोहरलालजी हैं जो रतलाम के रहने वाले हैं। वे ही इस काम को करते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह सारी ढिलाई जान-बूझकर इसलिये बरती गई कि श्री कामताप्रसादजी मुख्य मंत्री के रिश्तेदार हैं और उनकी लडकी के ससुर हैं ?

श्री भीखाभाई : इसमें कामताप्रसादजी का कहीं भी सवाल नहीं आता।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी-बाजार, जयपुर) : आपको कहां से दिखाई देगा, आपने तो अपनी आंखें ही बन्द कर रखी हैं।

श्री भैरोंसिंह : हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कामताप्रसादजी कौन हैं या कौन नहीं हैं; आप जब यह मानते हैं कि एग्रीमेन्ट का वायोलेशन हुआ है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है ?

श्री भीखाभाई : वायोलेशन कहां किया?

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी मंजूर किया है ?

श्री भीखाभाई : उनके घास को रोक रखा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मंत्रीजी को खडे होकर प्रश्न का जवाब देने का कोई अधिकार नहीं जब तक कि उनको पता नहीं कि एग्रीमेन्ट क्या है उसमें क्या क्या शर्तें हैं। जब तक वे एग्रीमेन्ट की जानकारी नहीं कर लेते हैं तब तक प्रश्न का उत्तर देने के लिये खडा होना सदन के समय को व्यर्थ गंवाना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एग्रीमेन्ट के अनुसार जो रॉयल्टी थी वह पेमेन्ट नहीं की तो गवर्नमेन्ट वायोलेशन ऑफ एग्रीमेन्ट मानती है या नहीं ?

Page No 13

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया जब तक एग्रीमेन्ट को लीगली एग्जामिन नहीं करा लेते तब तक यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि वायोलेशन ऑफ एग्रीमेन्ट हुआ या नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Then you please sit down.

श्री भीखाभाई : व्यवहारिक दृष्टि से जब एक पार्टी को लीज पर दिया हुआ है उसको सुपरसीड नहीं करता। उसके अनुसार एक साल रुपया नहीं देने की सूरत में वायोलेशन माना जायगा। उसके अनुसार एग्रीमेन्ट का वायोलेशन नहीं है। हालांकि मेरे पास पूरा एग्रीमेन्ट नहीं है। विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि एग्रीमेन्ट के एब्सट्रेक्ट हैं। सारे एग्रीमेन्ट को लीगली एग्जामिन कराया जायगा उसके पश्चात् जो आवश्यक कार्यवाही करनी उचित होगी वह की जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उस फैक्टरी को बन्द करने की इस प्रश्न की मन्शा नहीं है। आपने ३७२५३ एकड का बीड है उस फैक्टरी को ४० पैसे प्रति क्विन्टल पर दो लाख मन घास काटने का है जो उसने आज-तक नहीं काटा। दो सालों के अन्दर कुल मिलाकर एक लाख मन घास काटा है, उस हालत में एग्रीमेन्ट के अनुसार आप उनसे पैसा वसूल करिये यह अलग बात है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया उसका खास मतलब यह है कि कोटा के अन्दर गरमी के अन्दर एक रुपये का एक पूला घास का मिलता था। जब कि आपके पास इतना बडा बीड है जहां से अब तक किसी भी साल में दो लाख मन घास नहीं काट सके हैं। तो वैसी हालत में इस बीड के टुकडे करिये ताकि लोकल आदमियों को घास काटने का मौका मिल सके और वहां के मवेशियों को चरने के लिये घास मिल सके।

श्री भीखाभाई : यह जो सवाल पूछा गया है उसमें कहीं इकरारनामे का सवाल नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपकी अक्ल में पहले क्यों नहीं आया ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में क्या अनुमान कर सकते हैं ? ३७ हजार एकड के बीड में कितने लाख मन घास पैदा हो सकता है, जब कि अच्छी वर्षा हो और समय पर हो ? और वर्षा की कमी की हालत में कितने लाख मन घास पैदा हो सकता है, इसके अन्दाज के बारे में प्रकाश डाल सकते हैं।

श्री भीखाभाई : इस बारे में प्रकाश डालने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप प्रकाश नहीं तो अन्धेरा तो डाल सकते हैं, वही डाल दो।

श्री भीखाभाई : आपने जो प्रश्न पूछा उसका पार्ट नं० ३ है वह इस प्रकार है "क्या यह सत्य है कि स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी के साथ हुए इकरारनामे की शर्त के अनुसार पडौसी ग्रामवासियों को लीज्ड एरिया में मवेशी चराने का व हैड लोड्स लेने का अधिकार प्राप्त है ? अगर हां, तो क्या इस संबंध में सरकार की ओर से कोई व्यवस्था की हुई है ?" इतना ही सवाल था जो तथ्यों से रिलेवेन्ट था उसका उत्तर दे दिया गया।

Page No 14

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of Order, Sir, अध्यक्ष महोदय, यह आपकी व्यवस्था का सवाल है; जब आपकी तरफ से अलाउ कर दिया गया तो मंत्री महोदय को अधिकार नहीं कि वे इस प्रकार से कहें कि ये रिलेवेन्ट नहीं थे। सप्लीमेन्टरी प्रश्न को पूछना हमारा अधिकार है; जब स्पीकर साहब की तरफ से अलाउ कर दिया गया तो उसका जवाब देना होगा, उससे आप इन्कार नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न के भाग (३) के अन्दर स्पष्ट है कि स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी के साथ हुए इकरारनामे की शर्त के अनुसार यह ठीक था या नहीं। उस हिसाब से आपको इकरारनामे को देखकर आना चाहिये।

श्री भीखाभाई : इसमें इकरारनामे का प्रश्न नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, जैसा आपने कहा घास जब्त कर रखा है तो किस ईयर में कितना जब्त किया ?

श्री भीखाभाई : १९६४-६५ का घास जब्त कर रखा है।

श्री भैरोंसिंह : वह किसी की कस्टडी में है ? और कितने मन है ?

श्री भीखाभाई : इसके और डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो घास आप जब्त होना बतलाते हैं वह वहां है ही नहीं ?

श्री भीखाभाई : यह हाइपोथिटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कहता हूं जो घास जब्त होना आप कहते हैं वह वहां है ही नहीं। यदि है तो आप कह दीजिये 'है'।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम यह जानना चाहते हैं कि जो आपने उत्तर दिया है वह आपने इकरारनामे को मंगाकर आपने खुद ने देखा है कि या डिपार्टमेन्ट ने देखकर जैसा जवाब उन्होंने भेजा वही पढ़कर सुना दिया है या आपने स्वयं इकरारनामे को देखा है ?

श्री भीखाभाई : मैं यह कहता हूं कि इसमें इकरारनामे की बात ही नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्वेश्चन नम्बर ३ में स्पष्ट है, घास के बारे में इकरारनामे को देखा या नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्री महोदय सवाल का जवाब दे रहे हैं या घास काट रहे हैं।

श्री भीखाभाई : २५ हजार मन घास मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठलभाई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह घास किसके कब्जे में है, फर्द जब्ती बनी या नहीं ? यह सूचना जो आप दे रहे हैं कि आपके कब्जे में है, गलत है। आपके गार्ड वहां नहीं हैं। केवल उनके पजेशन में है। आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा सु०) : यह आपने कटा हुआ घास जब्त कर रक्खा है या खड़ा हुआ कर रखा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठलभाई।

रतलाम से बांसवाड़ा व बांसवाड़ा से डूंगरपुर तक रोडवेज की बसें

३९. **श्री विट्ठलभाई** (बांसवाडा-सु०): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जिला बांसवाडा में रतलाम से बांसवाडा व बांसवाडा से डूंगरपुर बस रूट पर राजस्थान रोडवेज को बसें चालू करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राष्ट्रीय यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल): अभी अगले वर्ष तक इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना नहीं है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना-काल में लिये जाने वाले मार्गों की सूची तैयार की जा रही है।

श्री विट्ठलभाई : चौथी योजना में वह रोड है क्या ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में तो इसका प्रोवीजन नहीं है, चौथी योजना की पॉलिसी डिसाइड हुई है जिसके अनुसार तीन हजार मील के मार्ग का राष्ट्रीयकरण करना है। अब उसमें कौन कौन रास्ते होंगे यह कोर्पोरेशन को तय करना है। उसके तय करने पर ही यह बताया जा सकेगा कि उसमें यह रोड भी है या नहीं।

श्री विट्ठलभाई: यह कब तक करेंगे आप ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: कोर्पोरेशन शीघ्र ही इसकी सूची तैयार करेगा।

सांचोर में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

४०. श्री **रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना में सन् १९६५-६६ में बिजली लगाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था ? अगर हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही हुई तथा कार्य कब तक शुरू होकर कब खत्म हो जावेगा ?

(२) उपरोक्त योजना के तहत सांचोर में बिजली कब तक मिल सकेगी ?

(३) क्या सांचोर से आस-पास के गांवों में सिंचाई के कुओं पर भी बिजली दी जावेगी ? अगर हां, तो कहां कहां ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद): (१) जी हां, यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ करने का प्रयत्न किया जा रहा है। कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती।

(२) सांचोर को बिजली वित्तीय वर्ष १९६५-६६ में देने की सम्भावना है।

(३) जी हां, जहां भी सम्भव हो सकेगा।

आयुर्वेद कालेज, जयपुर में प्रोफेसर के रिक्त स्थान

४१. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आयुर्वेद कॉलेज, जयपुर में प्रोफेसरों के स्थान रिक्त हैं ?

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

(२) यदि हां, तो कितने समय से और क्यों ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) दो माह से क्योंकि प्रोफेसर श्री कल्याणप्रसाद को उप-संचालक के पद पर ६-७-६५ से नियुक्त किया गया है। इस पद की पूर्ति के लिये कार्यवाही जारी है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : इसके पहले कितने दिनों से और कितने स्थान रिक्त हैं ?

श्री दौलतराम सारण : आपने जयपुर का पूछा है। यहां कल्याणप्रसादजी का स्थान रिक्त है।

नागौर और चूरू जिलों में ऊन फैक्टरियों की स्थापना

४२. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नागौर और चूरू जिले में ४००-४०० तकुओं की ऊन फैक्टरियां स्थापित की जा रही हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से स्थानों पर ? इन योजनाओं पर अनुमानतः क्या खर्चा किया जावेगा ?

(२) इन फैक्टरियों के स्थापनार्थ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? तथा क्या खर्चा किया गया है ?

(३) इनसे उत्पादन कब तक शुरू हो जावेगा ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां, चूरू जिला-चूरू में व लाडनू, जिला नागौर, में। प्रत्येक पर अनुमानतः १२-१२ लाख रुपया व्यय होगा।

(२) योजना स्वीकृत हो चुकी है तथा इन फैक्टरियों के लगाने का काम राजस्थान लघु उद्योग निगम को सौंपा जा चुका है। उन्होंने भवन निर्माण के लिये नक्शे आदि बनवा लिये हैं तथा मशीनरी के लिये भी आर्डर दे चुके हैं।

टैक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई के तकनीकी सलाहकार से योजना बनवाने एवं मशीनों आदि के निरीक्षण पर अब तक यात्रा भत्ता मद में लगभग २०००) रुपया खर्च हुआ है।

(३) अनुमानतः मार्च, १९६६ तक उत्पादन शुरू हो जावेगा।

इंडियन मेडिसिन बोर्ड की मतदाता सूची और बोर्ड के चुनाव

४३. **श्री दुर्गालाल बाढवार** (हवामहल, जयपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इण्डियन मेडिसिन बोर्ड की सन् १९६३ ईस्वी की मतदाता-सूची प्रकाशित की गई या नहीं ? यदि की गई, तो कब और राजस्थान राज-पत्र के कौन से भाग में किस माह में प्रकाशित की गई ?

(२) क्या वैद्य व हकीमों से मतदाता सूची में संशोधन मांगे गये और यदि हां, तो किस विज्ञप्ति के द्वारा ? कृपया विज्ञप्ति की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खें ?

(३) सन् १९६३ में इण्डियन मेडिसिन बोर्ड के चुनाव किन नियमों के अन्तर्गत कराये गये ?

(४) क्या यह सच है कि सन् १९६३ के चुनावों में मनोनयन पत्र का प्रारूप राजस्थान चिकित्सा नियम, सन् १९५६ के अनुसार नहीं था ?

Page No 17

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

(५) क्या लाहौर की वैद्य वाचस्पति उपाधि को चुनाव नियमों में मान्यता दी गई है और क्या बोर्ड के निर्वाचन के लिये उम्मीदवार की कोई अनुभव की अवधि निर्धारित है और यदि हां, तो यह अवधि रजिस्ट्रेशन से मानी जाती है या किसी अन्य समय से ?

(६) क्या इन्डियन मेडिसिन बोर्ड के चुनावों में राज्य सेवारत व्यक्ति भाग नहीं ले सकते और यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान के निर्वाचित सन् १९६३ के लिये बोर्ड द्वारा दिसम्बर, १९६२ तक पंजीयित समभ्यासियों को मतदाता सूची का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र भाग (४) (ग) सप्लीमेन्ट राज-पत्र नम्बर २६ दिनांक २७-९-६२ में प्रकाशित किया गया है। यह सूची सन् १९६३ के निर्वाचित के लिये मतदाता सूची है।

(२) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(३) सन् १९६३ में इण्डियन मेडिसिन बोर्ड के चुनाव राजस्थान भारतीय चिकित्सा नियम, सन् १९५६ के अन्तर्गत कराये गये हैं। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) मनोनयन-पत्र नियमानुसार ही था।

(५) चुनाव नियमों में किसी विशोपधि को मान्यता का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि राजस्थान के इण्डियन मेडिसिन बोर्ड द्वारा पंजीयित समभ्यासी निर्वाचन के योग्य हैं। निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिये कम से कम १० वर्षी देशीय चिकित्सा समभ्यास के अनुभव का होना अनिवार्य है। यह अनुभवविधि पंजीयन प्रमाण-पत्र में नियतस्थल पर अंकितानुसार मानी जाती है।

(६) इस सम्बन्ध में कोई विधि निषेद नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दुर्गालाल बाढदार : क्या ५६ के नियमों के अतिरिक्त और भी नियम बनाये गये हैं ? अगर हां, तो कौनसे वर्ष में ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ६३ में इस प्रकार के नियम बने और उनका प्रकाशन ६४ में राज-पत्र में हुआ और जिनका प्रकाशन ६४ में हुआ उनके अन्तर्गत चुनाव कराये गये ६३ में। क्या इस बारे में आप कुछ प्रकाश डाल सकेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : तो इसकी जानकारी आप कर लें। दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि दस वर्ष का अनुभव होना आपने बताया तो यह कौनसी तारीख से आप मानते हैं ? जिस दिन डिप्लोमा मिलता है उस दिन से या रजिस्ट्रेशन की तारीख से ?

श्री दौलतराम सारण : यह बोर्ड एक एक्ट के अन्तर्गत बना हुआ है। उसमें जो प्रावधान है उनके अन्तर्गत बने हुए नियमों के अनुसार मानते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : उसमें तो केवल दस वर्ष का अनुभव चाहिये, यह है। अब यह किस तारीख से माना जावे, यह नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने उत्तर में निवेदन किया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसीलिये तो पूछ रहा हूं कि दस वर्ष का अनुभव तो आपने बता दिया, पर कौनसी तारीख से यह होना चाहिये यह स्पष्ट नहीं किया है ?

श्री दौलतराम सारण : तारीख उसी फॉर्म में अंकित होती है।

श्री अध्यक्ष : इसके मुतल्लिक बोर्ड जो भी राय दे उस पर मुनस्सिर है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : चुनाव कराये जा चुके हैं तो उस पर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो मौजूदा बोर्ड बना है उसमें मक्खनलाल और माधोप्रसाद भी दो सदस्य हैं।

श्री दौलतराम सारण : इसमें कोई सदस्य हो सकते हैं। इससे तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह बोर्ड देशी इलाज करने वालों को मान्यता प्रदान करता है और यह बड़ी गम्भीर उत्तरदायित्व निभाने वाली संस्था है। उसके विषय में इस प्रकार के उत्तर मंत्री महोदय दें कि उनको जानकारी नहीं है, तो यह उचित नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : जानकारी नहीं का सवाल नहीं है। आपने बोर्ड के निर्वाचन से सम्बन्धित प्रश्न पूछा है और उसका मैंने पूर्णतया उत्तर देने का प्रयास किया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं यह पूछ रहा हूं····

श्री दौलतराम सारण : मेरी बात पूरी सुनने की कृपा करें।

आपने पूछा कि कोई दो वैद्य सदस्य हैं या नहीं। तो सदस्यों की सूची मेरे पास इस समय नहीं है, इसलिये तहकीक नहीं कह सकता कि ये सदस्य हैं या नहीं। आपको जानकारी होगी इसलिये आप कह रहे होंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मुझे यह जानकारी है और इसीलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की अव्यवस्था का प्रभाव इस सारे बोर्ड के कार्यकलाप पर अच्छा नहीं पड़ेगा। इन दोनों में से एक ने डिग्री हासिल की है आचार्य की ५६ में और दूसरों ने की है ६० में; तो इस तरह इनके लिये ६३ में दस वर्ष के अनुभव की बात नहीं ठहरती है। इस तरह के काम इस बोर्ड में भी होते हैं, यह आश्चर्य की बात है।

श्री दौलतराम सारण : हो सकता है, ५६ से पहले की उनकी कोई डिग्री मान्यता प्राप्त होगी। अब उन्होंने पंजीयन के लिये प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है तो उसमें अनुभव का भी खाना है तो उसमें उन्होंने अंकित किया होगा, तो उसके हिसाब से मान्यता मानी जाती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हो सकना, नहीं हो सकना यह अलग बात है। कुछ निश्चित बात आप कहिये। मैं तो इसीलिये यह जानना चाहता था कि कौनसी तारीख से आप मान्यता देते हैं अनुभव के बारे में और आप उसका ही उत्तर देने को तैयार नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह तो मैंने निवेदन कर दिया।

Page No 19

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : यह इन्डियन मैडिसिन्स बोर्ड बनने के बाद कार्य बराबर कर रहा है या नहीं, इस बारे में आपको जानकारी है या नहीं ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई): कार्य कर रहा है ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : क्या कार्य कर रहा है । जो वैद्यों के रजिस्ट्रेशन का काम है वह ४-४ साल से रुका हुआ है और आप कह रहे हैं कि कार्य कर रहा है । आपने पहले भी आश्वासन दिया था कि वैद्यों का रजिस्ट्रेशन महीने, डेढ महीने के अन्दर कर दिया जायेगा, लेकिन आज उसको चार साल हो गए हैं ।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय ने जो बात कही है और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इतने वर्षों से रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है तो आप (मंत्री महोदय से) उसके बारे में विचार करें और बोर्ड को कहें कि तत्काल कार्यवाही करे ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय: माननीय अध्यक्ष महोदय, झगडा मंत्री महोदय का और बोर्ड का हो सकता है, लेकिन इस झगडे के अन्दर बेचारे वैद्य सफर करें और उसके कारण से लोगों को परेशानी हो और आप लोगों को प्रेक्टिस करने से रोकते हैं; मैंने गत वर्ष भी कहा था कि आप वैद्यों का रजिस्ट्रेशन जल्दी से करें और आपने कहा था कि एक महीने के अन्दर अन्दर रजिस्ट्रेशन कर दिया जावेगा, लेकिन आज तक नहीं किए गए । मेरे पास हर साल कितने ही लोग आते हैं सेशन के शुरू होने से पहले और इस प्रकार की बात कहते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हुआ, चार-चार साल हो गए ।

श्री दौलतराम सारण: जो रजिस्ट्रेशन का प्रश्न उठाया गया है ये रजिस्ट्रेशन कितने बकाया हैं, कितने नहीं हैं इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जानकारी करूंगा और इसके बारे में बोर्ड को सूचित कर दूंगा लेकिन इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन्डियन मैडिसिन्स बोर्ड एक ऑटोनोमस बोर्ड है और एक्ट के अन्तर्गत बना हुआ है और जो अधिकार बोर्ड को सौंपे गये हैं उनके मुताबिक बोर्ड कार्यवाही करता है; लेकिन आपने प्रश्न उठाया है कि रजिस्ट्रेशन बकाया है तो उसके संबंध में हम बोर्ड को अवश्य लिखेंगे और जानकारी करके कार्यवाही कराने की चेष्टा करेंगे ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय: अब तक नहीं देने का क्या कारण है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न स्पष्ट है और मैं एक बार और दोहराना चाहता हूं केवल इसलिए कि मंत्री महोदय ठीक तरह से इन प्रश्नों को समझें । बोर्ड के अन्तर्गत रूल्स हैं वे ठीक हैं लेकिन डिप्लोमा प्राप्त करने की तारीख से या पंजीकरण की तारीख से १० वर्ष की अवधि की मन्शा है । १० वर्ष की अवधि कब से शुरू होती है डिप्लोमा प्राप्त होने की तारीख से या रजिस्ट्रेशन की तारीख से ? इसके बारे में जानकारी नहीं है तो कृपा करके जानकारी प्राप्त करें ।

श्री दौलतराम सारण : यह अनुभव विधि पंजीयन प्रमाण-पत्र में नियत स्थल पर अंकितानुसार मानी जाती है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, वह तारीख कौनसी है; यही इसमें

Page No 20

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
प्रकाश नहीं डाला जा रहा है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करके सूचना दें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं भी निवेदन करूंगा कि यह मामूली मसला नहीं है। राजस्थान के आयुर्वेद विभाग के डाइरेक्टर और मिनिस्टर साहब के बीच में यह विभाग शिकार हो रहा है। डाइरेक्टर साहब मिनिस्टर का कहना नहीं मानते, मिनिस्टर साहब डाइरेक्टर साहब का कहना नहीं मानते। सारे वैद्य समाज का रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, स्थानान्तरण, अपॉइन्टमेन्ट, पे-स्केल यह सारे मामलों में वैद्यों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। डाइरेक्टर साहब मिनिस्टर का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं और मिनिस्टर साहब डाइरेक्टर का। मिनिस्टर साहब का एक्सप्लॉइटेशन इसलिये होता है कि डाइरेक्टर साहब सोचते हैं कि वे उदयपुर के हैं और मुख्य मंत्रीजी मेरे मर्जी के माफिक चल रहे हैं। इस सारे झगडे में वैद्यों का सत्यानाश करके चला जा रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि इनको इससे बचाया जाये।

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न शासन का नहीं है और न इसमें कोई डाइरेक्टर और मिनिस्टर के बीच के झगडे का प्रश्न है · · ·

श्री भैरोंसिंह : डाइरेक्टर साहब इनका कहना बिलकुल नहीं मानते और न इनका कहना डाइरेक्टर साहब मानते हैं · · ·

श्री भीखाभाई : यह प्रश्न इन्डियन मैडिसिन्स बोर्ड का है। एक एक्ट के अन्तर्गत इस बोर्ड का निर्माण हुआ है और वह बोर्ड सन् ५३ से चल रहा है। न तो इसमें डाइरेक्टर का हक है और न मिनिस्टर का और इस इन्डियन मैडिसिन्स बोर्ड के अन्दर बहुत ही विद्वान लोग बैठे हुए हैं और वे रजिस्ट्रेशन आदि का कार्य कर रहे हैं और जो एक्ट बना हुआ है उसके अन्दर भी अधिकार है, लेकिन जहां तक देरी हो रही है उसके लिए मैं कार्यवाही करूंगा लेकिन माननीय सदस्य ने जो बात यहां कही वह बिलकुल सत्य से परे है · · · · · ·

श्री भैरोंसिंह : आप लोगों ने मुझे एक से नहीं, बल्कि कई मेम्बरों से कहा है कि डाइरेक्टर साहब मेरा कहना नहीं मानते। वैद्यों का इस तरह से स्थानान्तरण हो रहा है और उनको एक्सप्लॉइट किया गया है कि वे रोते हैं; डाइरेक्टर से करा लो तो मिनिस्टर खा जाये और मिनिस्टर से करा लो तो डाइरेक्टर खा जाये और दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात नहीं मानता है।

श्री भीखाभाई : यह बात बिलकुल सत्य नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: यह बिलकुल सही है और यह आपने एक से नहीं, कई मेम्बरों से कहा है और मैं इसका प्रमाण देने को तैयार हूं कि मिनिस्टर महोदय के कितने ऑर्डर्स को डाइरेक्टर ने वायोलेट किया है, मिनिस्टर ने कितनी बार टेलीफोन किये और डाइरेक्टर ने कहा कि जाओ मिनिस्टर साहब के पास वह करेंगे। मिनिस्टर किसी को हुक्म कर दे तो डाइरेक्टर उसको सजा देता है। डाइरेक्टर नहीं हुआ बल्कि चीफ मिनिस्टर से भी बड़ा होकर काम करता है। उनकी लडकी की शादी में भेंट के अन्दर कितने रुपये इकट्ठे किये लेकिन उसके खिलाफ

Page No 21

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया । म प्रमाण देने को तैयार हूं, लेकिन सरकार एक्शन लेने के लिये तैयार नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : ऐसी कोई ज्यादती हो जो कि डाइरेक्टर साहब ने की हो और कानून की परिधि से बाहर जाकर की हो तो उसको आप नोटिस में लाइये उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, शासन इस बात के लिए कभी इन्कार नहीं कर सकता कि कानून के खिलाफ कोई काम करे और उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो ।

श्री भैरोंसिंह: आप स्टेटमेन्ट ले लीजिए कि डाइरेक्टर साहब की लडकी की शादी में कितने लोगों ने कितने रुपये भेंट के दिये और जिसने नहीं दिये उनका स्थानान्तरण हुआ है ।

श्री दौलतराम सारण: कोई ज्यादती उन्होंने कानून के खिलाफ में की होगी तो मैं आश्वासन देता हूं कि उनके खिलाफ कार्यावाही की जायेगी ।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खडे हुए)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती नगेन्द्रबाला ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबडा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भैरोंसिंह जी ने जो कहा है कि डाइरेक्टर साहब मिनिस्टर साहब की बात नहीं मानते और मिनिस्टर साहब डाइरेक्टर साहब की बात नहीं मानते, यह निश्चिततः इनके मनभावन बात नहीं है ।

(हियर, हियर)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : You are wrong at sixes and sevens.

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): अराई के वैद्यों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने स्थानान्तरण के ऑर्डर्स दिये और डाइरेक्टर ने नहीं माने ।

श्री दुर्गालाल बादशाह: आपके नोटिस में आना, यह बात बहुत जरूरी है कि ये दो तारीखें पूछीं । वाकया यह हो रहा है कि आपस में लडाई होने के कारण न तो रजिस्ट्रेशन की तारीख को मानते हैं और न डिप्लोमा प्राप्त करने की तारीख को मानते हैं, बल्कि जिनकी मर्जी में आता है अनुभव का मतलब यह लगाते हैं कि किसी ने प्रमाण-पत्र लिखकर दे दिया कि २० साल से प्रेक्टिस कर रहा हूँ उसी को मान लिया । तो ऐसे लोगों को ले लिया जाता है । मतलब यह है कि कुछ अनक्वालीफाइड आदमियों से लोगों को जहर दिलवाना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसके बारे में और कभी चर्चा कीजिए । प्रश्न अभी नहीं है ।

नेक्स्ट, श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

केशवराय पाटन-लाखेरी सडक निर्माण कार्य

४४. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि केशवराय पाटन से लाखेरी तक की सडक का निर्माण करने हेतु सरकार से मंजूरी हो चुकी है ?

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(२) यदि हां, तो इस सडक के निर्माण में कुल कितनी धनराशि खर्च करने का अनुमान है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सडक के निर्माण के लिये बजट में प्रावधान रक्खा जाता रहा है किन्तु कार्य नहीं करवाया जाता और बजट में प्रावधानित राशि लैप्स हो जाती है ?

(४) सर्व प्रथम बनाई गई योजना के अनुसार यह सडक कब तक बनकर तैयार हो जानी चाहिये थी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां ।

(२) केशवराय पाटन से लावान रोड पर ७ लाख रुपया तथा इटावा से लाखेरी रोड पर ३,७५,००० रुपया खर्च करने का अनुमान है ।

(३) यह सही नहीं है; कुछ वर्षो में बचत रही है ।

(४) तृतीय योजना के अन्त तक होने को था ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह सडक कब पूरी हो जानी चाहिये थी जो आपने ७ लाख रुपया रखा है इसके हिसाब से कब यह सडक पूरी हो जानी चाहिए थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : वैसे तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हो जानी चाहिए थी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अब तक इस पर कितना काम हो गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : काम तो चालू है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : काम चालू नहीं है बन्द है । इसका ४ वर्ष पहले ठेका हुआ है और अर्थवर्क ही हुआ है और वह भी बैठ गया है । बजट हर साल लैप्स हो जाता है और आपकी जानकारी में है कि सारी वर्सें बन्द हैं और कोई काम नहीं हुआ है और हर साल कितना रुपया खर्च किया ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं आपको आंकडे दे सकता हूं । इटावा, लाखेरी वाया लावान १५ मील का टुकडा है । १९६०-६१ में ३९,००० रु. में से ३५,०१७ रु. खर्च हुए, १९६१-६२ में ३९,३०० रु. का बजट था उसमें ४४,३६२ रु. खर्च हुए, १९६२-६३ में ७५,००० रु. का प्रावधान था उसमें ७५,२९४ रु. खर्च हुए और १९६३-६४ में ११,२०० रु. का प्रावधान था उसमें ११,२३२ रु. खर्च हुए १९६४-६५ में १२,००० का प्रावधान था उसमें १३,३०९ रु. खर्च हुए और १९६५-६६ में ५०,००० का प्रावधान है और १९,३४४ रु. खर्च हुए । तो सेविंग है ३,९६३ और एक्सेस हैं ५,०६२ रु०, २९४) रु०,२५) रु० तथा १२०९) रु० है ।

(११ म. पू.)

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह पैसा जो खर्च हुआ है वह कौन से मील पर और कहां तक खर्च हुआ है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा न आपको कि इसके प्रोवीजन के अगेंस्ट खर्चा हुआ है और उसके आंकडे आपको बता दिए हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं यह जानकारी चाहता हूं और आपके पास शिक्षा मंत्री जी

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
बैठे हुए हैं उनको भी जानकारी है कि वहां पर जो अर्थ वर्क हुआ है वह सारा बैठ गया है, सडक की पोजीशन बहुत खराब है ।

श्री अध्यक्ष : ग्यारह-बारह हजार रुपया सालाना लगाने का क्या अर्थ है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह ३६ मील की सडक है और इस पर थोडा थोडा सा पैसा खर्च करते हैं तो वह भी व्यर्थ जाता है ।

श्री अध्यक्ष : ग्यारह-बारह हजार रुपये सालाना खर्च करना तो व्यर्थ ही है । या तो बिल्कुल ही नहीं करें और अगर करते हैं तो उसका उपयोग तो होना चाहिए ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका प्रावधान किया गया था और अब कितना समय हो गया है । आज कौन सा साल चल रहा है । सारा पैसा बर्बाद गया है ।

श्री हरिश्चन्द्र : इस साल पचास हजार रुपया दिया है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि इस सडक को इसलिये नहीं पूरा किया जा रहा है कि क्योंकि यहां से विरोधी पार्टी का आदमी जीता है ।

प्रश्न संख्या ४५

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह ठेका रोड को बनाने का किसके पास है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अलग अलग हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

उद्योग और बिजली की दरें

४६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में ऐसे कितने उद्योग हैं जिन्हें विद्युत बोर्ड द्वारा निश्चित रेट से कम दर पर बिजली दी जा रही है तथा उन्हें किस दर पर बिजली दी जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या जिन उद्योगों को कम रेट पर बिजली दी जा रही है वे किन्हीं शर्तों पर दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या उनका पालन हो रहा है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद): (१) केवल एक मेसर्स डी. सी. एम. को । १६७५३ रु० पर के. बी. ए. प्रति माह ८५ पॉवर फैक्टर और ९० प्रतिशत लोड फैक्टर के हिसाब से ।

(२) पालन हो रहा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे इसकी प्रतिलिपि नहीं मिली है । क्या सूची सदन की मेज पर रख दी है ?

श्री चन्दनमल वैद : कौन सी सूची ? कोई सूची नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इसके अलावा कोई दूसरी फैक्टरी को कम रेट पर बिजली नहीं दी गई है ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं जवाब दे चुका हूं ।

Page No 24

श्री मुरलीधर व्यास : जवाब तो आपने सदन में दिया है, मुझे उसकी प्रतिलिपि नहीं मिली है ।

श्री चन्दनमल वैद : किस बात की प्रतिलिपि ? आप कौन सी प्रतिलिपि मांग रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : जब एक ही मिसाल है तो फिर प्रतिलिपि किस बात की ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या सारे भारतवर्ष में एक ही मिसाल है ?

श्री चन्दनमल वैद : सारे भारतवर्ष का क्या सवाल है, प्रश्न तो राजस्थान का है ।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री ढावरिया ।

श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेडा) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो एग्रीमेंट इस कारखाने के साथ सरकार ने किया है और चूंकि गांधीसागर बांध से पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है, इसलिये सिर्फ इस कारखाने को बिजली सप्लाई करने के लिए गैस प्लांट कोटा में लगाया जा रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह इससे संबन्धित नहीं है ।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : यह इससे सम्बन्धित है । इस कारखाने से आपने सन् १९७२ तक का एग्रीमेंट किया है और क्योंकि गांधीसागर से बिजली नहीं मिल रही है, एक करोड रुपये का गैस प्लांट सिर्फ उस कारखाने को बिजली देने के लिए लगाया जा रहा है ।

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : माननीय सदस्य को सही स्थिति का पता नहीं है । जो पोजीशन है इसकी उनके पास जानकारी नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप जानकारी करा दीजिये ।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : आप छः महीने बाद जब लगा देंगे तो कह देंगे कि क्योंकि आवश्यकता थी इसलिये लगाया गया । हम जानकारी के आधार पर ही कह रहे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : आपको कतई जानकारी नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप जानकारी करा दीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या उद्योगों को रियायती दर पर बिजली देने के नियम बने हुए हैं और अगर नियम हैं तो क्या नियम हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसे नियम हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या काइटेरिया है कि किस उद्योग को कितनी बिजली दी जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह मामला सदन के समक्ष कई बार आ चुका है । जो इलेक्ट्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज हैं उसमें भारतवर्ष के अन्य प्रान्तों में इससे भी चीपर दर पर पॉवर मिली है । राजस्थान का भी उद्योगीकरण करना है और बडी इंडस्ट्रीज लगानी हैं तो उनको कंसेशन देना ही पडता है । राजस्थान में जो पावर रेट रखी है वह ऐसी नहीं रखी है, दूसरे प्रान्तों में इससे कम है । और मैंने इस प्रकार के आंकडे प्रस्तुत किये हैं, मैं

(श्री हरिश्चन्द्र)
अभी मेरे पास इस वक्त नहीं हैं लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, केरल में इलेक्ट्रो केमिकल को दो नए पैसे की दर से पॉवर दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इस सारे प्रश्न पर कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हो सकती हैं जिनको कि कंसेशन रेट पर बिजली दी जावे, इस प्रश्न पर कोई निश्चित नीति निर्धारित करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक हो सकता है जो इंडस्ट्रीज़ इलेक्ट्रो केमीकल्स की हैं और जिसमें रॉ-मेटिरियल इलेक्ट्रिसिटी का काम में आता है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेश्यली कंसेशन देना जरूरी होता है। बाकी आम तौर पर यह कंसेशन देने का सवाल उठता नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप यह बतायेंगे कि यह डी. सी. एम. को चीप रेट पर बिजली देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया या राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लिया। इसका इनिशियेटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लिया ?

श्री हरिश्चन्द्र : सरकार की तरफ से लिया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सरकार ने किन आधारों पर इनको सस्ती दर पर बिजली देने का निर्णय लिया, पहली बात। दूसरा यह कि क्या राज्य सरकार ने यह देखा कि इससे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्रत्येक साल में कितने का नुकसान होगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह कहना तो मुश्किल है क्योंकि जब तक कोस्ट ऑफ जेनरेशन वर्क आउट नहीं हो जाती यह नहीं कहा जा सकता कि कितना नुकसान होगा। लेकिन अनुमानतः यह बात सही है कि जिस रेट पर बिजली दे रहे हैं वह कोस्ट ऑफ जेनरेशन से नीचे नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आपको यह मालूम है कि ऑडिट रिपोर्ट १९६५ में अकाउन्टेंट जनरल ने यह साफ तौर पर दर्ज किया है कि प्रत्येक साल इस अकाउण्ट से अट्ठारह लाख रुपये की गवर्नमेंट को हानि होती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा मैंने देखा है और यह उन्होंने किस आधार पर कहा है, वह आधार निर्धारित नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार की तरफ से उनको जो जवाब दिया जाता है उसी आधार पर उन्होंने कहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : किस कंसीडरेशन को ध्यान में रख कर उन्होंने यह कहा है वह कंसीडरेशन मेरे पास नहीं है कि कैसे अट्ठारह लाख का नुकसान होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ए. जी. ने जो रिपोर्ट दी है उसमें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो भी क्लेरिफिकेशन दिया है उसको मद्देनज़र रख कर ही दी है। अकाउण्टेंट जनरल हमेशा उन जवाबों को मद्देनज़र रखते हुए ही अपना ऑब्जर्वेशन देता है और जब कि ए. जी. ने ऐसे ऑब्जर्वेशन दिए हैं तो माननीय मंत्री महोदय के पास उनको डिस-बिलीव करने के क्या आधार हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जब तक कोस्ट ऑफ जेनरेशन वर्क आउट नहीं हो जाता उस वक्त तक ए. जी. ने चाहे जो भी कहा हो, मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कोस्ट ऑफ जेनरेशन के लिए जो कमेटी मुकर्रर की थी उसकी रिपोर्ट भी मिल चुकी है।

श्री हरिश्चन्द्र : जो टेरिफ कमेटी बनी थी उसने भी तीन पैसे की दर रखी थी और इस दर से लौस नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न यह है कि जो कोस्ट ऑफ जेनरेशन को वर्क आउट करने के लिए कमेटी मुकर्रर की थी और इस पर जो उन्होंने कोस्ट ऑफ जेनरेशन वर्क आउट किया है उसकी रिपोर्ट क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मिल चुकी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज किया ना कि जो टेरिफ राजस्थान ने घोषित किया है उस टेरिफ को बनाते वक्त जो तीन नए पैसे मुकर्रर किए हैं और विनायल केमिकल्स को पॉवर दिया गया है उसमें भी यह शामिल है तो उसको देखते हुए नुकसान नहीं माना गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो ऑडिट रिपोर्ट है १९६५ की उसमें ए. जी. ने १८ लाख का हर साल घाटा लिखा है। वह जो उन्होंने लौस बताया है तो कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ५.६ है उसको केल्कुलेट करने के बाद ही बताया है।

श्री हरिश्चन्द्र : वे कह सकते हैं, मुझे जानकारी नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह तो आपके चीफ इंजीनियर ने जो आंकड़े दिए हैं उसके आधार पर ही उन्होंने कहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब राजस्थान सरकार ने ३ नये पैसे में बिजली देने का निर्णय लिया उस समय राजस्थान सरकार ने सारे केल्क्यूलेशन्स को मद्देनज़र नहीं रखा।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने यही निवेदन किया है कि राजस्थान ने जो टेरिफ निर्धारित किया है उसमें २ नये पैसे का जो भी कोस्ट ऑफ जेनरेशन में नुकसान हो सकता है उसके एप्रॉक्जीमेट फीगर लेकर टेरिफ के अन्दर जोडा है। टेरिफ एज़ ए होल में नुकसान शामिल है। उसमें वह नहीं आता है कि कोस्ट ऑफ जेनरेशन का लौस हो। जब तक कोस्ट ऑफ जेनरेशन निर्धारित नहीं हो तब तक कितना लौस है उस पर्टीकूलर रेट से वह कहना मुश्किल है। ए. जी. ने हाइपोथेटिकल फीगर लिये होंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थान सरकार ने यह निर्णय किया कि इतना लौस आता है तो कास्टिक सोडा के प्रोडक्शन को किस आधार पर उचित समझा ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक्सपोर्ट के लिये। उनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारन्टी ली है कि एक्सपोर्ट करेंगे। फॉरेन एक्सचेन्ज के अर्निंग के लिए यह जरूरी था कि उनको सस्ती रेट पर बिजली दी जाय, परन्तु जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि दूसरी रियासतों में २ नये पैसे के ऊपर बिजली दी गई है। राजस्थान ने कोई कन्सेशन उस तरह का नहीं दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कास्टिक सोडा के प्रोडक्शन पर दो नये पैसे पर दी गई है क्या ? आपने केरल की मिसाल दी है।

Page No 27

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कई दफा आंकडे पेश किये हैं, दो-तीन स्टेट के पेश किये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कितना फॉरिन एक्सचेन्ज अर्न किया है ?

श्री अध्यक्ष : ये सारे प्रश्न इस समय उठाना उचित नहीं है। किसी और समय पर उपस्थित किये जा सकते हैं।

प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जंगल से बांस लाने के लिए रियायती पास

३०. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ-सु.) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील कुशलगढ़ की रेंज कुशलगढ़ व डूंगरा छोटा के निवासियों को अपने मकान तथा खेती संबंधी कार्यों के उपयोग के लिये जंगल से बांस व कोणियां प्राप्त करने के लिये रियायती पास वर्षों से दिया जाता रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि इस वर्ष फरवरी माह से उक्त पास दिया जाना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो इस वर्ष उन्हें कौन से जंगल का रियायती पास दिया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं। स्थानीय जनता को मकान तथा खेती सम्बन्धी उपयोग के लिये माह फरवरी में भीमपुरा, रतनमाल, चरकनी, करमदिया एवं खजुरा बाला चुना ब्लॉक से विभाग द्वारा काटे गये बांसों में से बांस दिये गये हैं।

केन्सर रोग के उपचार के लिए अस्पतालों में सुविधाएं

३२. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान के किन किन अस्पतालों में केन्सर की चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

(२) क्या यह सही है कि जहां जहां भी उक्त सुविधायें उपलब्ध हैं वे बहुत ही कम हैं और उनमें आधुनिक यंत्रों का अभाव है जो कि केन्सर के इलाज के लिये आवश्यक है ? क्या सरकार के ध्यान में है कि राज्य में केन्सर के काफी केसेज़ दर्ज होते हैं ?

(३) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार केन्सर के बढ़ते हुए रोग को दृष्टिगत रखते हुए उसके उपचार के लिये एक बड़ा आधुनिक केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इसके लिये कोई प्रावधान चौथी योजना में रखा है ?

(४) क्या यह सही है कि जिला स्तर के अस्पतालों में अभी तक केन्सर के रोग की प्राथमिक जांच-पड़ताल के लिये आवश्यक यंत्र, मशीनें व औजार उपलब्ध नहीं हैं ? क्या राज्य सरकार ने चौथी योजना में इस कमी को पूरा करने के लिये कोई प्रावधान रखे हैं ?

उत्तर

(१) केन्सर की शल्य चिकित्सा की सुविधाएं समस्त जिला स्तरीय अस्पतालों में

(श्री स्वास्थ्य मंत्री)

उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त रेडियम और डीप-एक्सरे चिकित्सा निम्न प्रकार उपलब्ध है :—

डीप-एक्सरे:—जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर और अजमेर।

रेडियम:—बीकानेर में है और जयपुर में आने वाला है।

कोवल्ट:—जयपुर में है और बीकानेर में आने वाला है।

(२) जी नहीं। ये सुविधायें उपरोक्त लिखित अस्पतालों में पर्याप्त हैं।

(३) फिलहाल नहीं।

(४) सभी बड़े अस्पतालों में इस प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। जिला स्तरीय अस्पतालों में क्लिनिकल डाईग्नोसिस की सुविधा है परन्तु लेबोरेटरी सेवाएं इतनी बढ़ी हुई नहीं हैं क्योंकि यह एक स्पेशल प्रोसेस है।

सरदारशहर–चूरू सडक का निर्माण

३३. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील हैड क्वार्टर सरदारशहर को जिला हैडक्वार्टर चूरू से सडक द्वारा जोने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इस सडक को शामिल कर लिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(२) क्या सरकार को विदित है कि यदि इस सड़क को, सरदारशहर से पूलासर, कापासर-सारसा-धीधलियां, नाकरासर-रायपुरा होती हुई सातड़ा, जो चूरू से रतनगढ़ जाने वाली सड़क पर पड़ता है, मिला दिया जावे तो कुल २५ माइल सडक बनानी पड़ती है और इससे बड़े बड़े सारे गांव जुड़ जाते हैं?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इसका सर्वे चालू साल में करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) चतुर्थ योजना के लिये प्रस्ताव विचाराधीन है। निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

इलेक्ट्रिक सब-डिवीजन और बिजली कॉन्ट्रेक्टर्स

३५. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कितने इलेक्ट्रिक सब-डिवीजन हैं और कहां कहां पर व उनका क्या क्या एरिया है?

(२) क्या यह सही है कि सब-डिवीजन क्षेत्र दो भिन्न भिन्न जिलों में भी फैले हुए होते हैं और जिलों की भिन्नता के कारण उसी इलेक्ट्रिक सब-डिवीजन के (परन्तु विभिन्न प्रशासनिक जिले में स्थित स्थानों पर) बिजली कॉन्ट्रेक्टर्स को सब-डिवीजन के सब स्थानों पर काम करने की इजाजत नहीं दी जाती? यदि हां, तो सब-डिवीजन बनाने का क्या प्रयोजन है?

(श्री जुझारसिंह)

(३) क्या सरकार एक ही इलेक्ट्रिक सब-डिवीज़न (परन्तु दो भिन्न भिन्न प्रशासनिक जिलों में) काम करने वाले कॉन्ट्रेक्टर पर उस क्षेत्र की किसी भी जगह पर काम करने की स्वतंत्रता को स्वीकार करेगी व उन पर लगी हुई वर्तमान पाबन्दी को हटावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) कुल ४५ सब-डिवीज़न हैं। पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(२) जी हां। सब-डिवीज़न तो केवल विद्युत् मंडल की सहूलियत से बनाये गये हैं पर बी श्रेणी के ठेकेदारों को प्रशासनिक जिले के क्षेत्रों में ही कार्य करने की अनुमति दी है।

(३) "ए" श्रेणी के ठेकेदारों को समस्त राज्य में काम करने की अनुमति पहले ही दी हुई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लैन्ड मॉर्गेज बैंक, नागौर

४५. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(अ) लैन्ड मॉर्गेज बैंक, नागौर की स्थापना कब हुई तथा इसमें कुल सदस्य कितने हैं ?

(ब) डेगाना तहसील के कुल सदस्य कितने हैं ?

(स) अब तक इस बैंक ने कितना ऋण बांटा है और किस किस तहसील में कितना कितना ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(द) क्या यह सही है कि जिला परिषद्, नागौर ने इस बैंक का हैडक्वार्टर डेगाना में रखने की सिफ़ारिश की थी ?

उत्तर

(अ) नागौर प्राथमिक सहकारी भूमि बन्धक बैंक लि० नागौर की स्थापना दिनांक २४-९-६० को हुई, इसमें कुल ४८८ सदस्य हैं।

(ब) डेगाना तहसील के कुल सदस्य २३२ हैं।

(स) अब तक बैंक ने कुल ४१७७०) रु. के ऋण बांटे हैं उसकी तहसीलवार विगत निम्न प्रकार है:—

१. मेडता	२५५७०)
२. नागौर	५५००)
३. डेगाना	८२००)
४. परबतसर	२५००)
	४१,७७०)

(द) जी हां।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

निम्बाहेडा क्रय-विक्रय संघ के अधिकारियों का वेतन

१५. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेडा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

निम्बाहेडा क्रय-विक्रय संघ के अध्यक्ष, मंत्री व कोषाध्यक्ष कौन कौन हैं ? उनके नामों के साथ यह भी बताने की कृपा करें कि इनको वेतन कितना कितना दिया जाता है ?

उत्तर

निम्बाहेडा क्रय-विक्रय संघ के नाम की कोई सहकारी समिति नहीं है. निम्बाहेडा क्रय-विक्रय सहकारी समिति नाम की सहकारी समिति है जिसके अध्यक्ष श्री श्रीनिवास शारदा हैं। इस क्रय-विक्रय सहकारी समिति में मंत्री व कोषाध्यक्ष नहीं हैं। अध्यक्ष को कोई वेतन नहीं दिया जाता है।

उदयपुर डिवीजन में जंगल का ठेका

१६. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गत ७ सालों में उदयपुर डिवीज़न के किस जंगल का कितने कितने रुपयों में किस किस ठेकेदार को ठेका नीलामी में दिया ? सूची दीजिये ।

(२) गत ५ सालों में जिस जंगल के ठेकेदार की अवधि समाप्त हो गई उसमें से किस किस की अवधि बढाई गई और क्यों ? सूची दीजिये ।

उत्तर

(१) सूची संलग्न है ।

(२) सूची संलग्न है ।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान में आयुर्वेदिक औषधालय

१७. श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ६४-६५ में राजस्थान में कितने आयुर्वेदिक औषधालय किस किस जिले में खोले गए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) उपरोक्त औषधालय किन किन आधारों पर खोले गए ?

(३) क्या यह सही है कि संचालक, आयुर्वेदिक विभाग, राजस्थान, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक एफ. ४।१।१४।५७-५८। ११९४३-४७, दिनांक २७ जुलाई, ५८ के द्वारा सरपंच गादिया, सब-तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ को यह लिखा था कि ग्राम गादिया जिला विकास समिति की सिफारिश में शामिल है और वहां वर्ष ५९-६० अथवा ६०-६१ में औषधालय खोला जा सकेगा ?

(४) उपरोक्त ग्राम में अभी तक औषधालय नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) औषधालय जिला परिषदों की सिफारिशों के अनुसार खोले गये । १४००० व पिछड़े हुए क्षेत्रों में ८००० की जन संख्या पर एक औषधालय खोला गया है ।

(३) जी हां ।

(४) औषधालय जिला परिषदों के प्रस्तावों पर खोले जाते हैं । उक्त गांव को जिला परिषद् से औषधालय खोलने के प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने से औषधालय नहीं खोला गया है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

औषधालय में औषधि और स्टाफ पर व्यय

१८. श्री श्रवणलाल (हिंडौन-सु०) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) प्रत्येक श्रेणी के औषधालय के लिये कितना वार्षिक व्यय स्वीकृत है और उसमें से औषधियों पर कितना और स्टाफ पर कितना व्यय स्वीकृत है ?

(२) प्रत्येक श्रेणी के औषधालय के लिये क्या क्या स्टाफ स्वीकृत है ?

उत्तर

(१) आयुर्वेदिक विभाग में अ० ब० स० श्रेणी के औषधालय चल रहे हैं । वार्षिक बजट

(श्री आयुर्वेद मंत्री)
का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में औषधि क्रय ए क्लास के लिए ५०००) रु० से लेकर २०,०००) रु० तक, बी श्रेणी में ६००) रुपये एवं सी श्रेणी में ६००) रुपये औषधि क्रय का मापदण्ड निश्चित् है ।

(अ) श्रेणी औषधालयों में रोगी संख्या के अनुपात से स्टाफ में कमी-वेशी है और इसलिए वार्षिक व्यय बी श्रेणी के औ का ६०००) रु० है, सी श्रेणी का ५०००) रु० और ए श्रेणी का १५ हजार से ३५ हजार तक का व्यय होता है ।

(२) ए श्रेणी के लिए—३ वैद्य, ६ धात्री उप-वैद्य एवं ६ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ।

(ब) श्रेणी के लिए—१ वैद्य, १ उप-वैद्य, १ धात्री एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ।

सी श्रेणी के लिए—१ वैद्य, १ उप-वैद्य या १ धात्री एवं १ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्वीकृत है ।

पंचायत समिति, पाटन को कुओं के निर्माण हेतु रकम

१६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति केशवराय पाटन को कुओं के निर्माण तथा उनकी मरम्मत व लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से कोई रकम दी गई है ? यदि हां, तो कुल कितनी रकम गत तीन वर्षों में पंचायत समिति पाटन को दी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त रकम को उन ग्रामों में खर्च करने के आदेश थे, जहां पर पानी का अभाव है तथा नहरों का निर्माण नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो उक्त संबंधित रकम किन किन ग्रामों में कितनी कितनी किस किस पंचायत के मारफत उक्त कार्य हेतु दी गई है ?

उत्तर

(१) जी हां । ३०,०००) रु० की राशि दी गई ।

(२) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । यह रकम पंचायतों की मार्फत नहीं दी गई बल्कि काश्तकारों को ऋण के रूप में दी गई ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति इटावा द्वारा बैलों के लिये तकाबी के रूप में वितरित रकम

२०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पंचायत समिति इटावा ने सन् १६६२ से १६६५ में अब तक कितनी रकम बैलों के लिये तकाबी के रूप में वितरित की ?

(२) कितने काश्तकारों को रकम वितरित की गई है और उनमें से कितने अनुसूचित जाति के और कितने अनुसूचित जन-जाति के हैं ?

उत्तर

(१) १,७१,६०३) रु० की रकम वितरित की है ।

(२) ३०२ काश्तकारों को । ८७ अनुसूचित जाति के एवं ८८ अनुसूचित जन-जाति के हैं ।

सरपचों के खिलाफ गबन व जालसाजी के मामले

२१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में पिछले पांच वर्षों में सरपंचों के खिलाफ गबन एवं जालसाजी के कितने मामले प्रकाश में आये ?

(२) ऐसे मामले कितनी राशि से संबंधित थे ?

(३) कितने मामले पुलिस को दिये गये, कितने विभागीय तौर पर सुलझाये गये और कितने जेर-कार्यवाही हैं ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में डाक्टर व कम्पाउण्डरों की कमी

२२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील पीपल्दा के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में डाक्टर व कम्पाउन्डर की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

पीपल्दा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र म डाक्टर के स्थान पर कम्पाउण्डर ग्रेड प्रथम कार्य कर रहा है। दो कम्पाउण्डर ग्रेड द्वितीय एवं एक कम्पाउन्डर ग्रेड तृतीय कार्य कर रहे हैं। कम्पाउण्डर ग्रेड तृतीय का एक स्थान रिक्त है वह भी आर. एन. सी. की परीक्षा के बाद नियुक्ति कर दी जावेगी। डाक्टर के रिक्त स्थान की पूर्ति राज्य में डाक्टरों के अभाव होने के कारण नहीं की जा सकी।

पंचायत समिति शाहबाद में बीज वितरण

२३. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति शाहबाद में सन् ५७ से ६२ तक कुल कितना बीज वितरि किया गया ?

(२) इन वर्षों में जो बीज दिया उसमें कितना वसूल हुआ व कितना बाकी है ?

उत्तर

(१) कुल १,९५,०५५ रु० का बीज वितरित किया गया।

(२) ४९,३६२ रु० वसूल हो चुके हैं व १,४५,६९३ रु० बकाया हैं।

तकावी के रूप में वितरित राशि का उपयोग

२४. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति डग क्षेत्र, जिला झालावाड़ में सन् ६२-६३ व ६३-६४ में कितनी राशि तकावी के रूप में वितरित की गई ? कितनी राशि का उपयोग हो चुका है ? कितनी राशि का कितने व्यक्तियों ने उपयोग नहीं किया तथा ऐसी राशि की वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

क्रमशः ५८१२०) रु० व ५५८१३) रु० की राशि वितरित की गई। १,०५,९३३)

Page No 33

(श्री पंचायत मंत्री)

की राशि का उपयोग हो चुका है। शेष ८०००) रु० की राशि का १२ व्यक्तियों ने उपयोग नहीं किया है जिसके लिये काम पूरा कराने व रकम वसूली के लिए नियमानुसार कार्यवाही चालू है।

(११.१२ म. पू.)

विभिन्न स्थगन-प्रस्तावों विषयक अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगन-प्रस्तावों की सूचना मिली है जिनका संबंध चूरू व बीकानेर जिलों में व राजस्थान के अन्य भागों में वर्षा के अभाव के कारण जो फसलों की स्थिति है उससे संबंधित है। इसी संबंध में कई प्रस्ताव हमारे राज्य की खाद्य-स्थिति के संबंध में आये हैं। मैं आशा करता हूं कि इन सारी समस्याओं पर मंत्री महोदय कोई उचित समय पर वक्तव्य देंगे ताकि सारी स्थिति खाद्यान्नों के बारे में और जो और प्रश्नों की स्थिति है उसके बारे में सदन के समक्ष सारी स्थिति हमारे राज्य की आ जाय।

कुछ स्थगन-प्रस्ताव आये हैं हमारी सीमा-सुरक्षा के संबंध में और जोधपुर में और अन्य क्षेत्रों में जो बमबारी हुई है उससे उन प्रस्तावों का संबंध है। कल और आज प्रातः जोधपुर में जो बमबारी हुई है उसमें काफी व्यक्ति मारे गये। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित किया गया है कि आज तक जो भी हमारे प्रदेश में इस तरह की बमबारी हुई है या नुकसान हुआ है उसके संबंध में मुख्य मंत्रीजी आज तीसरे पहर करीब दो बजे इसके बारे में एक वक्तव्य देंगे। वे सारी जानकारी कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि उनके वक्तव्य से माननीय सदस्यों ने जो नोटिसेज दिये हैं उनकी मंशा पूरी हो जायेगी।

अब जो सदन की निर्धारित कार्यवाही है उसको प्रारंभ करने से पूर्व मंत्री महोदय भरतपुर में जो बाढ़-स्थिति है उसके संबंध में वक्तव्य देंगे।

(११.१३ म. पू.)

भरतपुर में बाढ़-स्थिति पर शासकीय वक्तव्य

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, भरतपुर जिले के अधिकांश क्षेत्र में और धौलपुर उप-खंड में तारीख ३ सितम्बर से ५ सितम्बर, १९६५ तक ...

श्री रामकिशन (वर) : सुनाई नहीं पड़ रहा है, यह माइक बन्द है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : भरतपुर जिले के अधिकांश क्षेत्र में और धौलपुर उप-खंड में तारीख ३ सितम्बर से ५ सितम्बर तक अभूतपूर्व वर्षा हुई है। इस संबंध में राजस्थान के भरतपुर जिले और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुई बरसात इस प्रकार है, ३ तारीख से ५ तारीख तक की कुल, मैं बता रहा हूं :—

कामां	..	..	११.६२ इंच
पहाड़ी	..	..	११.४५ ,,
सीकरी	..	..	११.७४ ,,
डीग	..	..	१४.७५ ,,
भरतपुर	..	..	१७.९० ,,
कुम्हेर	..	..	८.७५ ,,

यू. पी. का जो एरिया उसके साथ में जुड़ा हुआ है उसी इलाके में —

खातोली	..	..	१५.०० इंच
बरसाना	..	..	१५.०५ ,,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सौंख	३१.०२ इंच
छोटी कोसी	१८.०३ ,,
बासोती	१५.०६ ,,

इस प्रकार से कुल इलाके में मिलाकर इतनी ज्यादा बरसात हुई। इन तीन दिनों के समय में वर्षा ११.५० इंच से ३१ इंच तक उस इलाके में हुई। इस भयंकर वर्षा के कारण भीषण बाढें, विभिन्न डिप्रेशन्स, रूपारेल, कामां, पहाड़ी और गोवर्धन नालियों में आई। दिनांक ४-६-६५ से पंजाब में हमारे वातिनियामक (रेग्यूलेटर) के द्वारा ४०० क्यूसैक्स पानी का बहाव राजस्थान में आया। हमारी कामां—पहाड़ी नालियों और घिरे हुए जल-गृह क्षेत्र से जो पानी कामां झील में आया वह २६०० क्यूसैक्स था, जब कि इस वर्ष के लिये नाली की वर्तमान क्षमता ८०० क्यूसैक्स है और आगामी वर्ष से अधिकाधिक होने वाली नाली की क्षमता १२४० क्यूसैक्स है। उत्तर प्रदेश के अधिकारी ३ सितम्बर से ५ सितम्बर तक ४०० क्यूसैक्स पानी उनके गोवर्धन नाली के मुहाने पर स्थित रेग्यूलेटर से ले रहे हैं। परन्तु अभूतपूर्व वर्षा के कारण और उनके क्षेत्र भीषण बाढ़ से ग्रसित होने के कारण तथा भरतपुर-मथुरा बड़ी रेल्वे लाइन को खतरा होने के कारण, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने ५ सितम्बर, १९६५ दोपहर बाद अपना रेग्यूलेटर बन्द कर दिया; इस कारण कामां के डहर और ऊपरी रीचेरा के अन्यान्य डिप्रेशन्स में पानी का स्तर बढ़ता गया जिस कारण राजस्थान के क्षेत्र और अधिक बाढग्रस्त हो गये। उत्तर प्रदेश के नियामक (रेग्यूलेटर) उत्तरोत्तर भाग में राजस्थान का अधिकतम क्षेत्र जो पानी में डूबा वह लगभग १७५ वर्गमील है जिससे लगभग ३०० गांव प्रभावित हुए।

डीग-कुम्हेर क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण पानी का भारी बहाव मोती झील के नीचे की ओर जाता देखा गया। किन्तु सामयिक कार्यवाही से इस बाढ़ का जल भरतपुर नगर को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना ही गिरराज नहर द्वारा निकाल दिया गया।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण बाढ़ का पानी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की प्राकृतिक ड्रेनेज लाइन गोवर्धन नाली व पश्चिम पर की नीची सतह में भी आई। गोवर्धन ड्रेन को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि जहां से वह चलती है उस हैड पर ८०० क्यूसैक्स व राजस्थान व उत्तर प्रदेश सीमा के पास १५०० क्यूसैक्स जल का निकास हो सके। किन्तु जल का अधिक से अधिक निकास जो कि भरतपुर-मथुरा ब्रॉडगेज रेल्वे लाइन पुलिया में दिनांक ४-६-६५ को देखा गया, वह १२००० क्यूसैक्स के लगभग था। इन बाढों के कारण गोवर्धन नाली कई स्थान पर राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में टूट गई जिससे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र व राजस्थान का लगभग ३३ मील का क्षेत्र जल प्रभावित हो गया। इससे भरतपुर-आगरा, मथुरा-अछनेरा व बयाना-आगरा रेल्वे लाइन भी टूट गई। इसी प्रकार सड़कों पर भी यातायात (डीग, गोवर्धन, भरतपुर-मथुरा, भरतपुर-आगरा) सड़कों के जल में डूब जाने से अवरोध हो गया था।

जैसे ही हमें यह ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने ५-६-६५ को रेग्यूलेटर बन्द कर दिया तो हमारे अलवर व भरतपुर के अधिशासी अभियंताओं ने उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित अधिशासी अभियंता से रेग्यूलेटर को खोल देने के लिये कहा। वे उसे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

खोलने के लिए राजी नहीं हुए। हमारे अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने ६ से १२ सितम्बर तक व मुख्य अभियन्ता ने ७ से ९ सितम्बर तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। ये ८ सितम्बर को उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियंता, आगरा मंडल के आयुक्त व मथुरा के जिलाधीश से इस बाबत बातचीत करने मथुरा भी गये। मैंने स्वयं ने टेलीफोन किया केन्द्रीय सिंचाई व विद्युत् मंत्री से गोवर्धन नाले को रेग्यूलेटर द्वारा कामां झील से पानी छोड़ने के लिए अनुरोध किया। इस विषय पर हमारे मुख्य सचिव ने भी टेलीफोन से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश से सम्पर्क स्थापित किया। उत्तर प्रदेश अधिकारियों ने दिनांक ९-९-६५ को २०० क्यूसैक्स पानी छोड़ना प्रारंभ किया जो कि दूसरे दिन ८०० क्यूसैक्स तक बढ़ा दिया गया। दिनांक १०-९-६५ व ११-९-६५ को मुख्य अभियंता (बाढ़) केन्द्रीय जल व विद्युत् आयोग व हमारे अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने कामां झील के नीचे के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश रेग्यूलेटर से पानी छोड़ना दिनांक १२-९-६५ को १००० क्यूसैक्स से बढ़ाकर १७-९-६५ को १२०० क्यूसैक्स कर दिया गया। इस कारण हमारा ५५ वर्गमील का क्षेत्र बाढ़ से रिक्त हो गया।

आशा कि ५० वर्ग मील क्षेत्र दिनांक ३१-१०-६५ तक बाढ़ रिक्त हो जायगा। अगर उत्तर प्रदेश रेग्यूलेटर द्वारा पानी छोड़ने की यही रफ्तार रही तो ऐसी आशा की जाती है कि ८० प्रतिशत कामां झील व ऊपर की डहरों का डूबा हुआ क्षेत्र मध्य नवम्बर, १९६५ तक रबी की फसल के लिये उपलब्ध होने की आशा है। गत वर्ष १५ दिसम्बर तक भी करीब ३०-३५ वर्ग मील जमीन पानी में थी। इतनी ही जमीन इस बार १५ नवम्बर तक पानी में रहेगी।

जिलाधीश भरतपुर ने निम्नलिखित साधन बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों के सहायतार्थ अपनाए :—

करीब ३०० से ऊपर गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और ६२,९६९ एकड़ क्षेत्र में पानी भर गया जिससे करीब ४४,५२४ एकड़ भूमि खड़ी फसल को नुकसान हुआ। इस नुकसान का अन्दाजा १५०) रु० प्रति एकड़ पैदावार का लगाते हुए, ६२,२८,६००) रु० का नुकसान हुआ है। इसके अलावा १२,३१५ घर ज्यादातर कच्चे या तो बिल्कुल टूट गए या उनका कुछ हिस्सा गिर गया। जिनका अन्दाजा नुकसान ३३,४५,१००) रु० होता है। इस प्रकार फसल व मकानों की कुल क्षति अन्दाजा ९५,७५,०००) रु० होता है।

पिछले वर्ष भी इस जिले में १४९ ग्राम बाढ़ग्रस्त हुए थे। ५२,६२७ एकड़ रकबे की फसल खराब हुई थी जिसका औसतन नुकसान ४४,४१,४२०) रु० आंका गया। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में तत्काल ही सहायता दी गई थी। ३२० बोरी आटा, २१८ बोरी चना, ५० बोरी गेहूं तथा २ मन गुड़ लोगों को दिया गया। इसके अतिरिक्त ६,०००) रु० ग्रेच्यूटीस रिलीफ व १४०००) रु० तकावी के लिये अलॉट किये गये हैं।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के मवेशियों को चरने के लिये डीग सब-डिवीजन में पहाड़ताल का एरिया तथा किले का व चौरासी खम्भे का एरिया खोल दिया गया है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पी. एम. ओ. भरतपुर ने पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में दवाइयों का पूरा प्रबन्ध कर दिया था और वहां आवश्यकतानुसार दवाइयों का वितरण हुआ।

मवेशी या आदमियों में बीमारी या भुखमरी फैलने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अलबत्ता ज्यादा वर्षा के कारण दीवार गिर जाने से एक व्यक्ति के मर जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ऐसा अन्दाज है कि करीब ७५ ग्राम ऐसे होंगे जिनमें कि पानी रबी की फसल तक नहीं सूखेगा और इस प्रकार अन्दाजन ३० हजार से ३५ हजार एकड़ तक रकबा रबी की बुवाई से वंचित रहेगा।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के पीड़ितों को वितरण हेतु ३० टन जी. सी. शीट का कोटा अलॉट हुआ था जिसमें से १५ टन डीग को, ५ टन भरतपुर को व ५ टन बयाना को एलॉट कर दिया गया है। शेष ५ टन बाढ़ के सिलसिले में विशेष मांग आने पर दिया जावेगा। पंचायत समितियों द्वारा आवश्यकतानुसार सीमेन्ट भी लोगों को दिया गया है।

बयाना व डीग सब-डिवीजन में जलमग्न ग्रामों से लोगों को लाने के लिये नावों का समुचित प्रबन्ध किया गया है। डीग में हरिजन व जाटवों के करीब २०० परिवारों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से हटा कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। ऐसी आशा है कि भविष्य में गोवर्धन ड्रेन में ठीक प्रकार पानी चालू होने पर इस जिले में भरतपुर, डीग व कामां तहसीलों के क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति कम हो जावेगी।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि आवश्यकतानुसार सहायता समय पर पहुंचा दी गई थी और इस विषय में कोई उदासीनता नहीं बरती गई और सब लोगों ने पूर्ण सतर्कता से कार्य किया।

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव से भी प्रकट होता है और मंत्रीजी के बयान से भी प्रकट होता है कि भरतपुर जिले में हर साल बाढ़ से बर्बादी होती है। मंत्रीजी ने खुद ने स्वीकार किया है कि इस वर्ष फसल और मकानों का नुकसान १ करोड़ रुपयों के आसपास है। यह स्थिति अभी नयी पैदा हुई हो ऐसी बात नहीं है। राजस्थान निर्माण के बाद सन् ५५-५६ में भरतपुर जिले में १ करोड़ ५० लाख का नुकसान हुआ। राज्य सरकार की ओर से हर साल वक्तव्य दिया जाता है और कहा जाता है कि इस तरह की व्यवस्था की जायगी लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता। मंत्रीजी ने कहा है कि २०-२५ गांवों में पानी रहेगा, मैं व्यक्तिगत तौर से भी निवेदन कर चुका हूं और यहां फिर कहता हूं कि ये आंकड़े भ्रमात्मक, गलत ढंग से आपको दिये गये हैं। कामां-डीग में १०० से ज्यादा गांव ऐसे होंगे जहां पूरे साल में पानी घटने का सवाल नहीं है। टेक्निकल रिपोर्ट शायद आपके पास आ जायगी कि पानी कम हो गया है लेकिन १५ दिसम्बर तक जिन खेतों में पानी रहेगा क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर फसल हो सकेगी? रबी की फसल को तो नुकसान हुआ है ही है पर खरीफ की फसल भी हो नहीं सकती। राज्य सरकार से मैं एक निवेदन यह करूंगा कि इस सारे पहलू की टैक्निकल जांच करावें। गोवर्धन नेहर टैक्निकली फेल हो गई है। आपने कहा कि

(श्री रामकिशन)

वहां पर इस साल असाधारण वर्षा हुई है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि भरतपुर में यदि ५-६ इंच वर्षा होगी तो भी दोनों में पानी भर जायेगा। १ करोड रुपये इस पर बर्बाद हुए हैं। मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाय किसकी गलती रही है जिसके कारण हर साल बर्बादी होती है। सरकार निश्चित तौर से जिम्मेदारी ले और केवल कुछ राहत देने और टीन आदि देने से काम नहीं चलेगा बल्कि लोगों की क्षति पूर्ति करने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी।

यह तीन राज्यों का विवाद है। पंजाब पानी छोड देता है, उत्तर प्रदेश लेता नहीं और राजस्थान का नेतृत्व कमजोर है। मैं यह नहीं कहता कि गोवर्धन से पानी लाकर भरतपुर को आप डुबो दें, लेकिन वर्तमान राजस्थान सरकार और नाथूरामजी जब तक मंत्री हैं तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीनियर मंत्री हैं जो इनकी परवाह नहीं करते और पंजाब के मंत्री बात नहीं मानते। इसलिये मैं भरतपुर और इनके कल्याण के लिये निवेदन करूंगा कि इस योजना को केन्द्रीय सरकार को दे दें। बाढ नियंत्रण तीन राज्यों के बीच का सवाल है इसलिये इसे राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार को सुपुर्द करना चाहिये। कामां, डीग और पहाडी क्षेत्र में बाढ से काफी नुकसान होता रहता है। राज्य सरकार की पता नहीं, क्या नीति है? भरतपुर में जितने बांध हैं, दो को छोड कर, बरेठा और अजान को छोड कर, सभी टूट चुके हैं इसका नतीजा यह होता है कि बाढ चलती रहती है। मैं जानकारी चाहूंगा जैसा कि आप कहते हैं कि इस साल बरसात असाधारण हुई है, लेकिन सन् ४२ से अब तक के आंकडे ले लें, हर साल कितनी वर्षा हुई है। आप सन् ४२ को ही ले लें, उन दिनों इतना नुकसान नहीं हुआ था जब कि बहुत ज्यादा भयंकर बरसात हुई थी। आखिर इस प्रश्न को केवल बरसात पर नहीं टाला जा सकता। उस समय टैक्निकल ज्ञान भी उतना नहीं था। आज अच्छे अच्छे इंजीनियर्स आपके पास हैं, नया नया उनको ज्ञान है। उन्होंने ज्यादा क्षमता प्राप्त कर ली है। मैं इस पर दोष नहीं लगाना चाहता कि इसका कारण राजनैतिक है। राजनैतिक कारण ऐसा नहीं है कि बाढ हमारी तरफ भेजते हों, यह बात नहीं। राजनीतिक कारण यह है कि यदि बीकानेर या नागौर में बाढ आती तो फौरन इन्तजाम हो जाता क्योंकि वहां पर राजनीतिक नेतृत्व है। हमारे इधर हल्ला-गुल्ला होता है तो मंत्रीजी कहते हैं कि टेलीफोन से बात कर ली है। सी. एम. ने टेलीफोन कर दिया इसी से काम हो गया, ऐसी बात नहीं। यदि आप सोचते हैं कि आप में बाढ रोकने की क्षमता है तो निश्चित घोषणा कीजिये कि बाढ नहीं आयेगी आज चीन से लडाई की तैयारी हो रही है उनके द्वारा यांगटीसिक्यांग नदी पर कन्ट्रोल हो सकता है, तो क्या आप रूपारेल की बाढ नहीं रोक सकते जिससे हर साल करोडों रुपयों का नुकसान हो रहा है? मंत्रीजी ने जो कुछ कहा है उससे भी पता चलता है कि कामां, पहाडी और गोवर्धन ड्रेनेज फेल हो चुकी हैं। इसमें जो बाढ आती है उससे नीचे की बस्ती में जो हरिजन और दूसरे लोग रहते हैं उनको भारी नुकसान होता है। मैं जांच की मांग करता हूं।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि मंत्रीजी ने बताया कि १२ हजार मकानों

(श्री रामकिशन)

को नुकसान हुआ है, उनका यह अनुमान गलत है। यदि आप इसको सही समझते हैं तो जांच कर लीजिये। वहां पर १० हजार हरिजन और गरीब लोग नीचे के मुहल्लों में रहते हैं, उनके मकान टूट गये हैं, उनकी जमीन में पानी भर गया है, फिर भी राज्य सरकार उनसे लगान वसूल करती चली आई। पहले भी विधान सभा में सवाल उठा था, मैंने पर्चा भी लाकर दिखाया था। उनकी जमीन पानी में डूब जाती है, फिर भी सरकार उनसे लगान वसूल करती है। सरकार घोषणा करे कि आगामी साल में सरकार उनको क्या क्या राहत देगी? इन्सानियत के नाते मांग करते हैं, तब भी राज्य सरकार उल्टा आचरण करती है।

भरतपुर जिला अनाज और सरसों सरप्लस पैदा करने वाला जिला रहा है। लेकिन इन बाढों के कारण लगातार भरतपुर जिला एक डेफिसिट जिला बनता जा रहा है। बाढ से जमीन पर तो नुकसान हो ही रहा है, इसके साथ ही भरतपुर की आर्थिक हालत भी खराब होती चली जा रही है। भरतपुर जिला राजस्थान में एक घनी आबादी वाला जिला है और उसके सामने ये तीन संकट हमेशा आते चले जा रहे हैं। भरतपुर जिले में जब भी बाढ आती है तो हमारे मंत्रीजी का दौरा हो जाता है और चीफ इन्जीनियर का दौरा हो जाता है। उसके बाद वे दुबारा भी जाते हैं, लेकिन इससे संकट नहीं टल सकता है। वे हमेशा सोचते हैं कि अगली साल यह मामला सुलझ जायगा, लेकिन इस साल जो ज्यादा बांध टूटे हैं उसके बाद भी बांधों के मेन्टीनेन्स की ग्रान्ट नहीं बढाई है। मैं समझता हूं कि बांधों के मेन्टीनेन्स के लिये जो तीन लाख की ग्रान्ट देते हैं उसको आपने अगर तिगुना या चौगुना नहीं किया तो बाढ की रोकथाम के लिए टैक्निकल इन्तजाम कुछ भी कर लीजिये, अगली साल बाढ का रूप और भी भयंकर होगा। आज स्थिति यह है कि वर्षा की मिकदार पन्द्रह इंच के बजाय अगर सात इंच भी हो जाय तो भी बाढ आयेगी। इसलिए मेरा पहला सुझाव यह है कि भरतपुर जिले के लिये बांधों के मेन्टीनेन्स की ग्रान्ट बढायें। दूसरे यह कि फ्लड कन्ट्रोल के तहत इन सारी योजनाओं को आप एक साथ लें। आज की जो योजनायें हैं उन योजनाओं का सिलसिला इतना लम्बा और दूर जाने वाला है कि उनका तत्काल कोई परिणाम नहीं निकलता है। मैं समझता हूं कि यह ऐसा मामला है जिसे प्राथमिकता देकर युद्ध-स्तर पर तय किया जाना चाहिये। आज १९५६ से लेकर १९६५ भी खतम होने को आ रहा है, लेकिन आप इस बाढ की समस्या को हल नहीं कर सके हैं। जब कि भरतपुर जिले में पिछली साल तीन तहसीलें बाढ में आई थीं, इस साल छः तहसीलों में आई है और यही स्थिति रही तो अगली साल बारह तहसील बाढ में आयेंगी क्योंकि जैसे जैसे बांध टूटते हैं वैसे वैसे पानी आगे फैलता है और इस कारण से खडी फसल बरबाद हो जाती है। इसके साथ ही आपने जो मृत्यु के आंकडे दिये हैं वे बिल्कुल गलत हैं। आपने बताया है कि एक आदमी की मृत्यु हुई है।

मैं आपको बताऊं कि एक नरेना गांव है डीग तहसील में, वहां पर एक औरत मर गई है। मैं पिछले दिनों पंचायत समिति में डिफेन्स फंड के सिलसिले में गया

(श्री रामकिशन)

था। जब मैं वहां था तो मेरे सामने एक औरत की लाश को लेकर गये थे। पानी डीग के अन्दर इस तरह से भरा हुआ है कि उसके कारण रास्ते बन्द हो जाते हैं और कुए डूब में आ जाते हैं। जब किसान खेतों को जाते हैं तो कुए में गिर जाते हैं। आप कहेंगे कि वह औरत कुए में गिर कर मर गई, वह अज्ञानता के कारण मर गई। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर बाढ़ आ जाय और कोई औरत अपने पति के लिए रोटी लिये हुए जाय और कोई कुआ डूब में आया हुआ हो तो उसमें गिर सकती है।

आज भरतपुर जिले में जीवन और धन बरबाद हो रहा है, और भरतपुर हर तरह से बरबाद होता चला जा रहा है। आज राज्य सरकार वहां रहने वाले लोगों की मदद नहीं करे? हम उसकी अपेक्षा भी नहीं करते हैं। हम राज्य सरकार से भीख नहीं मांगते हैं कि आप यह करिये, वह करिये; हम चाहते हैं कि जितना टैक्स आप हमसे लेते हैं उसको ध्यान में रख कर आप मानवीय दृष्टिकोण से विचार कीजिये। आप समझते हैं कि बाढ़ का मामला इस तरह टल जायगा कि दो मन गुड बांट दिया। आपने जो वक्तव्य दिया है उससे लगता है कि आपने क्या मदद नहीं दी है, आपने क्या बांटा नहीं है? आपने गुड से लेकर, मिट्टी का तेल और पी. एम. ओ. के द्वारा दी गई दवाएं तक गिना दी हैं। लेकिन इन सबसे यह बाढ़ की समस्या नहीं सुलझेगी। आपने एक करोड का नुकसान माना है जब कि गैर सरकारी आंकडे करोड से काफी ऊंचे हैं। लेकिन मैं सरकारी आंकडों को ही विश्वस्त मानता हूं क्योंकि गैर-सरकारी आंकडे अनुमान पर आधारित होते हैं। तो आपके आंकडे सही मान लें तो १९५६ से लेकर अब तक १ करोड के आस-पास हर साल नुकसान हो रहा है और आपकी सरकार और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं इसे कोई विवाद का प्रश्न नहीं बना कर आपसे यह आश्वासन चाहता हूं कि आप इन दो ड्रेनेज की टैक्निकली इनकी स्थिति और उसके कारणों की जांच कराने के लिए तैयार हैं या नहीं? दूसरे, राज्य सरकार जो फसल की बात कह रही है वह भी गलत है। इस सदन में वहां के सदस्य मजलिस खां बैठ हैं, वे आपके दल के सदस्य हैं। हो सकता है कि आपके दबाव में वे आ जायं, यह सम्भव है। लेकिन आप उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछें कि पिछली बाढों में कितने मेवों के मकान और खेत उजड गये, जो हरिजन हैं जिनके कच्चे घर हैं वे कितने टूट गये। उनके ही मकान और उनकी ही जमीन खराब हो रही है। उस इलाके के गरीब लोगों पर ही संकट आ रहा है। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट रूप से घोषणा चाहूंगा कि लगान के सम्बन्ध में क्या फैसला करेंगे और इसके अलावा राहत के क्या काम करेंगे? इसके अलावा भरतपुर जिले में काफी अनाज बह गया है। हम इस संकट काल में कोई आन्दोलन खडा नहीं करना चाहते हैं और लोगों को समझा-बुझा कर और तसल्ली के साथ में जो चाहेंगे वह करा सकते हैं लेकिन महीने, डेढ महीने में अनाज का संकट भयंकर होने वाला है। आप राजस्थान के खाद्य मंत्री भी हैं। एक तो स्मगिलग से वहां से काफी अनाज चला गया है और दूसरे बाढ़ में काफी अनाज बह गया। इसके अलावा आपने सरप्लस मान कर चार लाख मन चना निकलवा दिया है। इस कारण भरतपुर

Page No 40

(श्री रामकिशन)

जिला अनाज के संकट में घिरने वाला है । सौभाग्य से आपके पास ही दोनों विभाग हैं खेती और खाद्य, इसलिए आप अपनी निश्चित धारणा बतायें जिससे हम लोगों को संतोषप्रद कुछ कह सकें, अन्यथा आप यह बयान दे दें कि कामां, पहाड़ी, कुम्हेर इलाके के लोग उन जगहों को खाली कर सकते हैं । वैसे तो वहां के लोग दोनों ही स्थितियों को स्वीकार करेंगे, लेकिन आप इनमें से एक स्थिति के सम्बन्ध में बयान दे देंगे, तभी हम लोगों को समझा सकते हैं । आज भरतपुर की बाढ़ का सवाल जीवन-मरण का सवाल बना हुआ है और यह सवाल हल नहीं होता है तो वहां की आर्थिक स्थिति भी काफी गिरेगी । जो भरतपुर अनाज और सरसों का उत्पादक क्षेत्र है अब वहां इसकी उपज में भी कमी होगी और लोगों की पर केपिटा आमदनी में भी कमी होगी । अगर आप यह ही चाहते हों कि नागौर की भेड-बकरी रह जायं, दो लाख भेड और तीन लाख बकरी और उनसे आमदनी वहां पर हो तो दूसरी बात है । नहीं तो अनाज और सरसों के उत्पादन में अगले सीजन में मंत्रीजी आपको आंकडे काफी घटे हुए नजर आयेंगे । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन सब बातों को गम्भीरता से सोचें और आपके पास अब तो नौजवान टेक्निकल इन्जीनियर हैं उनसे आप पूछिये और जो इन सबके लिए जिम्मेदार हो इस गलती के लिए, उस पर जिम्मेदारी डालिये ।

अभी उत्तर प्रदेश के इन्जीनियरों से मैं मिला था परसों, तो उन्होंने मुझे कहा है, आप चाहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, कि छः इंच की वर्षा के बाद ही भरतपुर ही नहीं, आगरा, गोवर्धन खत्म होते चले जायेंगे । मैं जो गोवर्धन और कामां-पहाडी ड्रेनेज के बारे में बाता रहा हूं, वह कोई मुझे दूसरों ने सूचना दी हो उसके आधार पर नहीं कह रहा हूं । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से आश्वासन दें ।

श्री मजलिस खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में कामां तहसील की बाढ़ की स्थिति के बारे में जो कुछ बताया है वह किसी हद तक सही है ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आवाज नहीं आ रही है ।

श्री उमरावसिंह डाबरिया (बनेडा) : आवाज जितनी है उतनी आयेगी ।

श्री मजलिस खां : कामां, पहाडी में जो बाढ़ आई उसका मुख्य कारण यह है कि कामा, पहाडी, डीग नगर में जितने भी इरिगेशन के बांध हैं उनकी आज तक मरम्मत नहीं कराई गई है । तीन तारीख को वर्षा शुरू हुई और चार तारीख की शाम को रिपोर्ट मिली कि पछोपा, बडौली धाऊ, छिछवाडी, कैथवाडा, डावक, राफ, पथराली, सतवाडी ये सात-आठ बांध एकदम टूट गये, जिनके सम्बन्ध में मैंने क्वेश्चन भी रखा था कि इन बांधों की मरम्मत कराई जाय । लेकिन नाम-मात्र के लिए वहां पर मिट्टी डाल दी जाती है । ये सात-आठ बांध टूटे और इनके साथ ही सीकरी, नगर, पहाडी-नगर रोड टूटी, आपकी कामां-पहाडी रोड टूटी, आपकी जुरेडा-कामां रोड टूटी और कोसी-कामां रोड टूटी । ये रोड्स जितनी टूटी हैं उनके सम्बन्ध में कई बार निवेदन किया है कि ये रोड्स नीची हैं और यदि छः

(श्री मजलिस खां)

इंच भी वर्षा हो जाती है तो पानी इन पर ओवर फ्लो हो जाता है। लेकिन निर्माण मंत्री ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

दूसरी बात यह है कि रूपारेल नदी के बारे में बताया है कि उसके अन्दर दस इंच बाढ आई है। इससे पहले उसके अन्दर बारह फीट, ग्यारह फीट बाढ आती रही है लेकिन उससे नुकसान नहीं हुआ है। रूपारेल की बाढ ने नुकसान इसलिए किया है कि उसमें से जो बारह नहरें निकलती हैं उनकी मरम्मत नहीं कराई गई है। जब कि इस इलाके के अन्दर गन्ने की फसल, पेड्डी की खेती और गहूं की फसल बैस्ट फसल होती है, तब भी इस इलाके में फसलें इसलिये नष्ट हो जाती हैं कि शुरू से वहां पानी पहुंचना चाहिये वह न पहुंचा कर मनमाने रूप में पानी पहुंचा दिया जाता है।

आपने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि एक व्यक्ति की मौत के बारे में खबर मिली है। लेकिन इस रिपोर्ट में यह नहीं कहा है कि वह कहां का व्यक्ति था? मैं निवेदन करूं कि डीग में सात तारीख तक बहुत सी भेड, बहुत सी बकरियां, बहुत से मवेशी, बहुत सी भैसें और चारपाई पर बैठे हुए बच्चे फ्लड में बह कर आये हैं जिन्हें लोगों ने पकडा है, जिसकी आपकी रिपोर्ट में चर्चा नहीं है। आपको इसके लिए धन्यवाद है कि आपने दो सौ बोरी चने की बांट दीं या दो बोरी गुड की बांट दीं। लेकिन बीस हजार मन चना और एक हजार मन गुड और बेहिसाब गेहूं बह गया। इतना इस बाढ से नुकसान हुआ है, जिसका सरकार क्या बदला चुकायेगी? सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इतनी मदद कर सके। मैं निवेदन करूं कि ये आंकडे दिये हैं, ये आंकडे किसी हद तक सही हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि आपने पचहत्तर गांवों के लिए स्वयं माना है कि पचहत्तर गांव बाढ में रहेंगे। लेकिन इसके साथ में आपने आश्वासन नहीं दिया कि सरकार इन पचहत्तर गांवों की क्या सहायता करेगी, इन गांवों में रहने वाले परिवारों को और मवेशियों को किस तरह से बसायेगी? बहार ताल के जंगल बिल्कुल खाली रहते हैं उनमें सरकार घास नहीं उपजाती है और यह पचहत्तर गांव, जो बाढ में रहेंगे, वे बहार ताल से बीस मील दूर रहते हैं। वहां के मवेशी बहार ताल तक नहीं आ सकते हैं। तो फिर आपने उन पचहत्तर गांवों के लिए क्या इन्तजाम किया है?

तीसरी बात यह है कि वहां की फसल का सम्बन्ध है, आपने गन्ने की फसल, जो कामां–पहाडी की मुख्य फसल है, के सम्बन्ध में पचास हजार एकड में गन्ने की फसल के डूब में आने का अन्दाज लगाया है और १ करोड का नुकसान का अन्दाज बताया है। अब इस पचास हजार एकड में गन्ना कितना हुआ है, पेड्डी कितनी हुई है और गेहूं की फसल कितनी हुई है, बाजरे की फसल कितनी हुई, ज्वार की फसल कितनी हुई, गंवार की फसल कितनी हुई, ये आपने जो आंकडे दिये हैं, हो सकता है कि आपके डिपार्टमेन्ट ने जल्दी जल्दी में आपको ये आंकडे बतला दिये हों। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि आप ये आंकडे दुबारा लें और जो सही आंकडे हों उनको सदन की मेज पर रखें।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूं कि इन पचहत्तर गांवों के लिए आप यह आश्वासन दें कि एक साल के लिए इनमें

Page No 42

(श्री मजलिस खां)
रहने वाले लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए और मवेशियों के लिए सरकार क्या इन्तजाम करेगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में यह बाढ की समस्या जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी ने कहा, हर साल उत्पन्न होती है। सरकार को निश्चित तौर से इसको स्थाई रूप से हल करने के लिये, टैक्निकल रूप से एग्जामिन करवा कर हल निकालना चाहिये। जिस समय आजादी से पूर्व भरतपुर राज्य था उस समय वर्षा यदि आप देखें तो इस साल जितनी वर्षा हुई है उतनी ही हो या उससे भी अधिक हो, जो कई बार हुई है परन्तु जिस प्रकार की बाढ से जितना नुकसान आज हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। इसलिये लाजमी तौर से आम जनता यह विचार करेगी कि वे सामन्ती शासक भी अच्छे थे जो उस समय बाढ में अच्छा इन्तजाम करते थे। हालांकि कई परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। पंजाब ने कुछ इस तरह से पानी का निकास किया है जिससे गुड़गांव जिले का पानी भरतपुर में ज्यादा आने लगा है। इसके अलावा दूसरे ड्रेनेज बनाये गये हैं वे भी किसी दूसरे क्षेत्र को ज्यादा फायदेवन्द हो सकते हैं, लेकिन भरतपुर पर उसका एडवर्स इफेक्ट पडा है। इसलिये एक बात तो मैं यह चाहूंगा कि गवर्नमेन्ट स्थाई तौर से इस मामले को टैक्निकली एग्जामिन करवा कर इस पर महत्वपूर्ण डिसीजन ले।

इसका एक महत्वपूर्ण ताल्लुक मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी से भी है जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने जिक्र किया, रूपारेल नदी का जो मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी से भरतपुर में जाती है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि कामां क्षेत्र में कई बांध रूपारेल नदी की बेड में आते हैं....

एक माननीय सदस्य : मैंने यह नहीं कहा कि कई बांध रूपारेल नदी के बेड में आते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं सरकार से और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्निकल तरीके पर इस बात को एग्जामिन करवाना चाहिये कि इस रूपारेल नदी पर अलवर जिले में वारां के मुकाम पर एक बांध बांधा जा सकता है। यह एक कन्ट्रोवर्सी रही है। इसमें संदेह नहीं कि पानी रुक जावेगा। इसमें खास तौर से सीकरी के इलाके में किसानों को इरिगेशन में नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, यह देखने की बात है। मैं हरगिज नहीं चाहता कि जो इरिगेशन फेसिलिटीज वहां के किसानों को असेंदराज से मिलती आ रही हैं वहां के किसानों को किसी तरह से उन फेसिलिटीज से वंचित किया जावे और अलवर और मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी के किसानों को लाभ पहुंचाया जावे। लेकिन भरतपुर के फ्लड की प्रोब्लम जो आए दिन बढती जा रही है, गुड़गांव जिले के पानी का बहाव, जो नहरें बनी हैं उसका एडवर्स इफेक्ट और फिर रूपारेल नदी का पानी और भरतपुर का सिस्टम जिसमें कैनाल सिस्टम नहीं था, वहां पर उसके बहाव के जरिये से इरिगेशन किया जाता था, इन सारे दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए इसका टैक्निकली एग्जामिन किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अपने भरतपुर के माननीय सदस्यों को एश्योर करना चाहता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हूं कि हमारे दिमाग में यह कतई नहीं है कि भरतपुर में जो किसानों को इरिगेशन की फेसिलिटीज हैं उससे उनको वंचित कर दिया जाए और अलवर जिले के लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए । लेकिन जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठ कर हमें सोचना होगा और मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार टैक्निकल तरीके से इसको एग्जामिन करावे और मैं समझता हूं कि अलवर और भरतपुर के लोग जो टैक्निकल एडवाइस होगी उसको क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठ कर मंजूर करेंगे हमारी तो यह शिकायत है कि राजस्थान सरकार, बारां पर बांध बनाने का जब कभी प्रश्न उठाया जाता है तो टैक्निकल राय लेने से पहले ही यह प्रश्न उत्पन्न करती है कि पहले अलवर और भरतपुर के लोग इस पर एग्री हो जावें और इस प्रश्न को लेकर इसको टैक्निकल तरीके से एग्जामिन कराने से इंकार करती है और आपस में अलवर और भरतपुर के लोगों को लड़ाने और आपस में उकसाने का प्रश्न पैदा करती है । सरकार को चाहिये कि वह टैक्निकल एडवाइस इस बारे में ले । अगर टेक्निकल एडवाइस इस प्रकार की आए कि बारां में बांध बनाना उचित नहीं है और वह वहां के फ्लड कन्ट्रोल में कोई लाभदायक नहीं होगा तो इस स्कीम को वन्स फोर ऑल एबन्डन कर दीजिये, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा । जब गवर्नमेन्ट इसको टैक्निकली एग्जामिन कराने के बाद यह कहदे कि गवर्नमेन्ट इस नतीजे पर पहुंची है । मगर गवर्नमेन्ट इसको एग्जामिन कराने की कोशिश नहीं करे, मैं समझता हूं कि यह सरकार का एटीट्यूड कोई सही एटीट्यूड नहीं है । यह जनता की तकलीफों को सही तौर से हल करने की बात नहीं है ।

दूसरी बात हमने घग्घर की कही । इसके लिये हमारे एग्रीमेन्ट्स हैं । सेन्ट्रल पॉवर और सेन्ट्रल वाटर कन्ट्रोल बोर्ड है उसमें डिफरेन्ट स्टेट्स के बीच वायदे हुए हैं कि किस लेवल पर पानी छोड़ा जावेगा । ये वाटर लेवल जनता के हित की दृष्टि से तय किये गये हैं । मगर जब घग्घर में बाढ आई तो इस एग्रीमेन्ट को पंजाब सरकार ने नहीं माना । दूसरी स्टेटों ने इसको नहीं माना । अभी मंत्रीजी ने रिपोर्ट दी, यू० पी० की सरकार ने इस एग्रीमेन्ट को नहीं माना । मैं यह कहूंगा कि जो भी एग्रीमेन्ट होते हैं दोनों स्टेटों की जनता के हितों को देखते हुए होते हैं और यह वाटर लेवल जो तय किया गया कि इस लेवल के ऊपर पानी जाने के बाद पानी खोल दिया जाना चाहिये उसको हमें और दूसरी सरकारों को एड्हियर करना चाहिये । लेकिन हमारी सरकार, जिस समय पंजाब सरकार का प्रश्न आया तो फेल रही, यू० पी० का प्रश्न आया तो फेल रही । यह रिफ्लेक्शन हमारी सरकार पर और हमारे मुख्य मंत्री पर है, न कि केवल मंत्री पर । मैं यह नहीं समझता कि यह रिफ्लेक्शन केवल इरिगेशन मिनिस्टर पर ही है । एक एग्रीमेन्ट है और उसको दूसरे फ्लाउट करे और वे पूरे नहीं करा सके तो इसका क्या कारण है ? इसमें क्या कमजोरी है ? इसको मुख्य मंत्री को एग्जामिन कराना चाहिये । सेन्टर से इसके लिये एप्रोच करना चाहिये कि इस प्रकार के एग्रीमेन्ट्स इस तरह से फ्लाउट होते हैं, यह क्षेत्रीय भावना है और मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री क्षेत्रीय भावना से प्रेरित नहीं हों । यदि हमको नुकसान होता है तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
हम नुकसान को सहन करेंगे और अगर किसी दूसरे को नुकसान होता हो तो वे उसको सहन करें। हम यह कभी नहीं चाहते हैं कि अपने फायदे के लिये पंजाब या यू० पी० को ज्यादा नुकसान हो।

आज विशेष तौर पर पाकिस्तान का मुकाबला करते हुए हमारे पंजाब, यू० पी०, राजस्थान के लोग मिल कर भारत माता की रक्षा कर रहे हैं तो आज एकता की बात और भी मजबूती से हमारे सामने आई है, इसलिये क्षेत्रीय भावना से प्रेरित न होकर सही दृष्टिकोण को अपना कर इस प्रकार के एग्रीमेन्ट्स का सही तौर से पालन किया जाय, इस बात को सरकार एक्सेसाइज करेगी।

दूसरा, मैं यह निवेदन करूंगा कि जब फ्लड आ जाय, फसलों की पूरी बर्बादी हो जाय और सरकार की तरफ से लगान वसूली हो, यह बड़े ही दुख की बात है। जहां फसल होने का कोई इमकान नहीं है वहां किसी प्रकार की वसूली होने का सवाल ही नहीं होना चाहिये।

श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०) : माननीय अध्यक्षजी, जो भरतपुर की बाढ़ के बारे में मन्त्री महोदय ने बताया है वह करीब करीब ठीक है, लेकिन मेरे क्षेत्र में अजान बांध के बारे में, किरावली बांध के बारे में नहीं बताया है। आज हमारे यहां के कई गांव अजान बांध की डूब में हैं और आज भी खास तौर से अजान बांध को जब खोला गया है तो ५० गांव वाले चिल्लाये हैं और उन्होंने कहा है कि यह बांध खोला गया तो हम डूब जायेंगे, पर उसे खोला गया। अजान बांध में पानी था उसमें करीब २५ गांव थे जो डूब में थे, कहीं से निकलने के लिये रास्ता नहीं, उन गांवों की जनता चीखी-चिल्लाई कि इसको न खोला जाय फिर भी इरिगेशन के अधिकारियों ने तय किया कि बांध खोला जाय, उस बांध पर मीटिंग हुई और यह निर्णय लिया गया कि इस बांध को आज खोल देंगे, उन गांवों की सुविधा के लिये बांध को खोला गया, पर इसके पूर्व इलाके के गांव थे वे सारे के सारे वहां के लोग रोये। अजान बांध में जान-बूझ कर बाढ़ बनाई है, इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बांध को दो नदियों का पानी, गम्भीरी नदी का पानी तो इसमें पहले से आता ही था, बाणगंगा नदी का पानी भी इसमें लाया गया, मोतीझील और दूसरी जगह पानी जाता था वह भी अजान बांध में डाला गया है, इस कारण स्थिति हमेशा गम्भीर बन जाती है। अजान बांध को खोला जाता है तो स्थिति बड़ी गम्भीर बन जाती है, पूर्व के इलाके के गांवों में बड़ी भयंकर स्थिति पैदा हो जाती है। वहां की लिस्ट आपके सामने नहीं आई है। वहां के लोग कितने दुखी हैं, उनके पशुओं के लिये चारा नहीं है, लोगों को निकलने को रास्ता नहीं है, आवश्यकता की चीजें लाने के लिये वे बाजार नहीं जा सकते, बाजार जाने के रास्ते चारों ओर से घिरे हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि अजान बांध में ८० मोरे हैं, इन मोरों की क्षमता इतनी है कि इन मोरों को एक साथ खोल दिया जाय तो ५० गांव बरबाद हो जायं। इस प्रकार की परिस्थिति से वे गांव हमेशा परेशान रहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि अजान बांध पर जो मोरे हैं उनकी क्षमता इतनी है कि उनके खोलने पर तूफान खड़ा हो जाता है। मैंने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को निवेदन किया था कि इन मोरों के सामने इतना बड़ा बंध बनाया जाय जो सीकरी तक हो, जो कि

(श्री सांवलियाराम)
यू० पी० के इलाके में है, उसमें इस पानी को डाला जाय। पर होता यह है कि इस पानी को देने के लिये छोटा बन्ध चिकसाना कैनाल के नाम से बना हुआ है। उसकी क्षमता इतनी नहीं है, नाला खोलने पर वह ओवरफ्लो हो जाता है और लोगों की तबाही हो जाती है। मैं करीब १५ साल से देख रहा हूं कि मेरे पास ही बनेल गांव में कभी फसल नहीं हुई क्योंकि इस बांध के कारण हमेशा वहां पानी भरा रहता है। पटवारियों और रेवेन्यू के अधिकारियों का रवैया यह है कि लगान उन लोगों का कभी माफ नहीं होता है, उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और हर साल लगान देना पड़ता है। सिंचाई के लगान की यह स्थिति है, इस पर मैं आशा करता हूं कि सरकार ध्यान देगी।

दूसरे मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछले साल में मैंने निवेदन किया था कि वहां एक बांध बनाने का निश्चय किया गया, केन्द्र के मिनिस्टर साहब भी गये। वहां का एस्टीमेट सेंक्शन हो कर टेन्डर मांगे गये और टेन्डर स्वीकृत हुए। टेन्डर होने का नतीजा यह हुआ कि इस साल लगभग ३ लाख का काम कर देंगे, पर केवल ६ हजार का ही काम हुआ। जब कि यह चाहिये था कि तीन लाख नहीं, इससे भी ज्यादा खर्च करते। कहा यह गया था कि ३ लाख से भी ज्यादा खर्च कर देंगे, वहां ६ हजार का ही काम हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपके इरिगेशन अधिकारी इतने सुस्त हैं कि टेण्डर स्वीकृत होते हुए भी काम कराना नहीं चाहते। मैं इसके लिए सरकार को दोष नहीं देता। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अजान बांध, किरावली बांध है, इनकी ओर ध्यान दिया जाय, बाणगंगा नदी को रोक दिया जाय। गम्भीरी का पानी देते ही हैं। यही मेरा निवेदन है, सारी बातों पर ध्यान देकर दुबारा लिस्ट प्राप्त करेंगे और इस समस्या को हल करने के बारे में सही सहूलियतें देने की कृपा करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संबंध में केवल दो शब्द कहना चाहूंगा, सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

जहां तक माननीय सदस्यों की बातें सुनीं, उनका मतलब अनुमानतः मैं यह समझता हूं कि दो-तीन महत्वपूर्ण बातों के संबंध में सरकार को विचार करना चाहिये। एक तो माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया कि एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा बांध बना हुआ है, एक बांध टूटता है तो दूसरा भी टूटता है और तीसरा भी टूटता है, क्योंकि चेन ऑफ बांध है अगर यह समस्या सही है और आरोप लगाया गया है कि इन बांधों की अच्छी तरह से मरम्मत नहीं हुई है तो इस संबंध में सरकार को गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये। यह केवल राजस्थान का सवाल नहीं, यह सारे देश के जल बोर्ड का सवाल है इसमें पंजाब को, उत्तर प्रदेश की समस्याएं निहित हैं, राजस्थान का प्रश्न तो है ही। उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पादन का है। भरतपुर और अलवर जरखेज उत्पादन के इलाके हैं। वहां हर साल बाढ़ आवे, हर साल फसलें नष्ट हों तो यह सरकार के लिये गम्भीर समस्या है और सम्पूर्ण सरकार के लिये यह बड़ी भद्दी और रिफ्लेक्शन की बात है। यदि फसल नष्ट हुई है तो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सरकार को देखना चाहियें कि रबी की फसल कितनी नष्ट हुई है, जिस क्षेत्र में फ्लडिंग हुआ है, सैलाब के द्वारा खरीफ की फसल तो नष्ट हुई, पर रबी की फसल कितनी नष्ट हुई ? खरीफ और रबी कितने एरिया में मिस्मार और नष्ट हो जाती है, इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिये और सरकार को इस बारे में, मैं पुरजोर निवेदन करूंगा कि अगर क्षेत्रीय भावनाओं को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार तटस्थ रहती है, विशेष कदम उठाना ठीक नहीं समझती तो जैसे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान के हित में साहस के साथ ऐसे कदम उठाने चाहियें जिससे उत्पादन की समस्या का हल हो, उत्पीड़न की समस्या का हल हो । पहले भी ये समस्याएं आती थीं, उनका हल किया जाता था, रूपारेल में तो ३० साल पहले बाढ़ आई । माननीय रामकिशनजी ने कहा कि १९४२ में भी बाढ़ आई, तो यह बाढ़ आना कोई नई चीज नहीं है; साल हर साल यह समस्या बढ़ती ही चली जा रही है, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये । यह टेक्निकल समस्या है, उत्पादन की समस्या है । इन सारे तीन चार दृष्टिकोणों से इस पर सोच-विचार करके सरकार को साहसपूर्ण कदम उठाना चाहियें जिससे कि इस समस्या का हल हो ।

(१२.०० मध्यान्ह)

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जो माननीय सदस्यों ने बातें कहीं, उनके बारे में मैं संक्षेप में उत्तर देना चाहूंगा । खास तौर से श्री रामकिशनजी ने इस पोइंट पर जोर दिया कि इस योजना को वापिस ठीक तरीके से टेक्निकली रीएग्जामिन किया जाना चाहिये और जो कुछ योजना बनी है बाढ़ की भरतपुर में, वह समस्या का हल नहीं कर पा रही है और इसलिये इसको रीएग्जामिन करना चाहियें और साथ में मन में जो कुछ दुःख था उस बारे में जो कुछ बातें कहीं मैं उनको रिलेवेंट नहीं मानता कि राजस्थान सरकार कमजोर है और यू० पी० सरकार मजबूत है और भारत सरकार को दे देना चाहिए, राजस्थान सरकार के बस की बात नहीं है । यह बात न तो इन जैसे आदमी को कहनी चाहियें और न उसका रिलेवेंस ही था । जब यह योजना बनाई गई तो पिछले ५० सालों के बरसात के आंकड़ों को उस एरिया में हैं उनको मद्देनजर रखते हुए बनाई गई और सन् १९२४ से जो बरसात की औसत है, ज्यादा से ज्यादा उस इलाके में तीन दिन बरसात होती है, उस औसत से सन् १९५८ में ज्यादा हुई और इस साल तो बहुत ही ज्यादा हुई है । अभी आपके सामने आंकड़ों से मैं बता दूंगा । हमने एक साल में गत ५० साल की औसत बरसात को लेकर योजना का निर्माण किया । यू०पी० सरकार, पंजाब सरकार व राजस्थान सरकार के इन्जीनियर्स ने मिल-जुल कर भारत सरकार का जो सी० पी० डब्ल्यू० डी० है, जो टेक्निकली भारत में सर्वोच्च माना जाता है, उन सब की सलाह से सारे ड्रेनेज के काम को डिजाइन किया है और हमने ज्यादे से ज्यादा तीन दिन की बरसात का औसत सात इंच माना है और ७ इंच बरसात तीन दिन में अगर सारे इलाके में होती है तो जितना पानी उस इलाके में होगा उसको हम ७ दिन

Page No 47

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में ट्रेन आफ कर देंगे। मैं सदन की जानकारी के लिए पिछले दो तीन सालों के आंकड़े निवेदन करना चाहता हूं :

१९६२ में तीन दिन के अन्दर:–भरतपुर ३.४२ इंच, डीग ३.५, पहाड़ी ७.५ इंच, १९६३ में भरतपुर ४.२, कामां १.४, डीग ६.६, पहाड़ी ३.१५ इंच, १९६४ में सिर्फ भरतपुर के आंकड़े हैं; ६ से ११ इंच तक ज्यादा से ज्यादा ४,४।। इंच बरसात हुई। इस साल उसके मुकाबले में भरतपुर में तीन दिन के अंदर १८ इंच, कामां में ११.६२, डीग में १४.७५, पहाड़ी में ११.४५ इंच।

इस तरह से इस साल अगर औसत सारी एरियाज का मिलाया जाय तो करीब १४ इंच बरसात हुई, वह दूसरे सालों से और हमारी जो ड्रेन की कैपेसिटी थी उससे बहुत ज्यादा थी। जब इतनी बरसात हो जाय तो प्रकृति का प्रकोप ही है। इसलिए यह कहना कि टैक्निकली इसको देखा नहीं गया या उस इलाके की उपेक्षा करके बनाई गई या टैक्निकल साउंडनेस नहीं है, इसलिए रिव्यू किया जाय; इस प्रकार की दलीलों में ज्यादा तथ्य नहीं है। बहुत बड़ी एरिया में इनन्डेशन हुआ और बहुत बड़े हिस्से में पैदावार भी हुई। एक तरफ तो नुकसान भी हुआ और दूसरी तरफ फायदा भी। इतने बड़े एरिया को साफ करना पड़ता है।

यहां यू० पी० का जिक्र किया गया। यू० पी० की अपनी दिक्कतें हो सकती हैं। यू० पी० के अंदर बहुत बड़ी रेल्वे लाइन थी। वह लाइन अगर यू० पी० के पानी के साथ खोल दी जाय तो खतरा बन जाय। जो रेल पर पुल बनाया उसकी कैपेसिटी को भी ध्यान में रखा। इन सारे फैक्टर्स को कन्सीडर किया।

इस ड्रेन के मामले में यू० पी० सरकार का और भारत सरकार का राजस्थान सरकार के साथ सहयोग रहा है। महत्व उस रेल्वे लाइन का था। जहां १२०० क्यूसैक्स पानी निकल सकता है वहां १२ हजार क्यूसैक्स पानी इकट्ठा हो जाय तो फिर कहना कि सरकार कमजोर है या इलाके की उपेक्षा की जाती है या टैक्निकल साउंडनेस नहीं है, ऐसी दलीलें अच्छा हो कि विषय को समझ कर दें।

खास तौर से श्री मजलिस खां ने कहा कि बहुत से बांध टूट गए और मरम्मत नहीं होती है। जो बांध उस इलाके में बने हुए हैं जैसे डूंगरपुर के महारावल साहब ने कहा, बांध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वे बड़े नहीं हैं, पालें हैं। जहां तालाब बने हुए हैं वहां इनन्डेशन भी होता है। बांध के पालों को ऐसा खतरा नहीं होता है लेकिन यदि ढाई गुना या तीन गुना बरसात हो जाय तो क्या किया जाय। पिछले साल में जो बाढ़ से नुकसान हुआ उसकी पूरी मरम्मत करने में ढाई लाख रुपए लग गए। पालों की मरम्मत की गई। आखिर जो पालें फ्लड में आ गए, वे रेत से बनाए गए थे। रेत के पालों में तो रेत ही डाली जायगी। अनहोनी हो जाय तो क्या किया जाय? अगर हद से ज्यादा बरसात हो जाय तो निश्चित् तौर से जिन पालों की शक्ति ४ इंच हो और उसके बजाय १२ इंच हो जाय तो इतनी इन्टेन्सिटी को कैसे बरदाश्त किया जा सकता है?

Page No 48

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इसलिये यह कहना कि मरम्मत नहीं होने से टूट गया, यह सही नहीं है। अलवर में भी काफी बरसात हुई है। अलवर में दो-एक छोटे छोटे बांध टूटे हैं। भरतपुर में भी टूटे हैं। उनकी और मरम्मत करायी जावेगी। बांधों की मरम्मत नहीं कराने से और उनके इस कारण टूट जाने से बाढ आयी हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने कारण बताया आपको, ज्यादा बरसात होने से ऐसा हुआ है। ज्यादा पानी बरसता है तो पानी के कारण नुकसान भी अधिक होता है। अजान के बांध में बाण गंगा और गंभीर का पानी आता है। लोग कहते हैं कि उसमें पानी आये। वे चाहते हैं कि पूरा भरे, ज्यादा से ज्यादा भरे और उस कारण सैलाब हो जाय उनकी जमीनें, यह भी लोग चाहते हैं। कब मोरी खोली जाय, इसके लिये मीटिंग होती हैं। उसके बाद ही मोरियां खोली जाती हैं। जन-संख्या भी बढ़ रही है, भरतपुर में भी जोरों से बढ रही है। मोखे है वहां बीच में आकर लोग बस गये हैं। बरसात ज्यादा होती है तो फ्लड का पानी और दूसरी तरफ पीछे वाले लोग कहते हैं कि पानी खोलो, जिससे हमारी जमीनें खाली हों। कुछ तकलीफ इससे हुई है और कुछ नुकसान भी हुआ है। उधर का पानी नहीं खोलते है तो उधर वाले लोग चिल्लाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): पानी कैसे खोलते हैं और बाढ कैसे आ जाती है, यह तो ठीक है, आप तो मुद्दे की बात करिये। अलवर और भरतपुर जिलों के लोगों को बुलाकर कोई व्यवहारिक बात कीजिये। इसका कोई व्यवहारिक हल निकालिये। बारिश ज्यादा होती है या कम होती है, यह कोई तथ्य की बात नहीं है। ज्यादा बारिश पडती है तो पडती है।

श्री नाथूराम मिर्धा: बताना तो पडता है कि ज्यादा पानी पडने से यह होता है। नहीं बतायें तब तक कैसे समझ में आये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चेम्बर में बुलाकर कोई इसका व्यवहारिक हल निकालिये; आप लम्बी-चौडी डेस्क्रिप्शन बता रहे हैं, इससे क्या फायदा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लम्बा-चौडा नहीं बतायें तो गलतफहमी में पड जावेंगे।

रूपारेल के लिये भी कहा। पानी कम होता है तो ज्यादा लेने की कोशिश होती है और पानी ज्यादा होता है तो उनको कहने का मौका मिलता है। पहले भी इसको एग्जामिन कराया है, भरतपुर के साथ पुराना एग्रीमेन्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : टैक्निकली एग्जामिन कराया है फ्लड कन्ट्रोल की दृष्टि से ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रोज जिस प्रकार नोर्मल बरसात का पानी हो तो इसमें अधिक पानी नहीं है। ज्यादा बारिश होती है जैसी इस साल हुई है तो यह प्रोब्लम क्रीयेट करता है।

कुछ बातें अपने अपने दृष्टिकोण से कही गई हैं कि लगान की माफी होनी चाहिये और रियायत होनी चाहिये, वह आस्पेक्ट ज्यादातर राजस्व विभाग डील करता है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)
ज्यादा मदद की आवश्यकता है तो रेवेन्यू कलेक्टर्स मौजूद हैं। जो भी तकलीफ होगी उसके लिये राज्य सरकार मदद की आवश्यकता होगी तो साहनुभूतिपूर्ण दृष्टि से मदद करेगी।

रबी की फसल का नुकसान का सवाल नहीं है। १८५ स्क्वायर मील के लगभग फ्लड एरिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिजानी हुई उसको तो नुकसान ही होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : १५ दिसम्बर तक रकबा एक्सपोज हुआ था लास्ट ईयर, उसके बजाय १५ नवम्बर तक एक्सपोज कर देंगे। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि दिसम्बर के आखिर तक इस प्रकार की जमीनों में बीज बोया जाता है। इसलिये फ्लड की वजह से जमीनों में ज्यादा नुकसान होगा, यह कहा गया। मैं कहूंगा कि यह नहीं होगा। ज्यादा जमीनें एक्सपोज होंगी और फसल अधिक अच्छी होने की उम्मीद है और लोगों को तकलीफ और परेशानी हुई है उसके मुकाबले में उपज की दृष्टि से काफी उपज होने की गुन्जाइश है। ३०-३२ मील में तो पानी भरा रहेगा, उसको निकालना सम्भव नहीं होगा। कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी इतना एरिया तो रहेगा ही। पिछले साल के मुकाबले में पानी कम एरिया में ही रहेगा, अधिक में नहीं रहेगा। मैं समझता हूं, मैंने सारा स्पष्टीकरण कर दिया है।

श्री रामकिशन (वैर) : वहां से पर्चो उठा लाते हैं और जो वे कहते हैं वे यहां आकर बोल जाते हैं। वैसे आपका अध्ययन तो काफी विस्तृत है। ८२ में फ्लड आया उससे इतना अधिक नुकसान क्यों नहीं हुआ इसको भी छोड दीजिये, जैसा इस साल हुआ है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया और मरीज मर गया, डाक्टर का क्या दोष ?

आज आपका ढाई लाख का मरम्मत के लिये बजट है। जब भरतपुर स्टेट थी और दो आना रोज में मजदूर मिलता था उस समय पी. डब्ल्यू. डी. और इरिगेशन के लिए ३ लाख रुपया बजट में था। आज जब कि प्राइसेज दस गुनी बढ गयी हैं आज भी ढाई लाख का बजट है। कहा, मरम्मत कर देते हैं। कितने बांध हैं, कितने एक बांध पर छबडी मिट्टी डालते हैं ? आपका बजट नाकाफी है। और एक दिक्कत है। डीग अलवर के इलाके में लगता है। हमने तो चीफ इन्जीनियर साहब को कभी देखा ही नहीं। तकलीफ सुनने का मौका तो दीजिये। हमको हर साल बाढ से तकलीफ होती है और आप कहते हैं कि यह कर दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : हर साल की बात कहना गलत है।

श्री रामकिशन : आपको कैसे समझायें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : क्योंकि मैं मूर्ख हूं।

श्री रामकिशन : आप बहुत समझदार हैं। मूर्ख को तो समझाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा समझदार के सामने कहना और उसको समझाना मुश्किल है। फिर आप कहेंगे कि मछली होगी, चांवल होगा और सिघाडे का बीज अजमाया गया है। आपने तकलीफ को समझने की कोशिश की। आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, यह बात नहीं है; लेकिन रोग का इलाज नहीं हो

(श्री रामकिशन)
रहा हूं। आप मेन्टीनेन्स के लिये बजट को बढाइये। अगले साल यही दशा होगी और फिर आपके लम्बे-चौडे भाषण होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या आप कैटोगोरिकली इस हाउस को यह एश्योर कर सकते हैं कि भरतपुर जिले में दुबारा इतना पानी हो जाने पर कितने वर्ष बाद तक नुकसान नहीं होगा। दस साल, बीस साल तक फ्लड नहीं आयेगा, ऐसी कोई बात कह सकते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : यदि ८ इंच से अधिक पानी इस एरिया में किसी भी साल में नहीं होगा तो ७ दिन में जो पानी इकट्ठा होगा उसको सुखाकर निकाल दिया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने प्रश्न पूछा उसको समझे नहीं। मैंने यह पूछा है कि आप इस प्रकार के कदम उठा कर आगे इस प्रकार की बरसात होने पर भी फ्लड नहीं आयगा, इस प्रकार की कब तक व्यवस्था कर देंगे और कब तक इस प्रकार फ्लड नहीं आ सकेगा?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह इस योजना से नहीं की जा सकती। जिस योजना से यह ड्रेन बनी है, ७ इंच के बजाय १४ इंच हो जाय तो इससे यह संभव नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि यदि १४ इंच बरसात होती रहे दुर्भाग्य से तो आपकी जो योजना है उससे कोई लाभ नहीं?

श्री नाथूराम मिर्धा : पिछले पचास सालों में बरसात का जो औसत रहा है वह सात इंच से नीचे है, इस साल में १४ इंच बरसात हुई है तो क्या आप यह समझते हैं कि सात इंच की औसत के लिये कोई योजना बनायी जाय? वह १४ इंच बरसात होने पर भी उस भार को सहन कर सके, यह तो हो नहीं सकता या पहले से ही १४ इंच बरसात को झलने की क्षमता वाली स्कीम बना दें? यह कैसे संभव है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो कोई नहीं कह सकता कि अगले साल चौदह इंच बरसात फिर नहीं होगी? हो भी सकती है। जैसे जयपुर में पिछली बार बरसात के कारण जो तबाही हुई थी उसके लिये ३२ लाख की स्कीम बनायी, उस समय मुख्य मंत्री मूर्ख नहीं थे जो उन्होंने इसकी मन्जूरी दे दी। वे भी कह सकते थे यहां का बरसात का औसत इतना हमेशा नहीं रहा है। इस लिये अगली साल इतनी औसत बरसात वहां नहीं होगी या ज्यादा होगी, यह तो कोई नहीं कह सकता। यहां जब ३२ लाख की योजना बन सकती है तो वहां के लिये क्यों नहीं? आप इस तरह से हमेशा एक्सपेरीमेन्ट करते जायेंगे और लाखों-करोडों रुपये बरबाद करते जायेंगे यह तो कोई तरीका नहीं है सरकार चलाने का और सरकार द्वारा जवाब देने का।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इस प्रकार का प्रश्न कई जगहों के लिए उठा है?

(१२.२२ म. प.)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६५

श्री अध्यक्ष : इस समय आप न उठाइये राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६५।

Page No 51

(श्री अध्यक्ष)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल और रखा था ....

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में मुख्य मंत्री आज दो बजे वक्तव्य देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोधपुर की बम वर्षा के बारे में ......

श्री अध्यक्ष : उसके ऊपर और सारी स्थिति के बारे में।

इस विधेयक पर दो बजे पहले बहस समाप्त कर दें तो ठीक रहेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : [परिनियत संकल्प इस प्रकार है :—

"यह सदन राज्यपाल महोदय, द्वारा दिनांक २५ मई, १९६५ को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ (अध्यादेश सं० २, सन् १९६५) को अस्वीकार करता है।"]

अध्यक्ष महोदय, जो आपका आदेश है वह मैं हमेशा मानता हूं लेकिन इस संकटकालीन स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार के जवाब मंत्री महोदय द्वारा दिये जाते हैं उनको सुनकर बहुत अफसोस हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है और जिसके स्थान पर एक नया विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जायगा उस अध्यादेश को निरस्त करने के संबंध में मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है।

यह अध्यादेश है तो बड़ा छोटा सा और छोटा सा इतना सा कि जितना छोटा एटम बम होता है ....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : छोटा जितना ही खोटा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : महारावल साहब यह बिल्कुल आपने मेरी जुबान के शब्द छीन लिये हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : महारावल साहब ने छीना-झपटी का भी काम शुरू कर दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल एक क्लॉज है और उस क्लॉज में यह लिखा है कि जिन नगरपालिकाओं की अवधि समाप्त हो जाय उनकी निर्धारित तारीख से दो साल की अवधि बढ़ा सकते हैं। जो अधिकार राज्य सरकार को पहले कानून में एक साल की अवधि बढ़ाने का था इस अध्यादेश के जरिये वह अधिकार दो साल के लेना चाहते हैं। यह संशोधन बड़ा साधारण सा लगता है और अध्यक्ष महोदय, कल जिस समय पंचायत समिति और जिला परिषदें (संशोधन) विधेयक के संबंध में जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया था और उस संबंध में बोलते हुए सुरक्षा प्रयासों के संबंध में जो सुझाव मैंने सदन में दिये थे उनका उत्तर देते हुए भूतपूर्व राजस्व मंत्री जो इस समय पंचायत के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि वह अध्यादेश जुलाई में जारी हो गया था और संकटकालीन परिस्थिति अगस्त ५ के बाद

Page No 52

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जब कि पाकिस्तान ने काश्मीर में अपने घुसपैठिये भेजकर आक्रमण किया। लेकिन यह नगरपालिका अध्यादेश तो जुलाई में जारी किया गया था, उस समय रक्षा प्रयत्नों की दृष्टि से और कोई चीज नहीं थी इस प्रकार की इमर्जेन्सी जुलाई में नहीं थी। यह कल पंचायत मंत्री ने सदन में बताया, जो रेकॉर्ड पर मौजूद है और जिसकी जानकारी अध्यक्ष महोदय आपको तो है ही।

अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के जो स्वायत्त शासन मंत्री, श्री बरकतुल्ला खां साहब हैं या तो वे ज्योतिषी हैं, या वे अन्तर्यामी हैं या उन्हें कोई अहलाम हुआ होगा कि अगस्त के महीने में पाकिस्तान का आक्रमण होने वाला है, काश्मीर पर वे हल्ला बोलने वाले हैं और एमर्जेन्सी आने वाली है और उसी लिहाज से इस बिल में यह लिख दिया गया, २५ मई को जो यह अध्यादेश जारी किया उसमें ये कारण दिये गये हैं। "In the face of the state of emergency threatening our border............"

बोर्डर पर थ्रेट शुरू हो गई, अगस्त में युद्ध शुरू हो जायगा, यह उनको मई में ही पता चल गया था। ऑर्डिनेन्स के इश्यु करने के कारण जो बताये गये हैं उनमें लिखा है. "In the face of the state of emergency threatening our border general elections of the municipalities could not be held."

अब अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं ज्यादा विस्तार से विश्लेषण करना नहीं चाहता लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मई महीने में कोई एमर्जन्सी नहीं थी और इसकी जानकारी सदन के माननीय सदस्यों को नहीं थी, माननीय पंचायत मंत्री जी को नहीं थी, जैसा कि उन्होंने भी स्वीकार किया था। जुलाई के अन्दर जो जारी किया गया उस समय संकटकालीन स्थिति का लक्ष्य सामने नहीं था, ये सब बातें तो अगस्त में पैदा हुई। मैं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अगस्त में होने वाली स्थिति का आभास किस प्रकार मई और जुलाई में लगा लिया कि इस कारण चुनाव नहीं हो सकते ? यह बिल के उद्देश्यों में किस प्रकार से समावेश किया गया ? कौनसी बात उनके ध्यान में रही है, यह तो स्वायत्त शासन मंत्री उपस्थित होते तो वे बता सकते थे। लेकिन उप-मंत्री महोदय, जो इस विभाग से भी संबंधित नहीं हैं, जिनको सदैव कानूनी मसलों में यहां फंसा दिया जाता है जो इस विभाग से असम्बन्धित हैं वे उप-मंत्री इस बात का जवाब क्या देंगे, मैं नहीं कह सकता। आज मंत्री महोदय यह मानकर चल रहे हैं कि इस सदन का कोई महत्व नहीं है, अगर वे ऐसा समझते हैं तो सदन को स्थगित कर दें। जब वे इसका महत्व मानते हैं तो जोधपुर में बमबारी नहीं हुई। जोधपुर में और जोधपुर के आसपास के इलाके में बमबारी हुई है जो उप-मंत्री महोदय बैठे हैं वे उस क्षेत्र से ज्यादा नजदीक हैं और इन्होंने वहां के लिये काम भी किया है; वे तो यहां बैठे रहें और जैसे सारी जवाबदारी स्वायत्त शासन मंत्री पर है जो यहां पर नहीं आकर वहीं पर बैठे हैं। जिन उप-मंत्री के बारे में कह सकता हूं कि जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वे तो यहां बैठे हैं। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार को बचाने में और दूसरे लोगों की अनुपस्थिति में जवाब देने की और इस कानून में भी जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वे तो यहां

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उपस्थित हैं। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि सदन की कार्यवाही को हल्के तरीके से जो सरकार लेती है उसको इस तरीके को बदलना चाहिये। एमर्जेन्सी की स्थिति का मई के महीने में जिनको अहसास हो गया था तो राजाखेडा का चुनाव जो मई में हुआ उस वक्त एमर्जेन्सी कहां चली गई? जून में नोखा का चुनाव हुआ था जिसमें भाई दयाराम जी विजयी होकर आये थे, सारा कुछ हुआ; यदि उस समय एमर्जेन्सी का आभास आपको था तो ये चुनाव किस आधार पर करवाये? आज जिस परिस्थिति में हमारा देश गुजर रहा है इस लडाई के समय में भी लोकतन्त्री व्यवस्था हम चला रहे हैं। हिन्दुस्तान में आज जैसी कठिन परिस्थिति में भी हम लोकतन्त्र को चला रहे हैं। मिलिटरी डिक्टेटरशिप के आधार पर नहीं, लोकतन्त्री स्थापना के आधार पर हम लड रहे हैं आज जैसी संकटकालीन परिस्थिति में भी हमारी संसद् का अधिवेशन चल रहा है। कसूर, लाहोर, स्यालकोट आदि क्षेत्रों में जहां भारी युद्ध चल रहा है उस स्थिति में भी हमारी संसद चल रही है। डेमोक्रेसी के प्रोसेस हमने चालू रक्खे हैं। हमने यह माना है कि चाहे लडाई हो, कितनी ही संकटकालीन स्थिति हो हमारी लोकतन्त्रीय व्यवस्था भंग नहीं होने वाली है, हम लोकतंत्री व्यवस्था में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होने देंगे। सारी चीजें हम बाकायदा चला रहे हैं।

इस सदन की मान्यता है कि भारत सरकार की और भारत की जनता की यह मान्यता है कि हमने लोकतन्त्र की व्यवस्था को निर्विघ्न रूप से चलाते हुये भी इस युद्ध के संकट का मुकाबला किया है और आगे भी करने की ताकत रखते हैं।

पर ऐसा कुछ लगता है कि यह सब कुछ कहने के साथ साथ हमारे यहां जो परिस्थिति पैदा हुई उसका लाभ, दुर्भाग्य से, मैं यह कहना चाहूंगा, कि सत्तारूढ दल ने अपने संकुचित राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये उठाया है, यह मैं प्रमाण और पुष्टि के साथ कहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आपको अगर चुनाव नहीं कराने थे तो जिन नगरपालिकाओं की अवधि समाप्त हो गई थी और जिनके चुनाव होने चाहिए थे और आप चाहते थे कि चुनाव नहीं कराये जा सकते थे, उसमें समय लगता तो उन सबका कार्यकाल आप बढा देते, सबकी अवधि बढा देते। आपने यह क्यों नहीं किया? कहीं तो कार्यकाल बढा दिया और कहीं प्रशासक नियुक्त कर दिया। यह आपका कौनसा तर्क-संगत व्यवहार है? कौनसी रीजनिंग और लोजिक और कौनसा बेसिस है इसके पीछे?

मंत्री महोदय कह सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि विरोधियों की नगरपालिकाओं का ही कार्यकाल नहीं बढाया हो, हमने कई कांग्रेसी नगरपालिकाओं की अवधि भी नहीं बढाई है। हम जानते हैं आपके ये तरीके। आप ने उन कांग्रेसी नगरपालिकाओं की अवधि नहीं बढाई जो आपके व्यक्तिगत रूप से विरोधी हैं, जो आपके गुट के नहीं हैं, दूसरे गुट के हैं। आखिर ऐसा तो नहीं है कि यहां दो ही पार्टियां हों, कांग्रेसी और विरोधी। कांग्रेस में भी विरोधी पार्टियां हैं। ऐसा नहीं है, दुर्भाग्य से, कि वह एक हो, वह भी बटी हुई हैं आपस में अलग अलग खेमों में। यह दुर्भाग्य तो यहां तक है कि कांग्रेसी और विरोधी पार्टी वाले तो एक टेबल पर बैठकर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाय भी पी सकते हैं । पर कांग्रेसी-कांग्रेसी आपस में नहीं पी सकते । जैसे जादूगर का बक्सा होता है, डिब्बे में डिब्बा और डिब्बे में डिब्बा निकलता चला जाता है वैसे ही कांग्रेसी खेमे में गुट में गुट, दल में दल और दलदल में दलदल हो रहा है । तो ऐसी स्थिति में कहीं कहीं कांग्रेसियों की नगरपालिकाओं में भी आपने कार्यकाल नहीं बढाया है । तो इसलिये आप यह तर्क देकर नहीं चल सकते कि हमने केवल विरोधी नगरपालिका का ही कार्यकाल नहीं बढाया है बल्कि कांग्रेस की नगरपालिकाओं का भी नहीं बढाया है, कहीं कहीं । हां, अगर आप ने अपने गुट की किसी एक का भी कार्यकाल नहीं बढाया हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप सदन में चार्ज शीट दें कैटेगोरिकली । जो कोटा के लिये आप कहते हैं कि आपने वहां कार्यकाल नहीं बढाया इसलिये कि वहां करप्शन है । नाथद्वारा की विरोधियों की थी, उसका कार्यकाल इसलिये नहीं बढाया कि यहां करप्शन के चार्ज हैं । एक तरफ तो यह स्थिति है । दूसरी तरफ आप यह बतावें कि जैसे सीकर नगरपालिका का कार्यकाल बढाया है । आपने इस सीकर नगरपालिका के चेयरमैन को करप्शन के चार्जेज में सस्पेण्ड किया है । उसे बाद में आपने बहाल किया और उस नगरपालिका का कार्यकाल आपने बढाया । यह क्यों किया गया ? सिर्फ इसलिये कि पहले वे और गुट में थे बरकतुल्लाजी के गुट में थे, इसलिये सस्पेण्ड कर दिया था, आपको समर्पण कर के अब जब आपके गुट में आ गये तो आपने करप्शन के चार्ज से मुक्त कर दिया और उनका कार्यकाल भी बढा दिया । हालां कि वे थे तो कांग्रेसी, पर फिर भी आपने चूंकि वे दूसरे गुट में थे, इसलिये करप्शन के चार्ज लगाये और सस्पेण्ड कर दिया । करप्शन के चार्ज मैंने नहीं लगाये, आपने लगाये आपकी कांग्रेसी सरकार ने लगाये थे ।

किशनगढ की म्युनिसिपेलिटी, जिसका काम अच्छा बता रहे हैं, एक साल हो गया, जनरल मीटिंग उसकी नहीं हुई । जो साल भर में एक मीटिंग नहीं बुला सकती तो क्या यह उसका अच्छा काम है जिसकी बिना पर आपने उसका कार्यकाल एक्सटेन्ड किया ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की यह सरकार जो एक तरफ लोकतन्त्र का ढोंग रचती है उस राजस्थान में जिस ढंग से उसका यह स्वायत्त शासन विभाग काम कर रहा है और जिस तरह से स्वायत्त शासन संस्थाओं के साथ बर्ताव किया जा रहा है, मैं अदब से कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में नगरपालिकाओं की जितनी दयनीय स्थिति है, जितनी शोचनीय और राजनैतिक पक्षपात और भेद-भाव उनके साथ यह शासन करता आ रहा है वह अद्वितीय है । मैं नहीं चाहता कि मैं उन सभी बातों को यहां बताऊं, मैं सब नहीं कहूंगा, यह भी सही है, पर कुछ मुद्दे, जिनका कहना, जिनका जिक्र करना जरूरी है मैं उन्हीं का सदन में जिक्र करूंगा । अगर यही हालत रही तो निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की नगरपालिकाओं की जो स्थिति और अवस्था इस स्वायत्त शासन विभाग ने, सरकार ने और इसके मंत्रियों ने की है, आवश्यकता इस बात की है कि इस विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन किया जावे, मंत्री महोदय से यह विभाग ले लिया जावे । उपमंत्री, यदि ज्यादा एफीशियेन्ट हैं तो इरिगेशन और दूसरे विभाग को वे छोड दें, आप

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लोकल सेल्फ का ही एक महकमा ले लीजिये आपका जुडिशियल एप्रोच है। कोई भी कानून की बात आई, कोई भी एक्साइज का कानून आया, पंचायत का आया, वैलिडेशन का कोई बिल आया, फौरन आपको आगे कर देते हैं, परसरामजी इसे पायलेट करेंगे कौल साहब मुसीबत में आ गये तो कहें परसरामजी तुम बठो, बरकतुल्लाखां मुसीबत में आये तो कहेंगे परसरामजी तुम इसे पायलेट करो। इस फाइनेन्स के मसले में कोई कानूनी बात आई तो कहेंगे तुम पायलेट करो जैसे कि इन लोगों ने ऐसा मान लिया हो कि सारी मुसीबतें झेलने के लिये ये कोई पेटन टैंक हों। बात मानकर चलें कि संकटकालीन स्थिति है इसलिये हम कुछ नहीं कहेंगे। हिन्दुस्तान ने इन पेटन टैंकों को तोडा है उसी तरह यह विरोधी दल इस सदन में इस पेटन टैंक को भी तोड सकता है। इस सारी स्थिति में सरकार ने जो रवैया अपनाया है वह बडा खेदजनक है। मेरे पास बहुत मसाला है, उन सबको मैं यहां रख सकता हूं, नहीं रख सकता होऊं ऐसी बात नहीं है, पर अध्यक्ष महोदय, का आदेश-निर्देश मेरे ध्यान में है कि दो बजे से पहले पहले हम इसे समाप्त कर दें ताकि दो बजे वे बता सकें कि जोधपुर में जो कुछ बम्बार्डमेन्ट हुआ है और जो हालत पैदा हुई है उसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं। जेल अस्पताल पर जो बम गिरे हैं उनसे २० के मरने की खबर है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार। तो अधिक न कह कर मैं शीघ्र ही समाप्त कर देता हूं इसे।

एक उदाहरण रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बद्रीप्रसादजी, आप वहीं बैठे रहिये, आप भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री हैं, मैं, जिस समय ये मंत्री थे ५७ में उससे पहले की कुछ घटना है, उसका जिक्र करूंगा। तब से सिलसिला चला आ रहा था उस वक्त उप-मंत्री थे शाह अलीमुद्दीन। जयपुर 'सी' स्कीम में एक इमारत बनाई गई थी। उसमें नगर-पालिका के बाई-लॉज का कुछ वायोलेशन किया गया था। नगरपालिका ने केस को बाद में चल कर कम्पाउन्ड कर लिया। इस तरह से बिल्डिंग बनाने में वायोलेशन ऑफ रूल्स और बाई-लॉज का जो प्रश्न था खत्म हो गया। कुछ जुर्माना करके केस कम्पाउन्ड कर लिया। इसके बाद एक कोई व्यक्ति, अभी सरकार से जवाब लेंगे, आप से नहीं लेंगे (श्री बद्रीप्रसाद के अपनी सीट से उठने का उपक्रम करने पर) आप बैठे रहें गवाह की तौर पर अपनी सीट पर जहां आप हैं।

तो अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि किसी एक व्यक्ति ने, नाम मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं नाम लूंगा, उस आर्डर की उस कम्पाउन्ड की निगरानी पेश की सरकार के सामने और बताया कि म्युनिसिपैलिटी को केस को कम्पाउन्ड करने का अधिकार नहीं है। उप-मन्त्री जी ने और मंत्रीजी ने निगरानी सुनी, उन्होंने अपने नोटिस बनाये और शायद पता नहीं, निगरानी ना-मन्जूर करने वाले थे, पर इसके पहले ही चुनाव आ गये, उनके दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मेरे से चुनाव में वे हार गये, मैंने चुनाव में उनको हरा दिया। वे हार गये। इसके बाद श्रीमान जी, जो श्री ज्वालाप्रसादजी के दाईं तरफ बैठे हैं, उन्होंने उन सारे नोटिस के आधार पर निगरानी को मन्जूर कर लिया इस आधार पर कि म्युनिसिपैलिटी को केस को कम्पाउन्ड करने का अधिकार नहीं है। उनकी कोई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
गलती नहीं। दे दिया उन्होंने अपना निर्णय। अब उसके बाद वह व्यक्ति हाई कोर्ट में गया। रिट-पिटीशन दायर की, जिसका मकान था। हाई कोर्ट ने स्टे मन्जूर किया और कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं था निगरानी करने का। कमाल की बात यह है कि डिप्टी मिनिस्टर सुनता है, नोट्स तैयार करता है और मिनिस्टर फैसला देते हैं। यह नहीं हो सकता, डिप्टी मिनिस्टर ने सुना है तो वही फैसला करे। खास कर उन परिस्थितियों में जब कि नोट्स जो फाइल में लिखे हैं तो उन नोट्स के आधार पर मंत्री द्वारा फैसला दिया जाना और भी गलत है। कोर्ट ने केस को वापिस रिमान्ड किया। उस समय हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गवर्नमेन्ट सुप्रीम कोर्ट में गई। इसके बाद वहां से हाई कोर्ट को केस फिर रिमान्ड हुआ। रिहीयर हुआ फिर दुबारा यह केस।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : ये फैक्ट्स गलत बता रहे हैं। हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जुरिस्डिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फिर यह दुबारा गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाऊं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे मालूम है पूरा, मैं मिनिस्टर था तब।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाईकोर्ट ने इसी आधार पर फैसला दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हाई कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेन्ट को ऐसा करने का जुरिस्डिक्शन नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन रिट तो मन्जूर की।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने कहा, उस आधार पर नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह सारा फैसला मेरे पास मौजूद है। आप जो कहते हैं और जो मैं कह रहा हूं कोई दूसरी बात नहीं है, समझ का फेर है। हाई कोर्ट ने रिट मन्जूर की और गवर्नमेन्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था सुनने का और इसी आधार पर आपका फैसला रद्द कर दिया, मन्सूख कर दिया, सैट-असाइड कर दिया, स्ववैश कर दिया। इनका फैसला रद्द कर दिया और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में रिट की और सुप्रीम कोर्ट ने वापिस हाई कोर्ट को रेमीशन किया....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बहाल कर दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात तो कानून नहीं जानने वाले श्री नाथूराम जी भी जानते हैं। आप क्यों नहीं जानते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेन्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाई कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया और दुबारा सुप्रीम कोर्ट में रिट किया। यह डबल मार है और हाई कोर्ट ने जो फैसला किया और रिट मंजूर की उसकी ३ लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है :

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

"As a result, the petition is allowed and the order of the Government dated 17th September, 1957 is set aside. The petitioner.."

जिसका मकान था। अब खर्चा कौन देगा :

"The petitioners will get her costs from respondent No. 3, Shri D. D. Goswami who has been responsible for this litigation."

कौन है डी. डी. गोस्वामी ? आप कहें डिप्टी सेक्रेटरी है; पर्सनली जो इस सारे लिटीगेशन के लिए जिम्मेदार है। खर्चा देंगे पिटीशनर को राज्य सरकार। खर्चा उनके ऊपर, लिटीगेशन उनकी कोस्ट पर और राज्य सरकार चली जा रही है सुप्रीम कोर्ट में इस ग्रॉर्डर के खिलाफ और फिर "लीव टू अपील की एप्लीकेशन" पेश की है। मैं पूछना चाहता हूं कि दो व्यक्तियों का मामला, दो पडोसी हैं उनमें से एक राज्य सरकार का अधिकारी है और सिर्फ इसी आधार पर कि डिप्टी सेक्रेटरी है उसने सारे लॉ डिपार्टमेन्ट को और दूसरे डिपार्टमेन्ट्स को मजबूर किया। आप हाई कोर्ट में जायें, सुप्रीम कोर्ट में जायें, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया किन्तु लड रही है गवर्नमेन्ट पागल ! है ! पैसा बर्बाद करने के लिए ज्यादा है गवर्नमेन्ट के पास। अगर डी. डी. गोस्वामी को कोई राइट है, वे कहते हैं कि मेरी जाली और रोशनदान रुक गए और उसके लिये गवर्नमेन्ट लडे, ताज्जुब की बात है। गवर्नमेन्ट एक आदमी का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जायगी, मैं समझता हूं कि इतने पैसे की बर्बादी हुई और एक एक आदमी का मसला लेकर यह डिपार्टमेन्ट लडता है, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। यह सही बात है, उस समय आपने फैसला दिया, लेकिन मैं आज राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि आप गवर्नमेन्ट की कोस्ट पर एक आदमी के सवाल पर क्यों लडते हैं ? क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इतना पैसा बर्बाद करते हैं और खास तौर से जब कि हाई कोर्ट कहता है कि सारे लिटीगेशन के लिये जिम्मेदार हैं श्री डी. डी. गोस्वामी, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं और यदि लडना चाहते हैं तो वह व्यक्तिगत रूप से लडें। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, इस डिपार्टमेन्ट में कोई देखने वाला नहीं है।

दुर्भाग्य से और सौभाग्य से इस डिपार्टमेन्ट के मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर भी एक ही हैं। दोनों एक ही हैं, लेकिन चल रहा है। "अंधे पीसें, कुत्ते खायें"। कहीं भी आज कोई अपील करे ; इसका नमूना देखना है तो इस विभाग में जाकर देखें। आपने कभी सुना है कि सरकारी सडकों पर इमारतें बन जायें। आपके यहां विधान सभा भवन के सामने जो सडक है वहां पर कोई मकान खडा कर ले, ऐसी कल्पना कर सकते हैं ! लेकिन यह हो सकता है। हो सकता है, किसी को देखना है तो हथरोई के पीछे एक बस्ती गोपालवाडी बनी हुई है। अजमेर रोड पर पुल के दाहिनी ओर यह बस्ती है; उसमें मकान, आधे आधे मकान सारे खासा कोठी के पीछे जो सरकारी सडक है उसके आधे सिरे पर बने हुए हैं। मकानों की चार दीवारियां हैं, बाउन्डरी वाल्स हैं और हमारी सरकार ने ही वहां पर खूंटे डलवाये हैं और कहा है कि यहां तक मकानों की हद है। यह भी कोई जैसे सीज फायर है। आप ही देखिये कि आज हम अपनी सीमा के लिये कितना लड रहे हैं ? युद्ध विराम रेखा के लिये कितना लड रहे हैं ! सरकार जा जा कर कहे कि यहां तक अपनी चारदीवारी बनाओ, यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे हम कहें कि पाकिस्तान यहां

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तक आये और हम पाकिस्तान से कहें कि जोधपुर के ऊपर बमबारी करो तो हमारे अंदर जागरूकता आयेगी। एम. एल. ए. चिल्ला रहे हैं, अखबार चिल्ला रहे हैं लेकिन सरकार कहती है कि हम मौका देखेंगे। मौका देखा जा रहा है लेकिन आज तक सरकार की छाती पर वे मकान खड़े हैं, बाउन्डरी वाल खिंची हुई है, लॉन लग रहे हैं और उनमें पानी दिया जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर सकती। क्या किया आपने ? वहां पर गवर्नमेन्ट ग्राफिसर्स के अलावा कोई और मकान बना नहीं सकता है। कोई गरीब आदमी झोंपड़ी भी बना ले और गाय रखने के लिए कोई काउशैड बना ले-काउशैड कहते हैं गाय को रखने के लिए जगह; तो सरकार के नियुक्त अधिकारी कैसे आदेश जारी करते हैं संकटकालीन स्थिति में इसका एक नमूना मैं सदन को बताना चाहता हूं। मुझे याद आ गया। एक आदेश निकाला गया है सरकार के द्वारा नियुक्त उन अधिकारियों ने इस संकटकालीन स्थिति के अन्दर। उसमें लिखा है :

"Dear ir, please remove the kutcha sheds you have erected on the boundary wall as its presence in the days of bombing may result in injury to the houses in the neighbourhood and endanger the life of the people. Remove all inflammable material as cow-dung and ooples....

"उसमें पट्रोल और डीजल नहीं, बल्कि काउडंग है ऊपले और गोबर। "cowdung and ooples" यानी गोबर को हटाओ क्योंकि यह इनफ्लेमेबल है। जैसे रेल की गाड़ियों में पैट्रोल जाता है और स्टेशनों पर आपने देखा होगा कि उन डिब्बों पर लिखा होता है हाइली इनफ्लेमेबल। इसका मतलब यह हुआ कि आगे इसके लिए ऐसी गाडियां बनेंगी जिन पर लिखा होगा हाइली इनफ्लेमेबल और उसमें क्या होगा, गोबर। कुछ हंसी भी आती है और कुछ रंज भी होता है और फिर लिखा है आगे "..and cut all places where it involves a threat to people within three days."

ये आदेश हैं आपके नियक्त उन अधिकारियों के जिनका उपयोग आप संकटकाल में भारतीय जनता की रक्षा के लिए करना चाहते हैं, जिनको आपने नियुक्त किया और यह है राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात राजस्थान सीमावर्ती राज्य है और उसकी राजधानी जयपुर है और जयपुर में मंत्रि-मंडल और सचिवालय और आपके नियुक्त अधिकारी हैं, गोबर और गोबर के बने हुए ऊपलों को हाइली इनफ्लेमेबल मानते हैं और ये आदेश होते हैं।

आप (श्री उमरावसिंह ढाबरिया) उनके पास रहते हैं, इसलिए आपको सब बातें मालूम हैं, लेकिन आप कहते नहीं हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ हो नहीं सकता। ये आदेश जारी किये। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं की अवधि के संबंध में तो हो गया, लेकिन मई में जब कि थ्रेटनिंग एमर्जेन्सी थी और आपको जानकारी हो गई थी तो आपने राजस्थान की इन नगरपालिकाओं की स्थिति के बारे में क्या किया ? सीमा की रक्षा की दृष्टि से आपने अपने आपको कितना मजबूत किया ? आपने जयपुर में देखा, एक खाई नहीं है और खाई खुदेंगी तब जब कि जोधपुर की जैसे यहां भी बमबारी होगी और लोग वहां की तरह मर जायेंगे। तब उसके बाद में व्यवस्था करेंगे।

लोगों को ट्रेनिंग पहले नहीं दे सकेंगे और अगर पहले ट्रेनिंग नहीं दे सकेंगे तो लोग

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

खाइयों में नहीं जा सकेंगे और जायेंगे भी तो वहां वाली हालत हो जायेगी कि खाइयों में कूदे और माथा फूटा। यही हालत सब जगह होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी स्थिति पैदा न हो, इस बारे में आप विचार कीजिए। संकटकालीन स्थिति में जनता में असंतोष पैदा न हो, नगरपालिकाएं अपने कर्त्तव्य का सही ढंग से पालन करें, अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करें। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नगरपालिकाएं नागरिक सुरक्षा के प्रति बिल्कुल निष्क्रिय हैं और खास तौर से ऐसी नगरपालिकाएं जिनके आपके द्वारा नियुक्त प्रशासक हैं, जैसे सीकर की नगरपालिका, जिसका करप्ट चैयरमैन है, लेकिन वह सरकार का कृपा-पात्र है इसलिए उसका कार्यकाल बढाया गया है। सीकर में जो स्कैंडल हुए हैं और जिनका जिक्र भैरोंसिंहजी ने भी किया था और दूसरे कांग्रेस के मेम्बरों ने भी जिसका जिक्र किया था, मैं व्हील बैरोज का जिक्र नहीं करना चाहता, मैं ट्रैक्टर्स के घोटालों का यहां जिक्र नहीं करना चाहता, मैं जमीन के हडपने के मामलों का जिक्र नहीं करना चाहता, पैसे के दुरुपयोग की बातें नहीं कहना चाहता लेकिन, जो करप्शन के चार्जेज आपने खुद ने उन पर लगाए हैं उन्हीं का कार्यकाल आप बढाना चाहते हैं, उनकी जिन्दगी बढाना चाहते हैं और जिस नगरपालिका ने हाउस टैक्स नहीं लगाया, आपकी सारी कांग्रेसी नगरपालिकाओं ने हाउस टैक्स लगाया है लेकिन कोटा में जन संघ की म्युनिसिपैलिटी है, उसने हाउस टैक्स नहीं लगाया। सरकार ने नोटिस दिया कि सुपरसीड कर दी जाएगी। हमें सुपरसीड ोना मंजूर है लेकिन हाउस टैक्स की हमें जरूरत नहीं है। हमने चुंगी की चोरी को रोक कर आमदनी बढाई, फिजूल खर्ची को रोका बकाया की वसूली की और जो टैक्सों की चोरी होती थी उसको रोका और इस तरह अपनी आमदनी को बढाया। कोटा की नगरपालिका ने हाउस टैक्स लगाए बिना म्युनिसिपैलिटी को चलाया। ऐसी आदर्श नगरपालिकाएं और भी हो सकती हैं। यह मैं नहीं कहता कि कांग्रेस की ऐसी कोई भी नगरपालिका नही है। आज नहीं है तो क्या हुआ, पहले तो हो सकती थी अजमेर की म्युनिसिपैलिटी थी। आज की अजमेर की म्युनिसिपैलिटी के बारे में मैं नहीं कहता, इसके बारे में तो ज्वालाप्रसादजी बतावेंगे कि अजमेर की म्युनिसिपैलिटी की क्या स्थिति है ? यह मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो नगरपालिका क्षेत्र से आने वाले सदस्य हैं .....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह उनके देखने का विषय है। लेकिन आज की संकटकालीन स्थिति में राज्य सरकार नगरपालिकाओं की अवधि जिस आर्बिट्रेरी ढंग से, जिस मनमाने ढंग से, जिस राजनैतिक उद्देश्यों के आधार पर इन नगरपालिकाओं की अवधि बढाई गई है और इससे जो करप्शन बढाया है, मैं समझता हूं कि इससे बढ कर शर्म और लज्जा की बात इस शासन के लिए और नहीं हो सकती। इस संकटकाल के अन्दर कोई आवश्यकता नहीं थी कि इस प्रकार के अध्यादेश जारी किए जावें। अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान की धारा २१३ के अन्दर सरकार को दिया गया है, उसका शासन ने बड़ा भारी दुरुपयोग किया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि इस अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं है, इन सब नगरपालिकाओं की अवधि बढाने की जरूरत नहीं है । कोई मुसीबत नहीं आ रही है, कोई टैक्स का मामला नहीं है कि उसको वेलीडेट करना पड़े, पब्लिक एक्सचेंकर का कोई मामला नहीं है, इसलिए मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वह इसे डिस-एप्रूव कर दे, अस्वीकार कर दे और इसे अस्वीकार करके ही यह सदन राजस्थान की सबसे बड़ी सेवा करेगा क्योंकि जिन नगरपालिकाओं का कार्यकाल बढाया गया है वे करप्ट म्युनिसिपैलिटीज हैं, उन सब का एक ही झटके से खात्मा हो जाएगा और इसका बड़ा भारी पुण्य सदन को मिलेगा राजस्थान से भ्रष्टाचार मिटाने का । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा ।

(अनुपस्थित)

मंत्री महोदय कृपया उत्तर दें ।

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री, नगर विकास मंडल) :अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है उसके द्वारा जो अध्यादेश राज्यपाल महोदय ने प्रख्यापित किया है उसे अस्वीकार करना चाहिए; इस बारे में उन्होंने कुछ बातें कहीं और खास तौर से एमर्जेन्सी के सम्बन्ध में । उन्होंने कयास लगाया कि जब देश भर में स्थिति पैदा हुई एक अगस्त से, और वास्तव में एक सितम्बर से ही कहना चाहिए, खास तौर से तो, फिर यह कैसे अन्दाजा हो गया कि मई में ही ऐसी स्थिति देश में खड़ी हो जाएगी; मई में ही कैसे अन्दाजा हो गया कि ऐसी स्थिति आने वाले समय में देश में पैदा होने वाली है, उनका यह बयान सही नहीं है । जिस एमर्जेन्सी का जिक्र रीजन्स एण्ड ओब्जेक्ट में किया गया है वह इमर्जेन्सी जो अप्रेल और मई के महीने में कच्छ के बोर्डर पर जो स्थिति खड़ी हुई थी उससे है, उसका हवाला इस मौजूदा एमर्जेन्सी से नहीं है । यों तो चीन के अटैक के बाद देश में एमर्जेंसी की स्थिति चल रही है लेकिन अप्रेल के महीने में राजस्थान के बोर्डर के ऊपर एक ऐसी स्थिति खड़ी हो गई थी उस वक्त यह जरूरी था कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार, म्युनिसिपैलिटीज और सभी दूसरी पार्टीज को उस एमर्जेन्सी को मीट करने के लिए लगना चाहिए । खास तौर से मैं इस वक्त यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त कच्छ की स्थिति हुई, कच्छ की स्थिति अप्रेल के पहले हफ्ते में खड़ी हुई थी। ७ अप्रेल को लोक सभा में गृह-मंत्री, नन्दा ने यह बयान दिया था कि मैं उस एरिया का टूर करके आया हूं, वहां की स्थिति गम्भीर है और राज्य सरकार उस स्थिति से पूरी तरह से वाकिफ है । उसके बाद में १० तारीख को पाकिस्तान ने कच्छ पर हमला किया था; इसलिए इसे उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए । उस सारी स्थिति में इलेक्शन करवाना सम्भव नहीं हो सकता था और इस नतीजे पर पहुंचने के लिए सदन को मैं उसकी भूमिका में ले जाना पसन्द करूंगा ।

राजस्थान के अन्दर १४२ म्युनिसिपैलिटीज हैं । १४२ में से ७० म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव तो दिसम्बर ६३ तक करवा दिए गए थे, बाकी म्युनिसिपैलिटीज में से कुछ की टर्म्स खत्म नहीं हुई थीं और कुछ के इलेक्शन करवाने थे । तो इलेक्शन एक साथ ही करवाने के लिए, यूनिफार्म कराने का

Page No 61

(श्री परसराम मदेरणा)

फसला किया गया कि जब सब के टर्म खत्म हो जायं उसके बाद दिसम्बर १९६४ में में चुनाव कराये जावें। दिसम्बर ६४ में जब चुनाव कराने का मौका आया तो उस वक्त राज्य सरकार ने यह सदन में एलान किया था कि पंचायत के चुनाव मई और जून में कराए जायेंगे। मई-जून में राजस्थान में अकाल पड़ गया और अकाल के अन्दर लाखों आदमी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो गए और ऐसी स्थिति में पंचायतों के इलेक्शन नहीं कराए जा सकते थे। ऐसी स्थिति में यह तय किया गया कि पंचायतों के इलेक्शन नवम्बर में करवावें। लेकिन उस वक्त तक सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई और उनकी रिपोर्ट पर कुछ निर्णय दिए गए, उनकी रिकमन्डेशन्स पर सरकार ने कुछ डिसीजन लिए और उन डिसीजन्स की बिना पर पंचायत एवं जिला परिषद् एक्ट में संशोधन करना आवश्यक हो गया। अक्टूबर में जो विधान सभा का अधिवेशन चला उसमें एक्ट में संशोधन किया गया और संशोधन के बाद नवम्बर में इलेक्शन कराना सम्भव नहीं था इसलिए यह मुनासिब समझा गया कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के इलेक्शन दिसम्बर और फिर जनवरी, फरवरी ६५ में हों और इसीलिए यह जरूरी हो गया कि म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन फरवरी में कराए जावें। अतः फरवरी की डेट तय की गई। लेकिन फरवरी में इलेक्शन कराना इसलिए सम्भव नहीं हो सका कि चूंकि उस वक्त इम्तिहान चलते हैं और इम्तिहानों की वजह से स्कूलों की बिल्डिंगें और जो टीचर्स रिटनिंग ऑफिसर्स बनते हैं वे नहीं मिल सकेंगे और इसलिए यह तय किया गया कि म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन मई में करवाये जावें।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस सदन का सत्र १६ अप्रैल, १९६५ को समाप्त हुआ और उसके बाद तो देश में गम्भीर स्थिति पैदा हो गई। हमने सिविल डिफेंस के बारे में कार्यवाही की। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि आपने सिविल डिफेंस के सम्बन्ध में उस पीरियड में क्या कार्यवाही की थी। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जितने भी सिविल डिफेंस के मेजर्स हो सकते थे उस वक्त लिए गए थे, इन्क्लूडिंग जयपुर में। मई में शुरू कर दिए गए थे बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर के अन्दर। इसके अलावा वे स्टेप भी लिए थे, हालांकि जयपुर में उनका रिहर्सल नहीं हुआ था लेकिन जोधपुर और बाड़मेर के अन्दर जहां भी खतरा हो सकता था सभी प्रकार के रिहर्सल करवाए गए थे और सभी तरह के सिविल डिफेंस के स्टेप जो जरूरी थे लिए गए थे, उन पर एक्शन लिया था।

(१.०० म. प.)

तो यह कहना कि उस वक्त एमर्जेन्सी नहीं थी, यह सत्यता से दूर है। उस वक्त देश म एमर्जेन्सी थी। जब एमर्जेन्सी थी तो उसके प्रारूप में इस तरह की उन म्युनिसिपैलिटियों के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाते या उन म्युनिसिपैलिटीज का टर्म एक्सपायर करते, क्योंकि उनका टर्म अलग अलग समय में खत्म हो रहा था और उनका एक्स्टेंडेड पीरियड खत्म हो रहा था; इसलिए आवश्यक समझा कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बिठाना चाहिए और म्युनिसिपैलिटीज का टर्म एक्स्टन्ड करना चाहिए। उस समय सदन नहीं चल रहा था, और ऐसी स्थिति के अन्दर उस स्थिति को

(श्री परसराम मदेरणा)
मीट आउट करने के लिए राज्यपाल महोदय ने आवश्यक समझा कि इस तरह का ऑर्डिनेन्स प्रोमल्गेट करना चाहिए ताकि इस स्थिति को मीट किया जा सके । यह आवश्यक था । इसलिए इस ऑर्डिनेन्स के जरिये राज्य सरकार ने एक साल का उनका और समय बढ़ाया ।

माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं । कुछ इन्डिविजुअल्स के बारे में । मुझे पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए पुख्ता तौर पर ऑथोरिटेटिवली जवाब नहीं दे सकता, लेकिन यह निवेदन जरूर करूंगा कि जहां तक सदन के महत्व की और दूसरी बातें कही गईं कि लोकतन्त्र में कितनी आस्था है, लोकतन्त्र के कितने हिमायती हैं; यह दुनिया जानती है ? आज इस देश के अन्दर इतनी जबरदस्त एमर्जेन्सी है; हमारी और दुश्मनों की फौजें जगह जगह लड़ रही हैं, फिर भी लोक सभा और जगह जगह विधान-मण्डलों के सत्र चल रहे हैं, इसलिए कि हम लोकतन्त्र के हिमायती हैं । हो सकता है कि एमर्जेन्सी को मीट आउट करने के लिए जहां स्थिति ज्यादा खराब हो, यह सदन भलिभांति जानता है और सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जोधपुर पर ऑल्टर्नेटिव डेज पर या रोज बराबर बमबारी हो रही है. इसलिए राज्य के किसी मिनिस्टर का वहां रहना बहुत आवश्यक है । जो लोग ३० तारीख से पहले से वहां पर थे चाहे वे डिपार्टमेंट से सम्बन्ध रखने वाले हों या न रखने वाले हों, लेकिन राज्य सरकार की जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है, इसलिए राज्य सरकार ने यह आवश्यक समझा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर को वहां जाना चाहिए और एमर्जेन्सी में उनकी प्रेजेन्स रहना जरूरी था, न कि इस सत्र को कम महत्व देते हों, या इस सैशन के लिए राज्य सरकार के अन्य ट्रेजरी बैन्चेज की तरफ जो दूसरे लोग हैं वे कम जिम्मेदार हों, या उनको जो रिप्रेजेन्ट करते हैं वे सही तौर से रिप्रेजेन्ट नहीं करते हों, यह स्थिति नहीं है । उनका वहां जाना आवश्यक था । जहां तक सत्र की कार्य-वाही का सम्बन्ध है उसमें किसी तरह की बाधा न पड़े, यह रेस्पोन्सिबिलिटी केबिनेट की जोइन्टली है ।

मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि एमर्जेन्सी का नाम लेकर यह मुद्दा उठाया था कि उस वक्त थ्रेटनिंग एमर्जेन्सी नहीं थी । जैसा कि उन्होंने हवाला दिया कि कल पंचायत राज्य के मंत्री यह कह रहे थे कि ऐसी स्थिति अगस्त में खड़ी हुई थी । अगस्त में उन्हें मालूम नहीं था क्योंकि वे उस समय राज्य सरकार में नहीं थे । उससे पहले इस देश में यह स्थिति थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार) जयपुर): एमर्जेन्सी का अहसास शपथ लेने के बाद ही होता है, पहले नहीं होता है । आपने कहा कि शपथ जून में ली थी, इसलिए अहसास नहीं हुआ ।

श्री परसराम मदेरणा : एमर्जेन्सी की स्थिति खड़ी हुई थी, यह बात सही है; लेकिन उससे पहले भी यह माननीय सदस्य भी जानते हैं, यह सदन भी जानता है, दूसरे देश में दूसरे भी जानते हैं कि कच्छ बोर्डर और राजस्थान के बोर्डर पर दुश्मन की फौजों की हलचल थी, बराबर उसकी तैयारी चल रही थी । ध्यान एक तरफ केन्द्रित रहे और दूसरी तरफ न रहे

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए यह किया गया है। अब आप कह सकते हैं कि एक मौके पर और एक समय पर कोई चीज सही होती है वह दूसरे मौके पर और दूसरे समय पर बिल्कुल फालतू दीखती है। आज कई प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं और यह मान लें कि आज सीज फायर होता है········

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो पंचायत मंत्रीजी के अज्ञान की बात कह रहे थे, मैं आपके अज्ञान की बात कहता हूं कि सीज फायर तो हो भी गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : ये तो यहां पर बैठे हुए हैं। आप ज्यादा अक्लमन्द हैं, आपको ज्ञान हो गया होगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास साइक्लोफोन नहीं। माननीय सदस्य को पता हो गया होगा। आज मान लें कि सीज फायर हो भी गया हो या हो जाता है उसके बाद परिस्थिति एक दम बदल जाती है उन बदली हुई परिस्थितियों में कदम उठाये गये हों वे एमर्जेन्सी को मीट आउट करने के लिए थे। इसलिए यह आर्डिनेन्स प्रोमलगेट किया गया, और उस ऑर्डिनेन्स को रिप्लेस करने के लिए यह विधेयक सदन के सामने है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है, अध्यादेश को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में, उसको स्वीकार नहीं किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पहले वहां लड़ाई चल रही थी और हमने सीज फायर कर रखा था। अब वहां सीज फायर हो गया है तो हमने लड़ाई चालू कर दी है।

मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है और उसके सम्बन्ध में जो तथ्य रखे उनके बारे में कुछ इधर-उधर तारीखों से आंखमिचौनी का खेल खेलने के अलावा कोई भी तर्क-संगत बात इस सदन के सामने नहीं रखी जिसके कारण से हमारे सबके दिमाग में इस बात का असर पड़े कि सरकार ने इस ऑर्डिनेन्स पर विचार करने में कोई रीजन या लोजिक काम में लिया। आपने कहा कि एमर्जेन्सी नहीं थी अगस्त वाले मामले में जिसका कि पंचायत मंत्री ने जिक्र किया। वह एमर्जेन्सी कच्छ वाली चली आरही थी। कच्छ की तो जरा सी एमर्जेन्सी थी, लेकिन चाइना के अटेक के बाद जो एमर्जेन्सी थी उस एमर्जेन्सी में ७५ नगरपालिकाओं के चुनाव हमने राजस्थान में कराये। राजस्थान में दिसम्बर ६२ में चुनाव कराने के बाद ६५ में भी हमने चुनाव कराये। यदा-कदा बाई इलेक्शन और भी होते रहे, और जैसा कि मैंने सदन के सामने रखा कि राजस्थान विधान सभा के दो चुनाव, एक मई के महीने में और दूसरा जून के महीने में हुआ, और जून के महीने में चुनाव वहां हुआ जो कि सीमा के निकट था। जो सीमा के निकट था जिसको कि मई के महीने में होना था उसको एक महीने के लिये स्थगित किया था। वह जून में चुनाव कराया। अगर आप संकट समझते थे तो चुनाव मई के महीने में यदि नहीं करा सकते थे तो जून के महीने में करा सकते थे, जून के महीने में नहीं करा सकते थे तो जुलाई के महीने में करा सकते थे। आपने एक अमोघ अस्त्र जारी करके यह अधिकार ले लिया कि जिनको बढ़ाना है उसको बढ़ा दिया। एमर्जेन्सी है और चुनाव नहीं कराये तो सारी म्युनिसिपैलिटीज का पीरियड एक्स्टेन्ड करते।

Page No 64

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फिर क्यों नहीं सब का लिया ? आप चाहते हैं कि एमर्जेन्सी में पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन का यह अधिकार रहे और नगरपालिका वह व्यवस्था करे तो आर्बीट्रेशन पॉवर ऐसे क्यों यूज किये ? इसका कोई जवाब नहीं आया।

मैंने कहा कि मई और जून में विधान सभा के बाई इलेक्शन हुए, उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि चाइनीज एग्रेशन के बाद में नेशनल एमर्जेन्सी हुई, उसके बाद में ६३ में ७५ नगरपालिकाओं के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, पंचायत समितियों के चुनाव हुए, जिला परिषदों के चुनाव हुए चुनाव सब जगह चल रहे हैं और सारी नगरपालिकाओं के चुनाव हो गये। तो इन २७ या ३७ म्युनिसिपैलिटीज का कार्यकाल बढाया है दिसम्बर ६५ तक या जनवरी ६६ तक बढा दिया, तो आपने क्यों ६ महीने के लिए बढाया ? क्यों न दो महीने के लिए बढाया ? आप क्या सोचकर चल रहे थे कि कच्छ का मामला चलेगा लम्बा ? मई के बाद इलेक्शन कमीशन ने चुनाव जून के लिए पोस्टपोन किया। जून में नहीं करा सकते थे तो अक्टूबर में करा देते। आपको तो एक बार अधिकार मिलना चाहिए। आपका बस चले तो जनवरी ६७ तक बढ़ा दें और आपका बस चले तो विधान सभा के भी चुनाव नहीं करायें। आपको सारे अधिकार दे दें तो मैं समझता हूं कि आप न मालूम क्या क्या करें। गंजे को नाखून नहीं दें, नहीं तो खुजा खुजा कर मर जाय। इसका क्या जवाब है आपके पास ? सीकर म्युनिसिपैलिटी पर करप्शन के चार्जेज थे उसका पीरियड आपने क्यों बढ़ा दिया और कोटा की म्युनिसिपैलिटी पर करप्शन के चार्जेज नहीं थे, फिर क्यों आपने उस पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। किशनगढ़ जैसी नाकामयाब म्युनिसिपैलिटी को जिनका कि कोई तरीका नहीं था वहां पर पीरियड क्यों एक्स्टेन्ड किया ? कोई लोजिक है ? कोई रीजनिंग है, कोई आर्ग्युमेन्ट है आपके पास ? कोई आर्ग्युमेन्ट नहीं है सिवाय इसके कि एमर्जेन्सी संकटकालीन स्थिति है, हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। मैं समझता कि एमर्जेन्सी के पॉवर्स जो कि एक्स्ट्रा-आर्डिनेरी पॉवर्स हैं उन एक्स्ट्राऑर्डिनेरी पॉवर्स का गवर्नर और गवर्नमेंट ने यह ऑर्डिनेन्स निकाल कर आर्टिकल २३० ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन का आपने क्यों मिसयूज किया है ?

यह कोई दलील नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन के सामने कि सरकार का यह कैसा रवैया है ? यह कौनसा तरीका है ? कल पंचायतों के संबंध में अविश्वास प्रस्ताव की बात आई तब मंत्रीजी कहने लगे कि बयाना का अविश्वास प्रस्ताव इसलिए रोका है कि नेशनल एमर्जेन्सी चल रही है, पाकिस्तान से हमारा युद्ध है। लेकिन गंगानगर नगरपालिका के खिलाफ अविश्वास का जो प्रस्ताव आया है उस पर बहस के लिये कल की तारीख रखी है। गंगानगर सीमान्त का जिला है, वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करने के लिये तारीख दी और बयाना जो सीमा से ४५० मील दूर है वहां के लिये नेशनल एमर्जेन्सी की बात आ गई ? यह क्या तरीका है, क्या माप दंड है किस मान्यता के आधार पर शासन का काम चल रहा है ? मैं समझता हूं, सारी मान्यताओं को खत्म कर दिया है, ट्रेन्च में चले गये। आप सदन में एश्योरेन्स दीजिये कि अब क्योंकि सीज फायर हो गया है, आज से युद्ध की बात नहीं है, सैटलमेन्ट की बात-चीत चलेगी, इसलिये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आप कहिये कि सारी नगरपालिकाओं के चुनाव, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर चल रहे हैं और जिनकी अवधि समाप्त हो गई है जल्दी करायेंगे। अभी सितम्बर का महीना है और आप महीने भर में चुनाव करा सकते हैं। आप चाहें तो अक्टूबर के आखिर में चुनाव करा सकते हैं या नवम्बर के शुरू में करा दीजिये। इस प्रकार का आश्वासन अगर आप दें तो मैं संकल्प को वापिस ले सकता हूं, वर्ना सरकार के अनडेमोक्रेटिक एटिट्यूड के खिलाफ में मैं इस संकल्प को प्रेस करना चाहूंगा। सरकार मान जायगी तो सिर्फ इतना ही असर होगा कि सरकार ने जिन नगरपालिकाओं पर अपना वरद्हस्त रखा है वह उठ जायगा और चुनाव हो जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि अपना मत देकर इसे पारित करें जिससे कि सरकार को समझ आ सके।

श्री **परसराम मदेरणा**: अध्यक्ष महोदय, जिन नगरपालिकाओं का टर्म एक्सटेन्ड किया है वह छांट छांट कर पिक एंड चूज करके नहीं किया है। जो २७ नगरपालिकाएं एक्सटेन्डेड चल रही हैं उनका टर्म एक्सपायर अलग अलग डेट्स पर होने वाला था और इस अध्यादेश से जो पॉवर्स राज्य सरकार के पास आई उनका प्रयोग करके इनका एक्सटेन्शन ३१-१-६६ तक किया है। जिन नगरपालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो जाते हैं उनका टर्म एक्सपायर होने का सवाल नहीं है, किसी भी समय तक कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि हमारे हाथ में पॉवर आ जाय तो चुनाव नहीं करायेंगे। इसका मतलब नहीं है कि हम वहां पर चुनाव नहीं कराने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है।

दूसरा प्रश्न आपने यह उठाया कि सीज फायर हो गया है, इस पर आगे समझौते की बात चलेगी इसलिये अक्टूबर में चुनाव करा दीजिये। मैं निवेदन करूं कि राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत टर्म एक्सटेन्ड करने के बाद, यानी ३ साल का टर्म समाप्त होने पर १ साल का टर्म एक्सटेन्ड कर सकते थे और १ साल का और एक्सटेन्ड करने के पॉवर्स इस आर्डिनेन्स के जरिये दिये गये हैं, इनके अनुसार टर्म एक्सटेन्ड कर दिया है तो यह एक्सटेन्डेड टर्म एक्सपायर होने से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है। मैंने इस पोइन्ट को एग्जामिन करा लिया है, सिवाय इसके कि सुपरसीड कर सकते हैं और सुपरसीड करने के लिये दफा २९५ के अन्तर्गत कारण होने चाहियें, उन्हीं कारणों से सुपरसीड कर सकते हैं।

मैं एक बात का आश्वासन देना पसंद करूंगा और वह यह कि आयन्दा फ्यूचर में गवर्नमेन्ट का युनिफार्म पोलिसी रहेगी; चाहे सभी म्युनिसिपेलिटीज का टर्म एक्सटेन्ड करें या सब जगह एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करें या सबका चुनाव करावें। यह कबिनेट के डिसाइड करने की बात है, लेकिन मैं पालिसी के तौर पर कहना चाहता हूं कि कुछ म्युनिसिपेलिटीज का टर्म एक्सटन्ड किया जाय और कुछ का नहीं किया जाय, यह फ्यूचर में नहीं होगा। मेरे इस ऐलान के बाद माननीय सदस्य को तसल्ली हो जायगी कि डिस्क्रीशन हम रखना पसन्द नहीं करते; हालांकि जिनका टर्म एक्सटेन्ड किया है उनके लिये वेलिड रीजन्स हैं और जो पॉवर्स एक्ससाईज हमने किये हैं वे जुडिशियसली किये हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)
माननीय सदस्य की तसल्ली के लिये मैं कहना चाहता हूं कि आयन्दा युनिफार्म पोलिसी जो अच्छी फाउन्डेशन की पोलिसी है, बरती जायगी। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आयन्दा डिस्क्रीशन नहीं होगा, युनिफार्म पोलिसी फ्यूचर में अख्त्यार की जायगी। मैं इस पोइन्ट को और एग्जामिन करा लूंगा कि टर्म एक्सपायर होने से पहले सुपरसेशन हो सकता है या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप जो नोटिफिकेशन इश्यू करते हैं, उसमें यह लिखा हुआ रहता है:—

"The term of this Municipal Board is extended up to this period or till a new municipal committee is constituted."

तो ३१ जनवरी, ६६ के बाद का सवाल खडा नहीं होता, पहले पहले कान्स्टीट्यूट कर देंगे। इसलिये मेग्जिमम लिमिट ३१ जनवरी, ६६ तक है:

"You can constitute a municipal committee prior to that........"

ड्यूली इलेक्टेड म्यूनिसिपैलिटी पहले बन जायगी तो पहले आ सकती है। यदि नहीं आ सकती तो ३१ जनवरी, ६६ तक वह मानी जायगी। यह नहीं है कि ३१ जनवरी तक चुनाव नहीं करायेंगे तो ओटोमेटिकली टर्म बढ जायगा।

"31st Jany., 66 is the last day or prior to that till a newly elected body is constituted."

ये इसके वर्डिग्ज हैं जो नोटिफिकेशन में मैंने देखे हैं और आपके यहां से जारी हुए हैं। इसलिये आप लॉ डिपार्टमेन्ट से, लोकल सेल्फ से नहीं, राय ले लीजिये कि चुनाव ३१-१-६६ से पहले हो सकता है या नहीं। मैं कहता हूं कि हो सकता है, पिछले टाइम में हुआ है। जयपुर नगरपालिका का हुआ है। आप करावें, नहीं करावें; यह आपकी मर्जी है...

श्री परसराम मदेरणा: मैंने युनिफाइड पॉलिसी की घोषणा कर दी है। इस पोइन्ट को और एग्जामिन करा दूंगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: गंगानगर के बारे में कल को डेट तय हुई है।

श्री अध्यक्ष: अविश्वास प्रस्ताव के बारे में और बता दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): Let us have patience to hear him.

श्री परसराम मदेरणा: इसका मैं जबाब देना पसन्द करूंगा। पंचायत और पंचायत समितियों में किसी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव अभी एन्टरटेन नहीं किया जाता है क्योंकि अभी एमर्जेन्सी है। यदि एमर्जेन्सी रहती है तो म्यनिसिपेलिटीज में भी एन्टर्टेन नहीं किया जा सकता....

श्री रामकिशन (वैर): गंगानगर के बारे में आप डेफिनिट कहिये।

श्री अध्यक्ष: (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल से) क्या आप अपना प्रस्ताव वापिस लेते हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: स्पेसिफिकल चीज नहीं आई है।

(उप-मंत्री महोदय से)

What have you to say with regard to Ganganagar? You have said nothing. So say something categorically with

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
regard to Ganganagar.

श्री अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापिस लेते हैं क्या ? मंत्री महोदय ने कह दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्होंने कहा कि एन्टरटेन नहीं किया जायगा, लेकिन जो पहले हो गया है; जैसे गंगानगर का, उसको कल रखने वाले हैं या नहीं ? जैसे आपने कहा कि युनिफार्म पोलिसी आगे के लिये रहेगी उसके लिये तो बधाई है · · · ·

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वहां पर इतनी बुरी हालत है · · ·

श्री परसराम मदेरणा : युनिफार्म पोलिसी के लिये निवेदन किया; सरपंच, प्रधान और प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता और यही स्थिति लोकल सेल्फ में रहती है। जहां तक गंगानगर का सवाल है, वह एन्टर्टेन नहीं किया जायगा। जैसा आप कहते हैं, सीज फायर हो गया है · · · ·

श्री मुरलीधर व्यास : सीज फायर का मतलब हर तरह से मत निकालिये · · · · ·

श्री परसराम मदेरणा : गंगानगर के अविश्वास प्रस्ताव को राज्य सरकार रोक देगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापिस लेना पसन्द करेंगे क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बात यह है कि इन्होंने फ्यूचर के लिये एश्योरेन्स दिया है कि राज्य सरकार भविष्य में सत्तारूढदल की म्युनिसिपैलिटीज और विरोधी दल की म्युनिसिपैलिटीज में जो पक्षपातपूर्ण रवैया रखती आई है वह आगे नहीं रहेगा, इस आश्वासन के कारण मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, १९६५ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[विधेयक पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

अ. (१) **श्री रामकिशन** (वैर) :

(२) **श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) :

(३) **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा) :

(४) **श्री जोर्वासिह चौहान** (गिरवा) :

"राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६५ को एक माह/तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"

आ. (१) **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) :

(२) **श्री चौसरसिंह बाबेल** (बेंगूं) :

(३) श्री **दुगालाल बादवार** (हवामहल, जयपुर) :

(४) श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंहनगर) :

"राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६५ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक माह में। एक सप्ताह के अन्दर अन्दर। १५ दिन में। एक माह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।"]

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, १९५९ की धारा ११ में संशोधन करने के लिये सदन के समक्ष लाया गया है। उक्त धारा के अनुसार राजस्थान सरकार को यह अधिकार है कि कोई भी नगरपालिका की अवधि एक साल तक बढावे किन्तु शर्त यह है कि वह अवधि एक साल तक बढाने के लिए क्रमशः उसको दो बार छः छः महीने की अवधि बढाने का अधिकार है। माननीय सदस्य, जो जयपुर से आये हैं, ने प्रभारी मंत्री के यहां पर नहीं होने के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। उनके विचार के प्रति मैं बहुत आदर की भावना रखता हूं किन्तु मैं इतना विचार व्यक्त करने का साहस करूंगा कि जिस संदर्भ, जिस उद्देश्य को लेकर और जिन कारणों के द्वारा प्रभारी मंत्री आज सदन के अन्दर उपस्थित नहीं हैं वह कुछ हद तक, मैं समझता हूं, क्षम्य है। अध्यक्ष महोदय, शहरी जनता के अधिकार, जो म्युनिसिपैलिटीज एक्ट के द्वारा उन्हें प्रदत्त हैं, आज या कल के अधिकार नहीं हैं। म्युनिसिपैलिटीज के अधिकार बाज-बाज नगरों के अन्दर तीस-चालीस साल पुराने हैं। उसके मुकाबले में जो अधिकार देहाती जनता को प्राप्त हैं वे विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप पंचायती राज के आने के पश्चात् उन्हें प्राप्त हुए हैं। देहाती जनता को राज्य के द्वारा पंचायती राज के अन्तर्गत तरह तरह के संरक्षण हैं और आर्थिक सहयोग आदि प्रदान करने की व्यवस्था है, ग्राण्ट इन एड प्रदान करने का प्रावधान है। किन्तु शहरी जनता और म्युनिसिपैलिटीज के संबंध में सरकार के कोई ऐसे नियम नहीं हैं न कोई ऐसे प्रावधान हैं कि जिनके द्वारा सरकार नियमित रूप से हर एक नगरपालिका को ग्राण्ट इन एड या आर्थिक सहायता दे सके। मैं समझता हूं कि यह एक कानूनी खामी है और इस संबंध में सरकार को दूसरे रूप से विचार करना चाहिये क्योंकि यह अमूमन देखा गया है कि अधिकांश रूप से जहां नगरपालिकाओं में बहुमत शासनारूढ दल के सदस्यों का है उन नगरपालिकाओं को मनमानी सहायता मिलती है। किन्तु जहां पर विरोधी दल का बहुमत है, जिन नगरपालिकाओं में विरोधी दल का बहुमत है वहां पर सहायता तो क्या किन्तु उन नगरपालिकाओं के प्रति सौतेला व्यवहार हर तरह से होता है, हर तरह से उन नगरपालिकाओं को कोसने, तंग करने और भंग करने की डांट पटकने तक होता है। जैसा कि माननीय सदस्य, जो जयपुर से आये हैं, ने अभी कहा कि हाउस टैक्स की समस्या उत्पन्न हुई। यह बिल्कुल सत्य है कि हाउस टैक्स के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष की नगरपालिकाओं ने एकमत होकर यह निश्चय किया कि हाउस टैक्स नहीं लगाया जाय। सरकार के द्वारा कई धमकियां

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उनको दी गई। यह कहा गया कि नगरपालिकायें भंग कर दी जायेंगी। एक हद तक सरकार को अधिकार है, यह मैं नहीं कहता हूं। लेकिन यह एक परम्परा अस्वस्थ रूप से बनाई जाय कि नगरपालिका को यह करना चाहिये, या वह नहीं करना चाहिए। अगर वह सुचारु ढंग से अपना काम करती है अगर वह स्वावलम्बी है तो राज्य सरकार को उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए, जनतंत्र की स्वस्थ परम्परा के सिद्धान्त के अनुसार कि जैसा चाहे वह नगरपालिका करे; खास तौर पर आर्थिक विषयों के सम्बन्ध में अधिक से अधिक नगरपालिका को आटोनोमी और स्वतंत्रता देनी चाहिए। किन्तु यह नहीं हो रहा है और मैं समझता हूं कि यह बडी भद्दी बात है, जिसका मैं विरोध करूंगा।

एक वर्ष का आपने एक्सटेन्शन करने का अधिकार रखा है। अब एक वर्ष के लिये आपको हरएक नगरपालिका की अवधि बढाने का अधिकार है। इस अधिकार का भी, मैं समझता हूं, उचित रूप से आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। मेरा यह अनुभव है कि जो विरोधी पक्ष की नगरपालिकायें हैं उनका कार्य-काल समाप्त होने के पश्चात् आप तुरन्त ही उन्हें भंग कर देते हैं और एक भी दिन की अधिक अवधि नहीं देते। किन्तु इसके विपरीत यह देखा गया है कि जहां पर शासनारूढ दल की नगरपालिकायें हैं उन नगरपालिकाओं का खुले आम कार्यकाल बढाते चले जा रहे हैं। उदाहरण मेरे पूर्व वक्ता ने भी दिये। मेरे क्षेत्र, दक्षिण-राजस्थान का मैं भी एक उदाहरण दूं और इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि सागवाडा नगरपालिका को भंग करने के लिये आपने एक शब्द भी कारण के रूप में नहीं बताया। उसका कार्यकाल समाप्त हुआ, बडी मुश्किल से उस नगरपालिका ने अपना कार्यकाल समाप्त किया, किन्तु हाउस टैक्स नहीं लगाया; जो भी कर्जे की किश्त अदा करने के सम्बन्ध में सरकार के आदेश थे उन सबका उस नगरपालिका ने पालन किया और उसकी बुद्धि के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी समझ के अनुसार उस नगरपालिका ने अपने कर्त्तव्य को पूरा किया, जो उसका था। इसके विपरीत सलूम्बर और बांसवाडा की नगरपालिकाओं में कांग्रेस का बहुमत होने के कारण, इस कारण के अतिरिक्त और कोई कारण मेरी समझ में नहीं हो सकता, के फलस्वरूप दोनों, सलूम्बर और बांसवाडा की नगरपालिकाओं के कार्यकाल को आपने बढाया।

स्वायत्त शासन मंत्री ने गत विधान सभा के सत्र में, जहां तक मुझे याद पडता है, एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि राजस्थान के अन्दर १४९ नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनका चुनाव होना अभी तक बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि आज कितनी ऐसी नगरपालिकायें हैं जिनके अन्दर चुनाव नहीं हुआ है और कितनी ऐसी नगरपालिकायें हैं जिनको भंग किया गया है और कितनी ऐसी नगरपालिकायें हैं, जिनके कार्यकाल को बढाया गया है? यदि इस सम्बन्ध मंत्री महोदय प्रकाश डालेंगे तो कुछ हद तक यह भी स्पष्ट होगा कि आपको यह जो अधिकार है, म्युनिसिपैलिटीज की अवधि एक वर्ष तक आगे बढाने के सम्बन्ध में, इसका सदुपयोग या दुरुपयोग किस हद तक आपने किया है?

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि राजस्थान सरकार को संकटकालीन स्थिति के कारणवश २५ मई, १९६५ को राज्यपाल महोदय के पास जाकर के यह अध्यादेश प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव हुई।

इस संबंध में मेरे पूर्व वक्ता ने काफी प्रकाश डाला है। इस बारे में मैं भी दो शब्द निवेदन करूंगा। स्टेटमेन्ट आफ ओबजैक्ट्स एण्ड रीजन्स में आपने यह कारण बताया है कि यह ऑर्डिनेन्स, यह अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता सरकार को संकटकालीन स्थिति के कारण पैदा हुई। मैं मानता हूं कि संकटकालीन स्थिति २५ मई को एक हद तक थी और सरकार इस संकटकालीन स्थिति के सम्बन्ध में विशेष जानकारी रखती थी और इसी कारणवश संभवतः अध्यादेश जारी करने के लिये राज्यपाल महोदय को मूव करने की आवश्यकता समझी थी, परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा का अधिवेशन १६ अप्रैल को विसर्जित हुआ। यदि आप इसकी आवश्यकता को महसूस करते होते तो मुझे याद है कि आपने पंचायत बिल को पास कराने के लिये आधी रात तक अधिवेशन जारी रखा और उक्त बिल पास कराया गया। यदि आप उतनी ही आवश्यकता इसकी भी महसूस करते तो सदन के विसर्जित होने के पूर्व ही आपने इस बिल को संशोधित क्यों नहीं करवा लिया; यह भी मेरे खयाल से ऐसी समस्या है जिसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि यह अध्यादेश आपने प्राप्त किया है, उसका कोई महत्व नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जो संतोषप्रद हो। केवलमात्र यही एक कारण है कि येन-केन-प्रकारेण आपने खास पहलू रखने के लिये यह आर्डिनेन्स प्राप्त करने की चेष्टा की है। इसका भी हम सिद्धान्ततः विरोध करते हैं। ऑर्डिनेन्स प्राप्त करने की परम्परा एक बुरी चीज है और जब तक कि कारणवश सरकार ऑर्डिनेन्स प्राप्त करने के लिये गवर्नर को मूव करे इस संबंध में संतोषजनक कारण नहीं बता सके, तब तक मैं समझता हूं कि ओर्डिनेन्स की प्रथा एक बुरी प्रथा होने के कारणवश हम इसका विरोध करते हैं और यह भी मैं अनुभव करता हूं, जहां तक माननीय मंत्री ने इस संबंध में प्रकाश डाला है वह प्रकाश एक तरह से विरोधी पक्ष की आंखों में धूल झोंकना मैं कहूंगा, लेकिन और भी बात म कहूंगा, सरकार ने प्रयोग किया है और वह यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर कायम करना। आपकी सरकार ने जयपुर, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर में एडमिनिस्ट्रेटर कायम किया और अब सागवाडा में भी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया हैं। सागवाडा में अभी एडमिनिस्ट्रेटर कायम हुआ है वह है एस. डी. ओ. डूंगरपुर। वह डूंगरपुर में रह कर २८ मील के फासले पर वहां की व्यवस्था करे, यह भी एक अजीब व्यवस्था है। अगर सरकार को कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर कायम करना है तो व्यवस्थित रूप से यह सोचना चाहिये कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हो वह भी नगरपालिका जहां की है वहीं तो कम से कम रहे।

इसके अलावा यदि एक एडमिनिस्ट्रेटर कायम किया जावे तो उसकी अवधि भी आप नियुक्त करें। अब आप यहां पर दो वर्ष की अवधि यहां लाना चाहते हैं। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर कायम करने के लिये कोई अवधि नहीं है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
आप इस तरह से कोई लूला-लंगडा बहाना लेकर एडमिनिस्ट्रेटर कायम करेंगे और उसकी अवधि भी कायम नहीं होगी तो यह तो एक अधिनायकवादी प्रक्रिया है, न कि स्वस्थ जनतन्त्रवादी प्रक्रिया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह कर और खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को, इस विधेयक को जनमत प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया जावे और मैं यह निवेदन करूंगा कि इस जनमत प्राप्त करने के लिये, खास करके उन क्षेत्रों में प्रसारित किया जावे जहां पर म्युनिसिपैलिटीज भंग हुई हैं और खास कर जहां जहां म्युनिसिपैलिटीज की अवधि बढाई, जैसा आपने आश्वासन दिया, कम से कम आपको यह भी निश्चित करना चाहिये कि अगले साल होली से पहिले तक बाकी म्युनिसिपैलिटीज में कोई चुनाव नहीं होगा। अगर देश की समस्या इससे अनुकूल है, तो आप चुनाव अवश्य और अवश्यम्भावी करवाएंगे । इतना ही निवदन करके मैं अपना प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : माननीय अध्यक्ष, म्युनिसिपैलिटी संशोधन विधेयक हमारे समक्ष प्रस्तुत है । इस विधेयक के द्वारा राज्य सरकार ने म्युनिसिपैलिटी की अवधि, जो उनको एक साल प्राप्त थी अब उसको दो वर्ष बढाना चाहते हैं । मुझे इसमें कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि राज्य सरकार को दो वर्ष की अवधि बढाने की जरूरत क्यों पडी ? मैं तो इस पक्ष में हूं कि एक वर्ष के अन्दर अन्दर होना चाहिये और राज्य सरकार ने आज तक इन अधिकारों का जो उपयोग किया है वह खुल्लमखुल्ला राजनैतिक आधारों पर उपयोग किया है । जहां जहां कांग्रेस की म्युनिसिपैलिटीज थीं वहां पर मयाद बढा दी और जहां जहां कांग्रेस विरोधी म्युनिसिपैलिटीज थीं वहां पर मयाद नहीं बढाई और वहां की म्युनिसिपैलिटीज खत्म कर दी गई और वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया । इसमें राज्य सरकार द्वारा खुल्लमखुल्ला अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है । अब इन अधिकारों के दुरुपयोग को दो साल के लिये बढाया जावे, तो मैं समझता हूं कि यह राज्य सरकार एक-तन्त्रवाद पर जाना चाहती है, डिक्टेटरशिप पर कायम होना चाहती है । मैं इसके लिये कुछ प्रमाण प्रस्तुत करना उपयुक्त समझता हूं । लोकल बोडीज डिपार्टमेन्ट में जब कभी भी हम जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई डिपार्टमेन्ट ही नहीं है । वह एक बनिये की दूकान हो जिसमें कोई प्रजातन्त्र प्रणाली नहीं । यदि उनसे कोई बात पूछें तो इतने डरे हुए, आखिरी शब्द होते हैं, वे यह होते हैं कि ऊपर का हुक्म होता ह । ऊपर का हुक्म दूसरे डिपार्टमेन्ट में कम देखा है । पहले ही जिस डिपार्टमेन्ट पर ऊपर के हुक्मों की काली छाया हो उसमें ज्यादा से ज्यादा नियमों का दुरुपयोग होता है और खास करके उनके खिलाफ जिनको खास करके कांग्रेस या गवर्नमेन्ट नहीं चाहती है । मैं इस संबंध में नम्र निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि इस तरह की सरकार की भावना जो शनै शनैः प्रजातन्त्र से अलग होकर काम करने की है वह प्रजातन्त्र के लिये घातक है । मैं इसके प्रमाण में कुछ सबूत मेरे क्षेत्र के देना चाहता हूं । हमारे यहां निवाई में कांग्रेस की म्युनिसिपैलिटी थी । उनके द्वारा क्या क्या बातें की गई जो प्रजा के लिये हानिकारक

(श्री जयनारायण सालोदिया)
थीं और प्रजा के द्वारा किस किस तरह से उसका विरोध किया गया, परन्तु शासन की उस पर छाया थी, शासन का उस पर हाथ था, इसलिये हम सच्चे होते हुए भी कुछ उसका बिगाड़ नहीं सके और उसकी मयाद पर मयाद बढाई गई। दो दो दफा अविश्वास का प्रस्ताव आया और उसके संबंध में मैंने कई दफा सदन में बताया है, सरकार ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए हमारे सदस्यों को सस्पेन्ड किया। ऐसे समय पर सस्पेन्ड किया, जबकि वे सदस्य वोट देने के लिये जान वाले थे। दो मिनट पहले गवर्नमेंन्ट का तार उनके हाथों में दिया गया कि तुम्हें सस्पेन्ड कर दिया है इसलिये वोट देने में हिस्सा नहीं ले सकत। उनके खिलाफ न कोई मुकदमा बनाया गया, न उनको किसी प्रकार की चार्जशीट दी गई और १५ दिन बाद ही उन्हें बिना किसी कारण के बताये बहाल कर दिया गया। तो जिस विभाग द्वारा इस प्रकार अपनी ताकत का खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग किया गया, मनमाने ढंग से अधिकारों का दुरुपयोग किया गया, उस विभाग को, उस सरकार को, इस प्रकार को खुली छूट दी जाय कि एक साल के बजाय दो साल का अधिकार दे दिया जाय तो यह सरासर अन्याय होगा, इस अधिकार का खुल्लमखुल्ला मनमाने ढंग से दुरुपयोग होगा। यह तो भूतपूर्व म्युनिसिपैलिटी का जिक्र किया। इस म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया, दो सदस्यों को बिना कारण बताये सस्पेन्ड किया गया और फिर बिना कारण बताये ही बहाल कर दिया गया, यह तो प्रजातन्त्र का मखौल है, एकतन्त्रवाद की पराकाष्ठा है। जिस विभाग द्वारा इस प्रकार अधिकारों का खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग किया गया उसे इस प्रकार के अधिकार दिये जाने के पक्ष में मैं नहीं हूं।

अब मैं थोडा मौजूदा परिस्थितियों के बारे म निवेदन करना चाहता हूं। निवाई में विरोधी पक्ष की म्युनिसिपैलिटी है। सरकार की यह कोशिश रही है कि येन-केन प्रकारेण विरोधी पक्ष की इस म्युनिसिपैलिटी को खत्म किया जाय। चुनावों में सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया; नहीं करना चाहिये, पर किया, फिर भी विरोधी पक्ष के सदस्य भारी बहुमत से चुन कर आये और विरोधी पक्ष की म्युनिसिपैलिटी बनी। वहां को म्युनिसिपैलिटी ने कुछ प्लाट्स बेचे। अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि कांग्रेस की पहले म्युनिसिपैलिटी थी, उसने ३ रुपया पर स्क्वायर गज में प्लाट्स बेचे, वहां विरोधी पक्ष की म्युनिसिपैलिटी ने २ रु० ७० नया पैसा पर स्क्वायर गज के हिसाब से प्लाट्स बेचे, नीलामी बोली पर बेचें। इस पर सरकार ने देखा कि ये लोग तो पोपुलर हो जायेंगे और वहां पर काम करने के लिये इन लोगों के पास पैसे आ जायेंगे, इसलिये पहले कलेक्टर के द्वारा स्टे हुआ, अपील में म्युनिसिपैलिटी जीत गई, फिर अपीलेट ऑथोरिटी के द्वारा स्टे हुआ, उसमें भी म्युनिसिपैलिटी जीत गई; अब राजस्थान सरकार ने स्टे कर रखा है। इस प्रकार ४ लाख की इन्कम के प्लाट्स हैं, इस इन्कम को रोका जा रहा है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वायत शासन संस्था पर इस प्रकार स्टे करके ४ लाख की स्कीम को अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके निवाई म्युनिसिपैलिटी की

(श्री जयनारायण सालोदिया)

स्कीम को स्टे कर रखा है। यह ४ लाख रुपया निवाई म्युनिसिपैलिटी के हाथ में आता है तो कस्बे की तरक्की के लिये रुपया खर्च होगा, पर राजस्थान सरकार को इस बात की परवाह नहीं है कि कस्बे की तरक्की हो, सरकार को तो ईर्ष्या इस बात की है कि विरोधी पक्ष की म्युनिसिपैलिटी की तरक्की नहीं होनी चाहिए। फिर भी निवाई की इस विरोधी पक्ष की म्युनिसिपैलिटी ने काफी तरक्की की है, पहले १० सालों में जितने काम नहीं हुए उससे कहीं ज्यादा काम इसने करवाये हैं, पर आज हमारे हर काम में रोडे अटकाये जाते हैं। हम सड़क बनवा रहे हैं, सरकार ने हमें डामर देने से, रोलर देने से इन्कार कर दिया। हमने एडवान्स में पैसा जमा करा दिया, पर ६ महीने हो गये सरकार हमें डामर और रोलर नहीं देती। इसलिये नहीं देती कि हम काम करके पोपुलर नहीं हो जायें। जिस गवर्नमेंट की इस प्रकार की भावना हो, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमने म्युनिसिपैलिटी के एक कर्मचारी को सस्पेन्ड किया जिस पर गई म्युनिसिपैलिटी के हजारों रुपयों के गबन का चार्ज है, सैंकडों आइटम्स का हजारों रुपयों का गबन उसने किया। उस सस्पेन्ड कर्मचारी के द्वारा गलत फायदा उठा कर चेअरमैन के खिलाफ दरख्वास्त दिलाई गई और गवर्नमेंट के द्वारा उसमें जांच करवाई गई। एस.डी.एम. टोंक द्वारा जांच हुई, उसमें जगह जगह इस प्रकार के आइटम्स है कि वह स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य हैं और यह कांग्रेस पार्टी का आदमी है इसलिये ऐसा किया गया। एस. डी. एम. की रिपोर्ट से इस प्रकार की पक्षपात की बातें स्पष्ट दिखती हैं। एस.डी.एम. टोंक की रिपोर्ट जिन्होंने निवाई म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ दी है, उसे सदन में रखा जाकर देखा जाय।

एक तो मैं यह बात अर्ज करना चाहता था कि पक्षपात की इस डिपार्टमेंट में हद है। एक आदमी कस्बे की तरक्की के लिये काम करना चाहता है, उसके रास्ते में पग पग पर अड़चनें पैदा की जाती हैं। कुछ शख्स ऐसे हैं कि बोर्ड ने उनके खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया है कि इन लोगों ने जानते हुए बोर्ड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। निवाई म्युनिसिपैलिटी की तरफ से निवाई म्युनिसिपैलिटी के दो सदस्यों के खिलाफ रेजोल्युशन पास कर के सरकार को दिया गया पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और दूसरी तरफ एक सस्पेन्डेड कर्मचारी के द्वारा ी गई रिपोर्ट पर इस प्रकार कार्यवाही की गई जैसे कोई कत्ल का केस हो। दो सदस्यों ने म्युनिसिपैलिटी को नुकसान पहुंचाने क काम किया उनके खिलाफ म्युनिसिपैलिटी ने रिजोल्युशन पास कर के सरकार के पास भेजा, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, जिस समय निवाई में कांग्रेस की म्युनिसिपैलिटी थी तो वाटर वर्क्स की स्कीम की वहां शुरुआत हुई। सुखाडियाजी इलेक्शन के समय में वहां गये तो उन्होंने कहा कि वाटर वर्क्स की स्कीम अगर आपने कांग्रेस को वोट दिये तो जल्दी ही लागू हो जायगी। वहां की वाटर वर्क्स स्कीम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से एप्रूव होकर आ गई है पर गवर्नमेन्ट इसे इसी आधार पर रोके हुए बैठी हुई है कि यह विरोधी दल की म्युनिसिपैलिटी है और इस स्कीम को कार्यान्वित करने से वह पोपुलर हो जायगी।

Page No 74

(श्री जयनारायण सालोदिया)
जैसा मुझे मालूम हुआ है, जैसी मेरी जानकारी में है, मैं यह फैक्ट अर्ज कर रहा हूं, मुझे सही जानकारी है कि निवाई म्युनिसिपेलिटी की वाटर वर्क्स की स्कीम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से एप्रूव होकर आई है पर जान-बूझ कर सरकार ने इसे रोक रखा है। खुल्लमखुल्ला राजनीति का उपयोग लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट में होता है वैसा अन्य कहीं नहीं होता। इसलिये मैं इस ऑर्डिनेन्स का घोर विरोध करते हुए, जनमत जानने के लिये इसे प्रसारित करने की मांग करते हुए अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व थोडा सा अजमेर म्युनिसिपेलिटी के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं।

मैं कुछ दिनों पहले अजमेर गया था, वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्ती देखी, जो श्मशान घाट में बसी है। उस बस्ती का एक नक्शा गवर्नमेन्ट द्वारा एप्रूव किया गया है। मैंने देखा कि सडक के लेवल में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के मकान आये तो सरकार ने तुडवा दिया और वे मकान टूटे हुए खण्डहरों के रूप में खडे हैं। इसके विपरीत सडक के बीचोंबीच एक मालदार व्यक्ति का, उसकी जाति का मुझे पता नहीं, उनका सडक के बीच में बंगला बना हुआ है। बराबर मुहल्ले वालों ने एतराज किया, नगरपालिका ने सरकार को लिखित में दे दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिये अजमेर नगरपालिका का मामला एक विचारणीय विषय है। जहां हरिजनों के मकान उस हिस्से में आए तो उनको तुडवा दिया और आगे चलकर एक आदमी ने बंगला बना रखा है और सडक वहीं रुक जाती है। तो इस तरह की पक्षपातपूर्ण रीति से प्रजातन्त्र में आस्था खत्म हो जायगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में पूरी जानकारी लेकर अपने जवाब में आश्वासन दें।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६५ को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय और तीन महीने के अन्दर इसको वापस किया जाय। जल्दी में बिल पास करने से लाभ होने वाला नहीं है। नगरपालिकाओं में कई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जहां मनमानी होती है। आए दिन नया बिल पास करके सरकार अपने आदमी जमाना चाहती है। इससे साफ जाहिर है कि जहां कांग्रेस नगरपालिका है वहां अवधि बढा देते हैं और जहां विरोधी दल की नगरपालिका है वहां ऐसा नहीं करते हैं। इस प्रकार अवधि बढा कर आए दिन कांग्रेस अपनी सत्ता बढाना चाहती है, यह जनतन्त्र के लिए शोभा की बात नहीं।

हमारी उदयपुर नगरपालिका में प्रशासक महोदय ने २५ हजार रुपये की मोटर बोट लाकर रख दी, वह आज तक पडी हुई है पानी में। आज तक काम में नहीं लाई गई। यह बोट बिना देखे ही खरीदा गया और आज नगरपालिका पर मार पडा हुआ है। इसमें भी बडा भारी घोटाला है। सरकार को नगरपालिका ने लिखा कि इस संबंध में चौबेजी प्रशासक के विरुद्ध जांच की जाय कि नगरपालिका के २५,००० रुपये का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया। जनता के काम में मोटर बोट नहीं आती है।

आज उदयपुर में जनसंघ की नगरपालिका है तो वहां क्या हो रहा है? क्योंकि वहां

Page No 75

(श्री जोधसिंह चौहान)

हमारी नगरपालिका अच्छी तरह से चलती थी इसलिए वहां के सेक्रेटरी का स्थानान्तरण कर दिया। किस हालत में किया गया ? जब वह टाइफाइड का बीमार था। उसको नोटिस दिया गया कि आपका स्थानान्तरण किया जाता है। वह जवाब देता है कि मैं टाइफॉइड से पीडित हूं और नगरपालिका का अध्यक्ष छोडना नहीं चाहता इसलिए मेरा ट्रांसफर रोका जाय, लेकिन दूसरा नोटिस मिलता है कि आज से आपको सर्विस से पृथक किया जाता है। इस प्रकार उसकी नौकरी खत्म की गई। उसको सस्पेन्ड किया गया और सस्पेन्शन पीरियड में उसको कई महीनों तक वेतन नहीं दिया गया। एक तरफ तो वह टाइफॉइड का बीमार है और दूसरी तरफ जो अर्धवेतन है वह उसे नहीं दिया गया। इस प्रकार आए दिन तंग किया जाता है। इसके विपरीत उदयपुर नगरपालिका का अध्यक्ष वहां के सेक्रेटरी का स्थानान्तरण नहीं करना चाहता और सरकार गलत कानून द्वारा उसका स्थानान्तरण कर देती है। कानून तो ऐसा होना चाहिए कि अगर नगरपालिका का अध्यक्ष बहुमत से किसी व्यक्ति को रखना चाहे तो उसका स्थानान्तरण नहीं होना चाहिए। उधर कांकरोली में भी जनसंघ की नगरपालिका है। वहां के अध्यक्ष सेक्रेटरी को स्थानान्तरण करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वह हमारे उपमंत्री का नगर है और वह खास व्यक्ति होने के नाते आए दिन हमारे सदस्यों को धौंस दिलाते हैं। कहते हैं कि मेरा स्थानान्तरण नहीं हो सकता। वहां का काम ठीक नहीं चल रहा है, उसकी सरकार को चिन्ता नहीं। नगरपालिका जो जनतन्त्र का स्वरूप है, जिस प्रकार उसको हक मिलना चाहिए वह उसको नहीं मिल पाता। उधर उदयपुर नगरपालिका है उसका सेक्रेटरी एक ईमानदार व्यक्ति है। सरकार समझती है कि जनसंघ का व्यक्ति है, इसलिए इसका स्थानान्तरण करना चाहिए और स्थानान्तरण करने से उदयपुर की नगरपालिका ठीक प्रकार से चलेगी। उसका स्थानान्तरण किया गया। आज उसको सस्पेन्ड किया गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर वहां की नगरपालिका बहुमत से प्रस्ताव पास करती है तो उसकी आवाज को सुनना चाहिए, बहुमत का मान करना चाहिए जिससे विरोधी दल वाले भी नगरपालिका को ठीक तरह से चला सकें।

इतना ही नहीं, जितनी विरोधी दल की नगरपालिकाएं हैं उनमें मकान टैक्स नहीं लगाया गया। सरकार ने उन सबको नोटिस दिया है कि तुम्हारी नगरपालिका क्यों नहीं भंग की जाय ? तुम क्यों नहीं मकान टैक्स लगाते हो ? मैं समझता हूं कि जनतन्त्र का यह मतलब नहीं कि जितने कम्पलसरी टैक्सेज हैं वे सब के सब वसूल करने चाहिए। इसका असली भाव यह है कि जो टैक्सेज बहुमत से नगरपालिका वसूल करना चाहे और जनता नहीं देना चाहे तो सरकार कम्पलसरी टैक्सेज के नाम से वसूल कर सकती है, लेकिन वहां के नगरपालिका के अध्यक्ष और बहुमत समझते हैं कि बिना टैक्स लगाए काम चल सकता है तो फिर इस प्रकार का कम्पलशन लगाना ठीक नहीं। बगैर टैक्स लगाने के ही सरकार की आमदनी बढ गई। कांग्रेस सरकार ने वहां के कर्मचारियों को बहका कर हडताल कराई। हमने महसूस किया कि बिना मकान टैक्स लगाए ही हमारे कर्मचारियों

(श्री जोधसिंह चौहान)
ने कितनी आमदनी बढाई है तो हमने उनकी सब मांगें स्वीकार कर दीं। उसके बाद भी आज तक उनको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं।

तो इस प्रकार सरकार ने कानून बदलकर विरोधी दल की नगरपालिकाओं को फेल करना चाहा। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो विरोधी दल की नगरपालिकाएं हैं उनको महत्व दें। हमारे यहां १४९ नगरपालिकाएं हैं उनमें चुनाव नहीं हुए, चुनाव कराए जायं। एक तरफ आप कहते हैं कि चुनाव नहीं हो सकते, दूसरी तरफ गिरवा क्षेत्र में सरपंच पर मुकदमा लगाकर और अपनी मर्जी से चुनाव करा दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि नगरपालिका के चुनाव कराने में आपको क्या होता है? जनतन्त्र का जो रूप है उसको सत्य रूप में सिद्ध करने के लिए जनता को पूरा अधिकार देना चाहिए उनकी आवाज को सुनना चाहिए।

(२.०० म.प.)

इसलिये जो आपने विधेयक निकाला है उसको जनमत जानने के लिये प्रसारित करें जिससे जनमत जान सकें और सही रूप में विधेयक पास कर सकें।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री रामकिशन (वैर): सूची में मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष: सूची के माफिक नहीं चल रहे हैं। श्री ज्वालाप्रसादजी कई दिनों से नहीं बोले हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, इसमें सिर्फ जरूरत की वजह से एक साल के बजाय दो साल का किसी म्युनिसिपेलिटी का पीरियड बढाने की बात कही गई है। इस ऑर्डिनेन्स की जरूरत भी थी जिस वक्त यह निकाला गया। लेकिन आज यह गौरव का विषय है, जो खबरें हमारे सामने आयी है, उनकी रोशनी में यह ऑर्डिनेन्स रिडन्डेन्ट हो जाता है। सदन को खुशी होनी चाहिए। सन् ६२ में जिस दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया, जो परिस्थितियां पैदा हुईं, चीन अपने आप पीछे हट गया। उसके बाद आज देश ने और उसके जवानों ने अपनी ताकत एक बार फिर दुनिया में दिखा दी। हरएक भारतवासी को इसके लिए गौरव है। हमारे ऊपर हमला किया एक दरिन्दे ने, दुश्मन ने। आज दुश्मन अच्छी तरह से समझ गया, दुश्मन ही नहीं समझ गया सारी दुनियां समझ गयी कि कोई भी फौज हो उसका मुकाबला हमारी फौज कर सकती है और दुश्मन का मुकाबला करके हमारी रक्षा कर सकती है और हमारे जनतन्त्र की रक्षा कर सकती है और हम इस वक्त उस बात को भी नहीं भूल सकते कि किस प्रकार मुल्क के सारे लोगों ने एक-जुट होकर जिसमें सारी विरोधी पार्टियां भी हैं, एक चट्टान की तरह खडी होकर सारी दुनिया को बता दिया है कि जनतन्त्र की रक्षा के लिये चाहे कोई भी दुश्मन हो उसका मुकाबला करने के लिये सारा देश एक है, चट्टान की तरह से खडा है। ऐसे मौके पर मैं अपने विचार यहां आपके सामने इस विधेयक के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं।

सवाल यह है कि एमर्जेन्सी के वक्त एक साल से दो साल का समय बढाया। विरोधियों की तरफ से कहा गया कि एमर्जेन्सी की बात है और दूसरी बात है। मैं उस बात के अन्दर कोई तथ्य नहीं समझता। मेरी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मान्यता है कि आज-कल जैसा टाइम चल रहा है उसके अन्दर जनतन्त्र को सही तौर से चलाने के लिये सरकार यह सोचती है कि इस वक्त चुनाव कराने की जरूरत नहीं है तो उसको अधिकार होना चाहिये एमर्जेन्सी में दुश्मन से सामना करने का दृष्टिकोण होना चाहिये और उसका मुकाबला करने के लिये हम हर जगह सरकार को सपोर्ट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, उप-मंत्री महोदय हालांकि लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट से ताल्लुक नहीं रखते लेकिन मैं तो किसी भी बिल को उनके द्वारा पायलेट किये जाने के लिये पूरा मिनिस्टर मानता हूं। कोई एक्ट, बिल आदि कोई भी चीज आती है तो हमारे सामने एक ही आप मौजूद हैं, कैसी भी स्थिति पैदा करिये उसमें गाडी को खींच कर ले जा सकते हैं। इसलिये ऐसी हालत में मैं उन्हें कहूंगा कि रीजनेबल टर्म्स से, डेमोक्रेटिक ढंग से आशा और आकांक्षाओं का ध्यान रखें। स्वयं ने यह मंजूर कर लिया है कि भेदभाव नहीं करना चाहिये। एक्स्टेन्शन दिया जाय तो सब को दिया जाय और एक्सटेन्शन नहीं दिया जाय तो सब को नहीं देना चाहिए। उन्होंने इसको पॉलिसी के रूप में मंजूर किया है। उससे सदन को संतोष हुआ होगा। इसके साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि इस एक्ट में जितनी कमियां हैं उन पर सरकार को विचार करना चाहिये। जो बातें उठती हैं कि भेदभाव हो गया उसमें कांग्रेस को घसीटने की कोशिश अलग करते हैं। मैं कहता हूं कि इसमें कांग्रेस की बात नहीं है। कांग्रेस ने पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा। तो फिर कांग्रेस हुकूमत इन्वोल्व नहीं की जा सकती। भेदभाव के लिये कोई तथ्य हों तो उसको खत्म कर देना चाहिये। क्यों कर देना चाहिये; इसलिये कर देना चाहिये कि इसमें एक तरह की बात होती है कि व्यक्तियों की हुकूमत है और जनतन्त्र की नहीं। मैं ऐसे उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं कि प्रेसीडेन्ट ने आपके हुक्म को नहीं माना, उसको सस्पेन्ड किया और आज सात वर्ष से अजमेर म्युनिसिपेलिटी का प्रेसीडेन्ट आपके हुक्म की उदूली कर रहा है; उसके कारनाम पूरी तरह से यहां खुले उसके पहले इधर आप कहते हैं बनाये रखो आदमियों को। अजमेर के प्रेसीडेन्ट की तरह दूसरा कौनसा प्रेसीडेन्ट हुक्म उदूली कर रहा है ? इसके माने यह हुए कि आप मौन हैं। आज बरकत साहब नहीं हैं, नहीं तो जवाब तलब किया जाता। जो आदमी डिस्मिस्ड था, एडमिनिस्ट्रेटर ने आर्डर निकाला, उसके हुक्म की उदूली अब प्रेसीडेन्ट कर रहा है। उस प्रेसीडेन्ट का कुछ नहीं बिगाड सकते। वह आपके इशारे पर है और आपको कव्वालियां सुनाता है। आपको एक सिद्धान्त पर चलना पडेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): मोला बुला ले मदीना मुझे !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: जरा शान्ति तो रखिये।

तो आप भी देखिये कि जहां सरकार का इस तरह का व्यक्तिगत ताल्लुक हो जाता है और कानून का ताल्लुक नहीं रहता है तो वह राज्य नहीं चल सकता। इस चीज में इतना ही नहीं कहता। आप पूछ लीजिये डा० पोहूमलजी ने कागज पेश किये थे। कलेक्टर ने लिखा था कि घूसखोरी चल रही

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हैं, इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन हुए हैं उसके लिये मुझे कदम उठाना पड़ेगा और सरकार को कहना पड़ेगा। पहले वाले कलेक्टर थे उन्होंने लिखा था। जनता में म्युनिसिपेलिटी बदनाम है, इसके अन्दर करप्शन है, इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये, यहां तक गवर्नमेन्ट को लिखा। अजमेर की म्युनिसिपेलिटी में इस तरह की स्थितियां चल रही हों वहां प्रोटेक्शन देने की कहां जरूरत है? क्यों है? अपने लोगों को प्रश्रय देने के लिये इस बीमारी को प्रश्रय देते हैं।

(हियर–हियर)

मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं.....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य-प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, किसी भी बोर्ड के प्रेसीडेन्ट को संरक्षण देना राज्य सरकार का प्रश्न नहीं है, आप केवल भावनाओं को उभार कर इल्जामात लगा रहे हैं। कलेक्टर यदि प्रेसीडेन्ट के खिलाफ शिकायत लिखता है तो हम उसकी इन्क्वायरी करेंगे। यदि दोषी पाया जायगा तो एक्शन लिया जायगा। केवल कलेक्टर के लिख देने से म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड कर दें यह कानून के अन्तर्गत नहीं है। हाउस सुप्रीम है जिन हालतों में हम सुपरसीड कर सकते हैं उसके लिये सदन के अधिकार दिये हैं केवल आपके कहने से सुपरसीड किसी को नहीं कर सकते। शिकायत है तो निश्चित तौर से कार्यवाही करेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कलेक्टर के कहने पर विश्वास नहीं करते तो आखिर कौनसी मशीनरी होगी, कैसे आपको इल्हाम होगा कि इस बोर्ड में बेईमानी हो रही है? ऐसी कौनसी मशीनरी है जिसके जरिये यह मालूम किया जा सकता है? आप अपने कार्यालय से यह पता चलाइये कि कलेक्टर ने उसके बारे में लिखा है या नहीं। उसके कहने पर भी आप सुपरसीड नहीं कर सकते तो सुपरसेशन का कानून है किसके लिये? कानून में प्रोटेक्शन है तो आखिर किसको देखने का अधिकार है कि उसका प्रोपरली उपयोग किया जा रहा है या नहीं; यह कहां से पता चलेगा?

श्री परसराम मदेरणा : इन्क्वायरी की मशीनरी डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज है। उनके पास इस प्रकार की शिकायत आयी होगी तो इमीजियेटली इन्क्वायरी करायेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने अपने अधिकारियों से भी पूछा है या नहीं; आप तो डिप्टी मिनिस्टर हैं, कार्यवाही नहीं कर सकते?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे अधिकारियों को पूछने की कतई आवश्यकता नहीं है। लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट का मैं डिप्टी मिनिस्टर हूं और गवर्नमेन्ट को रिप्रेजेन्ट करता हूं; मेरा एश्योरेन्स गवर्नमेन्ट का एश्योरेन्स है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने तो सिर्फ आपकी सफाई दी है.......

श्री अध्यक्ष : अब आप कोई दूसरी बात कहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इनकी तरफ बोला हूं। आप ठीक कहते हैं लेकिन मिनिस्टर साहब इस समय होते तो वे मन्जूर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
कर लेते। आपने जो भी एश्योरेन्स दिया है उसके लिये धन्यवाद !

वडी वडी लडाइयों की बात सुनी होगी, वडे बडे पुलों में पैसा खर्च हो गया, पुल का नाम-निशान ही नहीं। एक इसी तरह का मामला, अजमेर में पुल बना, सैंक्शन हो गई, वह बिना निर्माण कमेटी के सामने आये मन्जूर हो गया। उस कमेटी के अन्दर कोई असेसमेन्ट नहीं हुआ। पुल जहां चार हजार में बनने वाला था उसके १३ हजार हो जाते हैं। सारी कार्यवाही पूरी हो जाती है। और होता क्या है कि न तो पुल बना है, केवल चूना लगाया गया है उसमें १३ हजार का बिल सैंक्शन हो गया और पार्टीज को वह पैसा भी मिल गया। जिसके लिये कमेटी की सैंक्शन नहीं, सारा मामला इल्लीगल है इस तरह की चीजें अजमेर में हो रही हैं। सरकार का कर्तव्य है कि कानून में जो प्रावधान कर रखें हैं उसका उपयोग करे। सब मामला एक कमेटी निर्माण के सामने जाना चाहिये। वहां की स्थिति क्या है कि वहां प्रीऑडिट लागू कर रखा है, चाहे कोई काम बने या नहीं प्री-ऑडिट होता है, विलायतरायजी वैठे हैं। यह नियम है कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट का होगा उसको वहां नहीं रखा जाय लेकिन विलायतरायजी को कौन वहां से हटाने वाला है····

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): विलायत भेज दो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: न किसी को विलायत भेजा जायगा और न कोई विलायत से यहां आने पायगा। आप भी चीन नहीं जा सकते और न चीन वाले ही यहां आ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी बात के संबंध में दो-एक बातें और बताना चाहता हूं। आप कमेटियों को टाइम लिमिट बढायें तो सबकी बढायें, नहीं तो किसी की नहीं बढायें। आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए आपके पूरे नियन्त्रण के पॉवर हैं क्योंकि इस एक्ट के अन्दर आपको सारी जिम्मेदारी दे रखी है। लेकिन इसका सत्यानाश ज्यादा किसी ने किया है तो उधर वालों ने किया है। इस मौजूदा एक्ट से ज्यादा पहले वाले कानून अच्छे थे। इन कानूनों ने शहर और गांवों वालों में मतभेद पैदा किया है। हम चाहते हैं यहां पंचायत समितियों को शिक्षा के संबंध में अधिकार दे रखे हैं उसके लिये हमें ऐतराज नहीं। प्राइमरी स्कूलें पंचायतों को दे रखी हैं उसी प्रकार म्युनिसिपल कमेटीज को भी शहरों में वे अधिकार दे दें। पंचायतों को अपने यहां के छोटे-मोटे मामले निपटाने का अधिकार है वहां शहर वालों को कुछ नहीं है। आप ऐसा करके शहरों के अन्दर कांग्रेस को जमने नहीं देना चाहते। और उसका गलत प्रचार उधर वाले शहर की जनता में करते हैं। वे लोगों को यह कह रहे हैं कि जो अधिकार पंचायतों को दिये जा रहे हैं शहर वालों को उनसे वंचित किया जा रहा है; इस तरह से कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बनाया जाता है। वैसे शहर के लोग ज्यादा पढे-लिखे लोग हैं वे कांग्रेस की कुर्बानी को अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि लोग कांग्रेस का विरोध करते हैं। कम से कम जो पंचायतों को अधिकार है वह तो म्युनिसिपल कमेटी को दिया जाना चाहिये।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इन शब्दों के साथ मैं इस अध्यादेश का सपोर्ट करता हूं। इसके साथ साथ में यह भी मानता हूं कि इलेक्शन आप जल्दी से जल्दी करा दीजिये; अभी मौका है, १५ दिन में आप करा दें तो आप देखेंगे सारी जगह पर कांग्रेस की म्युनिसिपेलिटीज ही बनेंगी और किसी की बन नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष: अब श्री मुख्य मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे।

(२.१८ म. प.)

पाकिस्तान के हमले से राजस्थान में मृत्यु प्राप्त व्यक्तियों के प्रति श्रद्धांजलियां

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जब सुबह के समय वक्तव्य देने का था उस समय की स्थिति में और अभी में काफी चेन्ज हो गया है। इस बीच में पाकिस्तान द्वारा सीज फायर स्वीकार कर लेने की वजह से परिस्थितियों में अन्तर आ गया है इस कारण संक्षेप में मैं अपनी बात कहता हूं।

पाकिस्तान अन्धाधुन्ध तरीके से जोधपुर, बाडमेर और गडरा रोड के नजदीक के स्थानों में बमवर्षा करता रहा है। ये हवाई हमले मुख्यतः सैनिक लक्ष्यों पर ही नहीं किये गये बल्कि नागरिक बस्तियों पर भी किये गये हैं। पाकिस्तान ने जिस अमानवीय तथा अन्धाधुन्ध तरीके से बमबारी की है वह अत्यन्त निन्दनीय है। राजस्थान में यह हवाई हमले ९ सितम्बर, १९६५ से प्रारम्भ हुए। तब से लेकर आज तक जोधपुर और उसके आसपास के स्थानों पर ३८ बार हमले हो चुके हैं। जोधपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में की गई बमबारी में ही लगभग १४९ बम एवं रॉकेट गिराये गये हैं। इन हमलों से अब तक ४८ व्यक्ति मारे जा चुके हैं और ३२ घायल हुए हैं तथा एक व्यक्ति लापता है। सब से अधिक संख्या में व्यक्ति जोधपुर नगर में २१ और २२ सितम्बर की मध्य रात्रि को हुए हवाई हमले के फलस्वरूप हताहत हुए हैं। जोधपुर के केन्द्रीय जेल अस्पताल के भवन पर बम और रॉकेट पाकिस्तान द्वारा गिराये गये जिससे यह भवन पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। जेल भवन के एक बैरक को भी नुकसान पहुंचा है। गत रात्रि को जो हवाई हमले हुए उसके फलस्वरूप ३२ व्यक्ति मारे गये जिनमें एक कम्पाउन्डर और एक वार्डर सम्मिलित है, एक व्यक्ति लापता है और ६ व्यक्तियों को चोटें आयी हैं। कम्पाउन्डर और वार्डर की मृत्यु अपने कर्तव्य निभाते हुए हुई है। अविलम्ब आर्थिक सहायता के रूप में कम्पाउन्डर तथा वार्डर के परिवारों को १-१ हजार रुपये देने का आदेश दिया जा चुका है एवं अन्य सहायता के बारे में विचार किया जा रहा है। इस हवाई हमले के फलस्वरूप मृत्यु को प्राप्त हुए कैदियों के संबंध में पूरी सूचना मिलने पर उनके परिवारों को समुचित सहायता देने एवं राहत पहुंचाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय जेल अस्पताल के अलावा राव हनुवन्तसिहजी के बंगले के अहाते में सरदार क्लब तथा भैरूंसिहजी के बंगले पर भी बम गिराये गये। भैरूंसिहजी के बंगले को काफी क्षति पहुंची है। ये सब भवन नागरिक बस्तियों में स्थित हैं।

जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई या जिनको चोटें पहुंची हैं उनके परिवारों के प्रति हमारे दिलों में गहरी संवेदना है। दुखी परिवारां

Page No 81

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के प्रति हम अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एक सूचना जानना चाहता हूं । जो लोग जेल अस्पताल में हताहत हुए हैं उनमें राजनैतिक डिटेन्यू तो नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं, इनमें से कोई नहीं है, मैंने जानकारी की थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने अपनी ओर से जो सम्वेदना प्रकट की है उन व्यक्तियों के लिये जिन्होंने कि प्राण दिये और पाकिस्तानी हमले के द्वारा जिनकी मृत्यु हुई, मैं समझता हूं कि सदन के सभी व्यक्ति उनके परिवार वालों के प्रति सहानुभूति प्रकट करेंगे और दो मिनिट खड़े होकर उनकी आत्मा को शान्ति पहुंचे, इसके बारे में प्रार्थना करेंगे ।

(माननीय सदस्य दो मिनिट तक मृतात्माओं की शान्ति हेतु मौन खड़े हुए)

(२.२३ म. प.)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६५

(पूर्व क्रम से)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर वाद-विवाद जारी रहेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : समय की क्या स्थिति है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष: इस विधेयक पर आज पूरे समय तक बहस चलेगी । इसके पश्चात् जैसी सूचना होगी दी जावेगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक्सैस डिमान्ड्स आ रही हैं, यह तो मान कर चलें ।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६५ को जनमत जानने के लिये प्रेषित किया जावे, ऐसा मेरा प्रस्ताव था ।

मुझ से पूर्व जितने वक्ता थे उन्होंने सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से इस अध्यादेश को जारी करने के औचित्य पर शंका प्रकट की है । मैं नहीं समझता कि उन तथ्यों को मैं भी दोहराऊं, पर जैसी कि उपमंत्रीजी के उत्तर से ध्वनि निकलती है उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि तर्क सम्मत उत्तर देते हुए भी शायद उनको भी यह विश्वास नहीं हो पाया है कि यह अध्यादेश केवल संकटकालीन स्थिति के कारण लाया गया था यह आदत है इस सरकार की कोई न कोई तरह का बहाना ढूंढने की । आज तो संकटकाल का नाम लिया जा सकता है, हम भी इसे स्वीकार करते हैं । पर इसके अलावा भी जब जब अध्यादेश का विरोध हुआ तो सरकार कोई न कोई बहाना करके निकल गई । तो मैं कहना चाहूंगा कि संकटकाल के नाम पर ऐसा अध्यादेश लाना सरकार के लिये अफसोस की बात है । प्रतिपक्ष के लोग तो शंका ही करते हैं, ऐसा वह कह सकती है, पर हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर यह सब होता क्यों है ?

Page No 82

(श्री रामकिशन)

अध्यक्ष महोदय, जो विरोधी दल के लोग हैं वे विवेकहीन तो नहीं हैं। सरकार जब भी कानून बनाती है तो दोहरा फायदा करती है। जो प्रतिपक्षी लोग हैं उनको नुकसान पहुंचा देती है और जो अपने पक्ष के लोग हैं उनको फायदा पहुंचा देती है। माननीय नसीराबाद से आने वाले सदस्य ने कहा कि वह तो उनके दल का ही सवाल है। उन्होंने कोई यह चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं लड़े हैं। उनके इस तर्क का जवाब देने की जरूरत नहीं है। यह तर्क कहां तक सही है, यह सब लोग जानते हैं। चूंकि दल के आधार पर चुनाव नहीं लड़े इसलिय दल का सहयोग, समर्थन किसी को नहीं रहा यह तथ्यपूर्ण बात नहीं है।

पर मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अभी तक किसी विरोधी पक्ष की नगरपालिका को कभी ठीक तरह से चलने ही नहीं दिया। वैसे माननीय सतीशचन्द्रजी और दूसरे सदस्यों ने इस पर काफी अच्छा प्रकाश डाला है। समयाभाव से मैं उन सबको तो नहीं दोहराऊंगा पर मैं यह बताना चाहूंगा कि मेरे पास भी इसके बहुत से प्रमाण हैं। पर उन सबका जिक्र यहां अभी नहीं करके केवल एक ही प्रमाण से बताना चाहूंगा कि यह राजस्थान सरकार विरोधी नगरपालिकाओं के साथ किस प्रकार का बर्ताव करती है।

बयाना नगरपालिका का मैं जिक्र करना चाहता हूं। सन् ५२ से लेकर अब तक पूरे तीन टर्म में वहां सोशलिस्ट पार्टी के लोग आते रहे हैं। पर इस सरकार ने इन तीनों बार पूरे टर्म तक उसे काम नहीं करने दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार उसने यही किया। माननीय सदस्य जो बानसूर से आये हैं, मंत्री बने थे। उनको यह बुरा लगा। कांग्रेस मंत्री मण्डल के लोग वहां गये, बड़े बड़े लोग गये। चुनाव म वे हार गये तो उसके बाद तो उनको सन्तोष करना था। पर उनकी जिद्द देखो हमने उन्होंने कलेक्टर को कहा कि इस नगर परिषद् को मत चलने दो। कलेक्टर ने जवाब दिया कि हमारे पास ऐसे कौनसे अधिकार हैं जिनसे हम इनको रोक सकते हैं। तो मिनिस्टर महोदय ने उनको लिखकर भेजा। नतीजा यह हुआ कि वहां के चेयरमैन को उन्होंने सस्पेण्ड किया। मामला हाई कोर्ट में गया और फिर नगरपालिका ने काम करना शुरू किया। दुबारा फिर उन्होंने ऐसा ही किया तो दुबारा फिर हाई कोर्ट में गये। फिर चेयरमैन ने काम किया। अब जिस किसी तरह बानसूर वाले मिनिस्टर से पीछा छूटा तो दूसरे उनके ही भाई-बन्धु आ गये और अध्यक्ष महोदय, अभी बरकत साहब सदन में नहीं हैं, पर उनके साथी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल उसके अध्यक्ष को लिखते हैं कि तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट आई है इसलिये हम आपको नोटिस देते हैं कि आपके खिलाफ फलां फलां आरोप हैं और इन आरोपों के लिये सजा क्यों नहीं दी जावे। बयाना के चेयरमैन श्री चतुर्भुज प्रसाद के खिलाफ गवर्नमेन्ट ने रिपोर्ट भेजी। वहां के केन्द्रीय मन्त्री हैं राजबहादुरजी, उनके दल ने एस. डी. ओ. से कहा। उसने रिपोर्ट की। पर यह सब सरकार का काम है, मैं इसमें पड़ना नहीं चाहता कि उसकी मशीनरी किस तरह से क्या क्या करती है। चेयरमैन के खिलाफ आरोप लगाये, पर उन आरोपों का उत्तर

(श्री रामकिशन)
और सफाई देने का अवसर तक चेयरमैन को नहीं दिया और इसके अभाव में ही इकतरफा कार्यवाही करके उनको सस्पेण्ड कर दिया।

भरतपुर जिले में आम तौर से सब जगह सोशलिस्ट पार्टी आती है। पर मुझे याद नहीं कि इस सरकार ने किसी भी जगह तीन साल तक पूरी तरह शान्ति से काम करने दिया हो। मैं यह बात यों ही नहीं कह रहा हूं, प्रमाणों से साबित कर सकता हूं और इसीलिए आज यह राज्य सरकार वहां बदनाम भी है। आप लोकतन्त्र की बात करते हैं। लोकतन्त्र कोई किताबों में लिखी हुई चीज नहीं है, यह कागजी चीज नहीं है, अपितु दैनिक व्यवहार की चीज है। कौन सरकार कितनी लोकतान्त्रिक है, इसकी परीक्षा इस बात में नहीं है कि सदन में बोलने की वे कोई इजाजत दे देते हैं या साल में या दो चार सालों में नियत अवधि में चुनाव हो जाते हैं। उसकी सही परीक्षा तो इस बात म है कि वह चुनाव में आये हुए जन प्रतिनिधियों को जो विरोधी पक्ष के हैं और जो विरोधी पक्ष के व्यक्ति हैं जो कहीं बहुमत में आ गये हैं उनको कितनी सीमा तक वे सहन कर सकते हैं। अगर इस माप-दण्ड से देखा जावे तो यह सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है लोकतन्त्र की इस परीक्षा में। जहां इसका मौका लगा और जहां अधिक बहुत से विरोधी पक्ष के लोग आये इस सरकार ने उस विरोधी पक्ष की नगरपालिका को काम नहीं करने दिया, पूरे समय काम नहीं करने दिया, न आज करने देती है। इसका एक नमूना बयाना की नगरपालिका है। तीन तीन टर्म में वहां सोशलिस्ट पक्ष के लोग बहुमत में चुन कर आये पर सरकार ने कभी भी पूरे तीन साल तक उस पार्टी को सत्तारूढ नहीं रहने दिया और फिर हंसी आती है यह जानकर कि उन पर आरोप कैसे लगाये जाते हैं यह आप देखें।

मैं पूछना चाहता हूं कि बयाना नगरपालिका के चेयरमैन को पिछली बार किस बात पर सस्पेण्ड किया? आप एक आरोप लगाते हैं। एक पुराना मकान है। अकबर के समय का एक मकान है। बयाना में बना हुआ है। उस की जमीन को, जिसकी सीमा निश्चित नहीं थी, बाढ़ आने के बाद विस्थापित बने हरिजनों को वह जगह दे दी। सोशलिस्ट पार्टी का यह घोषणा-पत्र में ऐलान है कि जो पिछड़े लोग हैं जो दुखी हैं, सताये गये हैं, उनको अधिक से अधिक सहारा वह देगी। लिखित घोषणा-पत्र है। अब जो जमीन दी उसको देने में सारी कार्यवाही कानून के अनुसार की। कानून के अनुसार कीमत ली। कलेक्टर ने दस्तखत किये। जमीन ठीक थी, कीमत ठीक थी, अलॉटमेन्ट ठीक था, सारी कार्यवाही ठीक नियमानुसार थी। अब आरोप यह लगाया कि हरिजनों को जमीन जो दी वह जमीन हरिजनों ने बहुतों ने दूसरों को बेच दी। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें चेयरमैन ने कौनसी गलती की, उसका क्या कुसूर था? चेयरमैन उनको कौनसे कानून के तहत रोक सकता है। अलॉटमेन्ट अगर गलत हुआ हो, कीमत वसूल करने और तय करने में गड़बड़ी की हो, रुटीन मे गड़बड़ी की हो तो बात समझ में आ सकती है। पर अगर हमने उनको बेची और उन्होंने दूसरे किसी को बेच दी तो इसके कारण चेयरमैन को मुअत्तिल

(श्री रामकिशन)

कर दिया जावे, यह कौनसा लोकतन्त्र का तरीका है। छः महीने तक इधर-उधर चक्कर खाये। हमने भी बीच-बचाव किया और बात चीत की तो उनको रि-इन्स्टेट कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के सचिवालय की बात बताता हूं कि रि-इन्स्टेटमेन्ट के ऑर्डर्स उनके पौने दो महीने तक नहीं जाने दिये। एक पक्ष कहता था कि रिइन्स्टेट तो हो गए लेकिन किसी तरह से ऑर्डर्स नहीं पहुंचने चाहिए और अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुभव है कि उस समय के जो सचिव महोदय थे स्वायत शासन विभाग के वे छुट्टी पर थे और जो वहां थे उनका व्यवहार इस तरह का था कि जैसे चीन के वार लॉर्डस् का होता था।

(२.३० म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जब मियाद पूरी हो गई तो एक घण्टे पहले ही उस ऑर्डर को दिया गया। यही वहां के लोगों की जिद थी। तो मैं कह रहा था कि सरकार लोकतंत्र की बात करती है, सरकार कहती है कि हमारे अध्यादेशों का विरोध क्यों करते हैं, इन अध्यादेशों के जरिये तो हम जनता के हित की बात करते हैं, लेकिन मुझे आप एक तर्क से समझा दें कि एक ही पार्टी के खिलाफ, एक ही चेयरमैन के खिलाफ बारबार सस्पेंशन के ऑर्डर्स आते हैं और फिर वही रिइन्स्टेट होता है और सरकार को न अपनी गलती महसूस होती है और न सरकार को इसकी शर्म ही आती है।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अपने जो अध्यादेश जारी किया है उसे आप संकट-काल के नाम पर अपनी दलीय हितों के लिए प्रयोग नहीं करें। वैसे आपने विश्वास दिलाया है और जब आप विश्वास दिलाते हैं तो उस विश्वास पर हमें एतबार करना पड़ता है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की हालत वही है जो कि पाकिस्तान की सरकार की है। वैसे सीज फायर हो गई और मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा लेकिन पाकिस्तान की सरकार जिस तरह अपने वायदों को तोड़ती है उसी तरह से राजस्थान के मंत्री सदन में कुछ कह देते हैं और वायदे करते हैं लेकिन अपने ही वायदों को तोड़ देते हैं। उनके वायदे तोड़ने की आदत पड़ी हुई है और वे अपने वायदों को कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे माननीय उप-मंत्री जी क्योंकि जिम्मेदारी के साथ कहते हैं तो मैंने बयाना के बारे में कहा उसकी वे जांच करें। आप फाइल को देखेंगे तो मालूम होगा कि इतना बड़ा अन्याय किसी भी लोकतंत्रीय संस्था में नहीं होगा। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हम नगरपालिकाओं के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। मैं नहीं समझता कि विरोधी दलों की नगरपालिकाओं को किस हैसियत से देखते हैं। मेरा ख्याल है कि जो विरोधी दलों की पंचायत समितियां और नगरपालिकाऐं हैं इनके खिलाफ कानून मंत्री महोदय कुछ करना चाहें तो निरन्तर वह कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। इन विरोधी दलों की नगरपालिकाओं की हैसियत, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी है कि जैसे तरुण बाल-विधवा हो, जब किसी की तबियत आई कुदृष्टि डाल दी। मुझे हंसी आती है जहां जहां विरोधी दल की नगरपालिकाएं देखते हैं वहां कभी भी कुदृष्टि डाल सकते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कालीदास की उपमाओं से तुलना की जा सकती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (श्रासीन्द) : श्रापने तो श्रपना रसियापन बता दिया।

श्री रामकिशन : वह तो मिसाल दी है।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जब जिसने चाहा उसने कुदृष्टि डाल दी, लेकिन इन मंत्रियों की कुदृष्टि से कैसे बचा जाये, यह समझ में नहीं श्राता है। इसलिए मैंने श्रापकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि वे गंभीरता से विचार करें। बूंदी का भी यही मामला है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की मिसाल दे सकता हूं कि जब तक जो पार्टी या उसका चेयरमैन कांग्रेस दल के पक्ष में रहा तब उसकी गलत कार्यवाहियों का भी समर्थन होता रहा। श्रगर श्राप यह कहते हैं कि हम श्रारोप-पत्र देंगे उसका जवाब लेंगे उसके बाद में सस्पेंड करेंगे तो समझ में श्रा सकता है, लेकिन श्राप दोहरा श्राचरण करते हैं। श्राप कहीं तो श्रारोप-पत्र नहीं देते श्रौर कहते हैं कि हमने श्रपने श्राप ही मान लिया है कि श्रपराध किया है श्रौर इस कारण सस्पेंड करते हैं। हम कहते हैं कि एस.डी.एम. से जांच कराश्रो, कलेक्टर ने जांच की तो कहते हैं कि हम श्रारोप-पत्रों का जवाब लेने के बाद ही कार्यवाही कर सकते हैं। बयाना के बारे में मैंने दोनों दृष्टिकोण रखे हैं। श्रापके विभाग को जानकारी नहीं है। यह सारी कार्यवाहियां स्वायत्त शासन विभाग में चलती हैं। श्राज स्वायत्त शासन संस्थायें लोकतंत्र की स्थाई इकाई हैं श्रौर ये इकाइयां कमजोर होती हैं तो लोकतंत्र कमजोर होता है, यदि जनता की इन इकाइयों में श्रास्था कम होती है तो उनकी लोकतंत्र के श्रन्दर श्रास्था कम होती है।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि श्रब तक जो कुछ श्रापने किया वह संकट-काल के नाम से किया श्रौर इस संकट-काल से श्राप बच गए। श्रब संकट-काल की स्थिति क्या हो, यह कल से सदन तय करेगा। लेकिन श्राप जिस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं मैं कहता हूं कि संकट-काल कोई पाकिस्तान का हमला होने वाला नहीं है, कोई चीन का श्राक्रमण होने वाला नहीं है, संकट-काल कांग्रेसी शासन कर रहा है श्रौर जब तक शासन कांग्रेस का दूर नहीं होगा तब तक देश संकट-काल से श्रलग नहीं हो सकता। यह खुद ऐसे काम करते हैं जिससे पाकिस्तान कमजोर समझ कर इस पर हमला करे, चीन श्राक्रमण की धमकी दे। जहां विनम्रता की बात होगी वहां तो यह लाठी लेकर श्रा जाते हैं श्रौर जहां कठोर रहना होता है वहां यह ढीले हो जाते हैं। जिनसे लड़ना है उनको तो विनम्रता दिखायेंगे श्रौर जहां श्रपने लोगों का मन जीतना होता है वहां यह बन्दूक लेकर चलेंगे। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं उप-मंत्री जी से कहूंगा कि क्योंकि समय कम है इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि सरकार श्रपने रवैये में सुधार करे। श्राज पाकिस्तान से सीज फायर हो गया है लेकिन जब तक वह जिन्दा है यह समस्या ज्यों कि त्यों बनी रहेगी। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा वातावरण पैदा करे कि जनता, विरोधी दल श्रौर सरकार का मन एक हो। चाहे मत-भेद हों लेकिन मन में मतभेद नहीं हों श्रौर यह जिम्मेदारी जितनी विरोधी दलों पर है उतनी ही श्राज सरकारी पक्ष पर भी है। विरोध में जो श्रा जाते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं, उन्हें वह हिकारत की दृष्टि से या श्रपनी पराजय समझ कर उनके खिलाफ श्राचरण नहीं करें। श्रगर ऐसा नहीं करते हैं तो श्राप

(श्री रामकिशन)
पैदावार नहीं बढा सकते हैं, सुरक्षा के स्थानों को मजबूत नहीं कर सकते ।

हिन्दुस्तान की पूरी जनता पढी-लिखी नहीं है, वह आपके एक आचरण से आपके बारे में धारणा बनाती है । जो काम आपके पटवारी करते हैं, जो काम आपके थानेदार करते हैं जनता उससे आपके बारे में धारणा बनाती है । तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके छोटे-छोटे काम जो आप किसी को मुअत्तिल कर देते हैं इससे लोकतंत्र की परीक्षा होती है । हम अगर गलत काम करते हैं तो आपको सही करना चाहियें और यदि आप गलत काम करते हैं तो हमें सही करना चाहिए । आपने देखा है कि जिस चेयरमैन को आप हटा देते हैं वही जनता उसी चेयरमैन को फिर ले आती है और आप फिर मुअत्तिल कर देते हैं तो लोगों को नाराजगी पैदा होती है । लोकतंत्र में विरोधी दलों को भी जीवित रहने का अधिकार है, उनको भी ताकत प्राप्त करने का अधिकार है । लेकिन दाब-धौंस से या सरकारी दबाव से कि हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम मुअत्तिल कर देंगे, इन तरीकों से तो आप १८ साल राज्य कर चुके हो । अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारे देश में साक्षरता बढी है और अब आपके भी दिन नजदीक आ चुके हैं, मेरा मतलब आपके राज्य से है और कांग्रेसी दल से है । अब आपके दिन नजदीक हैं, आप सब वृद्धावस्था में चल रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आपका आचरण कम से कम ऐसा होना चाहिए कि जो समानता वाला हो, शालीनता वाला हो, सौम्यता वाला हो, मन जीतने वाला हो और प्रायश्चित करने वाला हो । अगर आपने प्रायश्चित नहीं किया तो मुझे खतरा है कि आप देश को कहीं लेजा सकेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि जो संशोधन रखा है कि इसे जनमत जानने के लिए भेजा जाए इसे स्वीकार किया जाये और बयाना के बारे में जो मैंने कहा है उसके बारे में वह जांच करा लें और स्पष्टीकरण करें तभी हम समझ सकते हैं कि सरकार सचेत है नहीं तो संकट-काल के बहाने आप फायदा उठायें यह कभी नहीं होने दिया जायेगा ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९६५-६६ (प्रथम संग्रह) के विवरण का उपस्थापन

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९६५–६६ (प्रथम संग्रह) के विवरण का उपस्थापन करता हूं ।

(२.४० म. प.)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक १९६५

(पूर्व क्रम से)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत हुआ है और जो उद्देश्य बताए गए हैं, जो एम्स एण्ड ऑब्जेक्टस बताऐ गए हैं वह हैं एमर्जेन्सी के कारण । जो नगरपालिकाओं की भिन्न भिन्न तारीखें थी और उनको एक रूप देने के लिए, एक समय में उनके चुनाव कराकर के और उस अवधि के अन्दर उस कार्य को पूरा कराने के लिए यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है और इसके पीछे जो मकसद बताया गया है और जिसके बारे में भिन्न भिन्न बातें कहीं गई हैं कि राजनैतिक लाभ उठाने

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
के लिए या विरोधियों को दबाने के लिए या और कई बातें लोगों कि अपनी मनघड़ंत बैठा कर जिस प्रकार से अपने दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस नगरपालिका के संशोधन विधयक के अवसर पर काम में लिया गया है, इस विधेयक को हथियार बनाया गया है, उससे यह कहीं भी प्रगट नहीं होता है कि यह नगरपालिका (संशोधन) विधेयक जिसमें नगरपालिकाओं की अवधि बढाई गई है उससे कहीं भी राजनैतिक लाभ किसी प्रकार से प्राप्त होता हैं। राजनैतिक लाभ तो अपने काम से, अपनी जिम्मेदारी और अपनी सेवाओं से प्राप्त हो सकता है। यह नहीं है कि म्युनिसिपेलिटीज की अवधि बढा दी और उससे राजनैतिक लाभ प्राप्त हो गया। अगर हमारा आचरण खराब है, हमारा काम खराब है, हमारी सेवाएं जनता के प्रति नहीं हैं तो कितने दिन बकरे की मां थावर डालेगी। आज नहीं तो कल जनता हमको उखाड़ फेंकेगी। आप यहां पर किसी प्रकार की बात कह सकते हैं, यहां पर आप किसी प्रकार का वातावरण बना कर बात कह सकते हैं लेकिन जब हम जनता के सामने हर तीसरे और पांचवें साल जाते हैं तो जनता का समर्थन जिन लोगों के अन्दर उनका विश्वास है उनको प्राप्त होता है।

इस लोकतंत्रीय व्यवस्था को बनाए रखने में जितना कांग्रेस सरकार और कांग्रेस ने सहयोग दिया है, उतना मैं समझता हूं कि विरोधी पार्टियों ने नहीं दिया है। कितनी ही विरोधी पार्टियों का तो इस लोकतंत्रीय व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है। यहां पर भले ही वे शब्दजाल बिछा कर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन हम जानते हैं कि लोकतंत्र को इस देश में जमाने के लिए, लोकतंत्र की व्यवस्था जमाने के लिए जो कांग्रेस ने काम किया है और कांग्रेस ने जिस प्रकार की इस देश में लोकतंत्र की सेवा की है वह हिन्दुस्तान में ही नहीं सारे संसार में विख्यात है कि हिन्दुस्तान ही लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा देश इस दुनिया में है। तो मैं यह कह रहा था कि जिस प्रकार से इन नगरपालिकाओं की एक साल की अवधि बढाई है उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है। सिर्फ एमर्जेंसी को देखते हुए ही नगरपालिकाओं की अवधि बढाई गई थी और जो अलग अलग, भिन्न भिन्न नगरपालिकाओं की अलग अलग समय पर अवधि समाप्त हो रही थी तो यह मुमकिन नहीं था कि इस समय में जब कि अप्रेल और मई में कच्छ की लड़ाई की वजह से एमर्जेन्सी हो गई थी, उन दिनों में किसी प्रकार से संभव नहीं था कि इन नगरपालिकाओं के चुनाव कराये जा सकते। आपको मालूम है कि सन् ६३ में ७० म्युनिसिपेलिटीज के चुनाव हो गए थे। ७२ म्युनिसिपेलिटीज के चुनाव नहीं कराये जा सके थे और उनके जो कारण माननीय उप मंत्री महोदय ने बताए कि कभी पंचायतों के चुनाव आ गए, कभी दूसरी बातें हो गई जिनकी वजह से समय समय पर यह अवधि बढानी पड़ी। तो उनके पीछे जो कारण बताए गए हैं वह माकूल कारण हैं। उनसे कहीं भी प्रकट नहीं होता कि नगरपालिकाओं के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव किया गया हो।

दूसरी बात यह कही गई है कि ....

श्री उपाध्यक्ष: मैं अर्ज कर दूं कि समय कम है माननीय सदस्य ....

श्री गिरधारीलाल व्यास: अब तो सारा टाइम इसी में लगेगा।

Page No 88

श्री उपाध्यक्ष : चार बजे तक का समय है, इसे और बढावें तो बात दूसरी है, लेकिन अगर उसी में समाप्त करना है तो थोड़ा सा नियंत्रण रखें समाप्त करने में।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दो-तीन ही बोलने वाले हैं। जिन्होंने संशोधन दिये हैं वे ही तो बोलेंगे।

श्री उमरावसिंह डाबरिया (बनेड़ा) : दूसरे भी तो सपोर्ट कर सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हां तो मैं कारण बता रहा था, इसका मैं सपोर्ट ही कर रहा हू।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : यह तो आपका प्रस्ताव ही है कि जनमत जानने के लिए भेजा जावे। इसके अलावा आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : (आसीन्द) उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि जिस प्रकार हमारी विरोधी पार्टी के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि कुछ म्युनिसिपेलिटीज के अन्दर प्रशासक नियुक्त किए गए हैं और कुछ म्युनिसिपेलिटीज का टाइम बढाया गया है, उनकी अवधि बढाई गई है, यह भेदभाव जिस प्रकार से यहां बताया गया है उसके पीछे भी कुछ न कुछ उद्देश्य होने चाहिए, कुछ न कुछ मतलब होने चाहिए।

जिस प्रकार यहां राजनैतिक कलर दिया गया है, मेरे खयाल से इस प्रकार के राजनैतिक कलर की कोई बात नहीं है। म्युनिसिपेलिटीज का कार्यकाल डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज की रिकमन्डेशन पर बढ़ाया जाता है। नगरपालिकाओं का प्रशासन चलाने के लिये उनकी जिस प्रकार की रिकमन्डेशन होती है सरकार उसी पर गौर करके वहां पर प्रशासक नियुक्त करती है और उनकी अवधि बढाती है। इसलिये कहने का मतलब यह था कि यह जो भी अवधि बढाई गई है उसके पीछे उप-मन्त्री महोदय ने जिस प्रकार का आश्वासन दिया है कि इस प्रकार का भेदभाव आयन्दा नहीं होगा तो यह निश्चय ही प्रशंसनीय चीज है।

मेरा ख्याल है कि जो अवधि बढाई गई है उसके पीछे मुख्य उद्देश्य संकटकाल का था। अप्रेल-मई के अन्दर कच्छ का संकट उपस्थित हुआ और उसके बाद अगस्त में पाकिस्तान का हमला हमारे देश पर हुआ और हमने जिस बहादुरी और वीरता के साथ उस पाकिस्तान के घुसपैठियों और वहां की जो रेगुलर फोर्सेज थीं उनका मुकाबला करके हमारे जवानों ने जिस प्रकार से पाकिस्तान का छक्का छुड़ाया है वह प्रशंसनीय है। ऐसे संकट काल के समय में किस प्रकार से चुनाव कराए जा सकते थे। यहां यह भी कहा गया कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में चाहे कैसा भी संकट-काल हो हमको चुनावों पर खास तौर से ध्यान रखना चाहिए और लोकतंत्रीय व्यवस्था तब ही कायम रह सकती है जबकि चुनाव समय पर कराए जावें। मगर ऐसे समय में जब कि देश पर संकट था, हमारी सेनायें और हमारे सभी लोग उस संकट का मुकाबला करने के लिए डटे हुए थे, ऐसे समय में अगर चुनाव कराए जाते तो हमारा ध्यान देश की रक्षा व्यवस्था में लगाना चाहते थे उसका बंटवारा हो जाता और जो अलग अलग पार्टीज म्युनिसिपेलिटीज के चुनाव लड़ती हैं उनका तमाम ध्यान इन चुनावों की तरफ हो जाता

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

ग्रौर इससे देश का बहुत बड़ा ग्रहित हो सकता था। इसलिए यह ग्रावश्यक था कि यहां पर चुनाव नहीं कराए जावें। इसमें किसी प्रकार का राजनैतिक कारण नहीं है; सिर्फ़ देश को संकट से बचाने के लिए ये चुनाव नहीं कराये गए।

यह भी कहा गया कि इसमें एक्सचेकर का क्या खर्चा होता? ग्राप जानते हैं कि ग्राजकल के चुनाव कितने महंगे हैं। पार्टियों को, जो चुनाव लड़ती हैं, खर्चा करना पड़ता है, जो ग्रादमी खड़े होते हैं उनको खर्च करना पड़ता है।

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

चुनावों की व्यवस्था करने के लिये सरकार को भी खर्चा करना पड़ता है। ऐसे समय में चुनाव कराने से हमारी सुरक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार से या दूसरी रीति-नीति के द्वारा हम व्यवस्था करना चाहते थे उसमें बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती ग्रौर हम जिस प्रकार की व्यवस्था चाहते थे वह नहीं हो पाती। इसलिए जो यह संशोधन लाया गया है वह बिल्कुल वाजिब है ग्रौर ठीक है। मगर चूंकि ग्रभी थोड़ी देर पहले ही खबर मिली है कि सीज-फायर हो चुका है ग्रौर सीज फायर हो जाने के बाद किस नतीजे पर हमारी सरकार पहुंचती है ग्रौर किस प्रकार का हमारा कार्य रहता है, उन सब बातों पर विचार करना होगा ग्रौर ग्रगर यह व्यवस्था ठीक तरह से बैठ जाती है तो यह जो संशोधन लाया गया है उसकी ग्रावश्यकता नहीं रह जाती है। एक साल की ग्रवधि बढ़ाने के लिये जो व्यवस्था की जा रही है उसके संबंध में दूसरे लोगों की भी राय, जाम ली जाय, इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय ग्रौर उस पर मैं ग्रपना जोर देता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन के समक्ष राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट की धारा ११ के ग्रन्दर यह इस बिल के द्वारा यह संशोधन लाया गया है उस संबंध के ग्रन्दर मैंने ग्रपना यह संशोधन मूव किया है। मैं इस संबंध में ग्रधिक समय न लेकर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि शासन ने जो ग्रापत्कालीन स्थिति की ग्राड़ लेकर जो समय समय पर जनतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, मैं सोचता हूं कि इससे ग्रधिक उदाहरण ग्रौर कोई नहीं मिल सकता है। ग्रगर, राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट जो ग्रारम्भ में जिस प्रकार से यहां पारित हुग्रा था, उसके थोड़े से इतिहास को देखा जाय तो यह मालूम पड़ता है कि शासन जनतंत्र के साथ खिलवाड़ करने पर तुला हुग्रा है। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रारम्भ के ग्रन्दर जो मूल एक्ट था उसमें जहां तक कि म्युनिसिपेलिटीज के काल की समाप्ति होने का प्रश्न है उस समाप्ति के उपरान्त मूल एक्ट के ग्रन्दर उस म्युनिसिपेलिटी को जिसका कि पीरियड समाप्त हो चुका है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का किसी प्रकार का ग्रधिकार इसके ग्रन्दर नहीं था। एक्ट के ग्रन्दर इस प्रकार का कोई ग्रधिकार नहीं था कि शासन ग्रगर किसी म्युनिसिपेलिटी का पीरियड समाप्त हो गया हो तो वहां एडमिनिस्ट्रेटर ग्रपोइंट कर सके लेकिन उस काल के ग्रन्दर जब कि इस प्रकार का ग्रधिकार शासन को नहीं था शासन ने धारा २९५ के ग्रन्तर्गत उन म्युनिसिपेलिटीज में, जिन म्युनिसिपेलिटीज की ग्रवधि समाप्त हो गई थी वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रपोइन्ट

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

किये। इसके बाद उन म्युनिसिपेलिटीज ने सरकार के इस रवैये के खिलाफ हाई कोर्ट के अन्दर शरण ली और हाई कोर्ट ने सन् ६० के अन्दर इस प्रकार का अपना निर्णय दिया कि आज तक एक्ट के अन्दर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि जिसके अनुसार शासन किसी भी म्युनिसिपेलिटी की अवधि समाप्त होने के बाद वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर अपोइंट कर सके और साथ ही साथ उसके अन्दर यह भी निर्देश दिया कि अभी तक शासन जो २९५ की धारा को एट्रैक्ट करके अपने पावर्स इस्तेमाल कर रही है वह गलत है। धारा २९५ के अन्दर शासन को अधिकार केवल उस समय आता है जब कि अनियमितताओं के कारण या गैर-कानूनी कार्यवाही के कारण यदि शासन म्युनिसिपेलिटी को सुपरसीड कर दे या डिजोल्व कर दे, तो ऐसी सुपरसेशन और डिजोल्यूशन की हालत में एडमिनिस्ट्रेटर अपोइंट कर सकती है। लेकिन शासन चाहे कि २९५ को एट्रैक्ट करे इसलिए कि म्युनिसिपेलिटी की अवधि समाप्त हो गई है इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर अपोइंट कर दिया जाय तो ऐसा अधिकार शासन को नहीं है।

जब मूल एक्ट पास किया गया था और विधान सभा ने मूल एक्ट पास करके जो अधिकार शासन को दिये थे उस समय एक बात सीमित कर दी थी और, उस समय विधान सभा की यह राय थी कि कोई कारण नहीं है कि जिससे म्युनिसिपेलिटी की अवधि ३ साल से ज्यादा हो और शासन उसकी समाप्ति के बाद चुनाव करा कर नई म्युनिसिपेलिटी फार्म न कर दे। जैसा कि अभी नजर आया है वाद-विवाद के अन्दर कि शासन इस बात पर तुला हुआ है कि किसी प्रकार भी अपने सत्तारूढ दल को, कांग्रेस पार्टी को, हर समय मौका देता रहे और इसलिये हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिये हैं या जो जजमेन्ट दिया है उसकी अवहेलना करके एक नया संशोधन लाया गया है। उस संशोधन के द्वारा इस एक्ट के अन्दर धारा २९३(ए) एक नई धारा जोड़ी गई है और उसके अन्दर शासन ने अधिकार लिया है कि म्युनिसिपेलिटीज ने जिनकी टर्म खत्म हो जाती है उसके बाद भी वहां पर वह एडमिनिस्ट्रेटर अपोइंट कर सके। तो मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि आरम्भ के अन्दर विधान सभा की इस प्रकार की कोई राय नहीं थी कि जिन म्युनिसिपेलिटीज की टर्म खत्म हो जाय उसके उपरान्त शासन यह अधिकार ले ले कि एडमिनिस्ट्रेटर उनमें अपोइंट कर दे। लेकिन २९३(ए) आने के उपरान्त शासन ने खिलवाड़ किया और जिस जनतंत्र की वह दुहाई देती है उसका गला घोंटने का प्रयास किया है और उसका नक्शा आज हमारे सामने नजर आता है। जो चित्र हमारे सामने है वह यह है कि अधिकतर म्युनिसिपेलिटीज के चुनाव किए जा चुके हैं। केवल २७ म्यूनिसिपेलिटीज ऐसी हैं कि जिनकी मयाद खत्म हो जाने के बाद भी उनकी मयाद को बढाया गया है और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ही यह ऑर्डिनेंस लाया गया है और अब बिल के रूप में यह पेश है। ४३ म्युनिसिपेलिटीज इस प्रकार की हैं जहां एडमिनिस्ट्रेटर अपोइट कर दिए गए हैं। ४३ म्युनिसिपेलिटीज में एड-मिनिस्ट्रेटर्स हैं और २७ म्युनिसिपेलिटीज की मयाद बढा दी है। केवल २७ म्युनिसिपेलिटीज को संरक्षण देने के लिए इस प्रकार का प्राव-धान लाया गया है और दो साल की मयाद हमसे मांगी गई है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि यह स्पष्ट हो चुका है, जैसा कि जौहरी बाजार से आने वाले माननीय

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सदस्य ने स्पष्ट किया और साथ ही साथ जिसको कि इस बिल के इंचार्ज मिनिस्टर महोदय ने स्वयं ने स्वीकार कर लिया है कि भविष्य के लिये सरकार ने अपनी नीति बना ली है कि भविष्य में बराबर कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं किया जायगा कि अमुक म्युनिसिपेलिटी में एडमिनिस्ट्रेटर हो जाय और अमुक म्युनिसिपेलिटी के अन्तर्गत एडमिनिस्ट्रेटर न रह कर वहां की मयाद बढा दी जाय। भविष्य के लिये वे यह नीति बना चुके हैं कि समानता का व्यवहार करेंगे। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि वे यह स्वीकार करते हैं कि अभी तक की नीति में गवर्नमेन्ट डिस्क्रीमिनेशन करती आई है, उसने भेदभाव की नीति अपनाई है। यह उनकी स्वेच्छा पर निर्भर था कि किस म्युनिसिपेलिटी की मयाद बढायें और किस म्युनिसिपेलिटी में एडमिनिस्ट्रेटर अपोइंट करें। इस डिस्क्रीमिनेशन में कोई दूसरा ध्यान नहीं रखा गया है, केवल एक बात का ध्यान रखा गया है कि अमुक म्युनिसिपेलिटी विरोधी दल की है, अमुक म्युनिसिपैलिटी कांग्रेस की है और कांग्रेस की होते हुए भी हमारे मानने वालों की नहीं है; केवल इस विचार को रख कर किया है। किसी की मयाद बढ़ाई गई है और कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर अपोइंट किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन मेरी मान्यता है कि जिन म्युनिसिपेलिटीज की टर्म खत्म हुई है और अगर उनके खिलाफ २९५ के तहत आपने सुपरसीड करने की या डिजोल्व करने की कोई कार्यवाही नहीं की, कोई नोटिस चार्जशीट का सर्व नहीं किया तो मेरी यह मान्यता है कि उन म्युनिसिपेलिटीज के लिए आज केवल यह कहना कि उनमें कोई इरेगुलेरिटीज थीं इसलिए उनको एक्सटेन्शन देना मंजूर नहीं किया, मैं सोचता हूं कि आज की स्थिति में यह बात बिल्कुल गलत होगी। उन म्युनिसिपेलिटीज के लिए जिनका कि टर्म एक्सपायर हो चुका था और जिनको एक्सटेन्शन नहीं दिया आज यह कहना कि उनकी कार्यवाही अच्छी नहीं थी, उनकी ऋणग्रस्त स्थिति थी। क्या उन म्युनिसिपेलिटीज, जिनका कि खास तौर पर यहां नाम लिया गया है--कोटा, नाथद्वारा, लाखेरी के खिलाफ आपने कभी २९५ के तहत कार्यवाही की? कभी चार्जशीट का नोटिस उनको सर्व किया? आज आप कह सकते हैं कि उनके खिलाफ शिकायतें थीं तो वे शिकायतें कोई मायने नहीं रखतीं। अगर कोई शिकायत थी तो आपको कार्यवाही करनी चाहिये थी २९५ के तहत। उसके अन्दर कार्यवाही नहीं की। उनको कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया, उनको सुपरसीड नहीं किया, उनको डिजोल्व नहीं किया। तो आज कोई तथ्य नहीं है, कोई कारण नहीं है बताने का आपके पास कि उनकी मयाद इसलिए नहीं बढाई है। उसका कोई स्पष्टीकरण आपने नहीं किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इससे यह स्पष्ट है कि जो एक्सटेन्शन दिया है, जो मियाद बढाई है वह स्पष्ट रूप से अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से किया है और उसको संरक्षण देने के लिए आज इस प्रकार की कार्यवाही करके यह बिल लेकर आये हैं और दो साल की उनकी मियाद बढाना चाहते हैं। इसी आधार पर दृष्टांत देना चाहता हूं कि आ

Page No 92

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

बड़ी देर से संकटकालीन स्थिति की दुहाई देते चले आ रहे हैं, आपने बारां म्युनिसिपेलिटी में क्या किया ? बारां नगरपालिका में, उपाध्यक्ष महोदय, जो वहां के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ वहां के मेम्बरान ने वोट ऑफ नो-कॉन्फीडेन्स पारित किया और वोट ऑफ नो-कॉन्फीडेन्स पारित होने के बाद जो १० तारीख गई है, १० सितम्बर को नए चुनाव नगरपालिका के होने वाले थे, और इस प्रकार बात हुई चुनाव के संबंध में कि जो जनसंघ के सदस्य थे श्री कन्हैयालाल उनके लिये सब प्रकार से तय हो गया था, विरोधी दल के लोग और कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने मिल कर जो कि बहुमत बनाते हैं उन्होंने तय किया था कि उनको चेयरमैन बना देंगे। १० तारीख तय हो गई थी। १० सितम्बर को चुनाव होने वाला था। उसके लिए एक राजनैतिक चाल खेली गई और संकटकालीन स्थिति का फायदा उठा कर इस चुनाव को रद्द कर दिया गया। क्या इस प्रकार से संकटकालीन स्थिति का संरक्षण लेकर आप जनतंत्र को पोषण देना चाहते हैं ? क्या यह आवश्यक है उनके लिए जो कि बारबार जनतंत्र की दुहाई देते हैं ?

एडमिनिस्ट्रेटर काल में कोटा में क्या हुआ ? उसका एक बड़ा भारी इतिहास है। एडमिनिस्ट्रेटर काल में कोटा में यहां तक हुआ कि टेन्डर मंजूर हुआ। जो लोएस्ट टेन्डर था उसके आधार पर ठेका दे दिया गया। बाद में जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने स्वयं ने नहीं, उनकी श्रीमतीजी ने, श्रीमतीजी भी नहीं, वे कौन थीं मैं नहीं कहना चाहता, स्वयं ने फाइल पर ऑर्डर लिखा है कि दुबारा टेन्डर कॉल किये जायं। आज तक वह फाइल रेकार्ड के अन्दर, कोटा म्युनिसिपल कौंसिल के अन्दर मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेटर-काल क्या रहा, किस प्रकार का रहा, यह बात इससे जान सकते हैं। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आंकड़े इकट्ठे करके देखलें कि जिस समय चीन का आक्रमण हुआ था तो चाइनीज आक्रमण के समय म्युनिसिपेलिटीज ने जिस प्रकार का कार्य किया था, सरकार को सहयोग दिया गया था रुपया-पैसा इकट्ठा करने में व अन्य बातों में वह सारी की सारी प्रेरणा इस काल में जबकि म्युनिसिपेलिटीज में एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे रहे तो वे म्युनिसिपैलिटीज को सारी की सारी को अपंग बना कर बैठे रहे। उन म्युनिसिपैलिटीज ने इस कार्य के अन्दर कोई सहयोग नहीं दिया और नतीजा यह हुआ कि सरकारी स्तर पर ही सारे कार्य हुए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं, अन्त में, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप संकटकालीन स्थिति का सहारा लेकर जनता को गुमराह करना चाहें और इस तरह के अधिकार ले लें कि दो साल के लिए इनकी अवधि बढ़ा दी जाए, मैं समझता हूं कि यह अनुचित होगा।

(३.०० म. प)

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पेश हुआ है। वास्तव में नगरपालिकाओं में जिस प्रकार की धांधलियां हुई हैं, उनको सदन के सामने अच्छी तरह से रखा है। मेरी नगरपालिका भी इसका शिकार रही है। जिसके बारे में मैं मंत्रीजी के सामने प्रकाश डालना चाहता हूं।

बूंदी जिले में तीन नगरपालिकाएं हैं; पाटन, नेनवा और लाखेरी। तीनों की

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
याद एक साथ समाप्त होने वाली थी। नमें से नेनवा और पाटन नगरपालिकाओं की मियाद तो बढ़ा दी, लेकिन लाखेरी नगरपालिका में एडमिनिस्ट्रेटर भेज दिया। शासक महोदय रिटायर्ड, बूढ़े और जोधपुर निवासी थे। लाखेरी नगरपालिका ने ३,०००) रु० उनके चार्ज में दिये थे और ०० बोरी सीमेन्ट की दी थीं। पहले वहां अच्छी-सुचारु व्यवस्था चल रही थी। चारु व्यवस्था वाली म्युनिसिपेलिटी उनके सुर्द की गई। उन्होंने वहां पर ऐसी गड़बड़ी की कि जाते समय २५० चालान जनता के खिलाफ कर गये। सार्वजनिक प्याऊ तुड़वा दी, औषधालय तुड़वा दिया और अपनी मर्जी से मनमाने ढंग से बिल्डिंग बनवा दी जिसका न तो नक्शा बनवाया और न किसी ओवरसियर को दिखाया और न ही पी. डब्ल्यू. डी. से और न ही लोकल बोडीज से पूछा और ०,०००) खर्च कर दिये। १०,०००) रोड निर्माण के लिये मिलते थे, उसके बाद पी. डब्ल्यू. डी. से अग्रिम राशि मिलती थी वह सारी राशि खत्म कर दी। डिप्टी डाइरेक्टर साहब जांच के लिये आये थे उन्होंने खुद ने देखा कि वहां पर जो सामान आया वह न तो स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया और न कोई हिसाब रखा गया। ६ महीनों में ३००० हजार रुपये टी. ए., डी. ए. के उठा लिये, आज वहां पर यह हालत है कि तीन महीनों से गरीब कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही हैं। मंत्रीजी सुन लीजिये, आज यह म्युनिसिपेलिटी १३ हजार रुपयों की दिवालिया है। जब ऐसी हालत हुई तो उनका वहां से तबादला कर दिया गया और एक नायब-तहसीलदार को भेज दिया जो दूर रहते हैं। वहां पर सेक्रेटरी एक खां साहब हैं जो बरकतुल्लाखां साहब के रिश्तेदार हैं और वे वहां पर साफ कहते हैं कि मुझे लाखेरी में काम नहीं करना है ट्रान्सफर कर दीजिये, पर उनका ट्रांसफर होता नहीं है और लाखेरी में ये काम नहीं करते हैं। मैं मंत्रीजी से और डाइरेक्टर साहब से कई बार मिला हूं और मैंने उनको बताया है कि वहां की म्युनिसिपेलिटी अस्त-व्यस्त हो गई है। पहले उस पर कर्जा नहीं था पर आज उस पर कर्जा है। एक मजिस्ट्रेट को कौनसे अधिकार आपने दिये जिससे उसने सार्वजनिक प्याऊ तुड़वादी, औषधालय तुड़वा दिया, ६ महीनों में ३ हजार रुपये टी. ए., डी. ए. के ले लिये। वहां पर फाइलों और मिसलों का पता नहीं है। कितना ही सामान खरीदा है लेकिन वह सामान स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है। वहां के रजिस्टर मुकम्मिल नहीं हैं। बार बार इस ओर ध्यान दिलाने पर भी इस ओर कोई एक्शन नहीं लिया। ज्यादा से ज्यादा यह किया कि वहां से उनका तबादला कर दिया। उनके कारण वहां की प्रजा बरबाद हुई है, वहां की सैनिटेशन की स्थिति खराब हुई है, जमीन बेची है, तीन महीनों से कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, सारा बजट खतम हो गया है, पी. डब्ल्यू. डी. का और सारा रुपया इमारत में लगा दिया है। वह इमारत ऐसी बनी है, मंत्री जी से कहूंगा कि लाखेरी पधारें तब देखें कि दिन में लाइट नहीं लगावें तो दिखाई नहीं देता है। किसी ओवरसियर को नहीं दिखाया, बिल्डिंग बनाने की कोई सेंक्शन नहीं ली और हजारों रुपये खर्च कर डाले। मैंने आपका ध्यान इस ओर दिलाया था कि हमारी प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था नहीं करनी चाहिये और जहां तक हो सके वहां तक नये चुनाव

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

ही समय पर करा देने चाहिये और यदि आवश्यकता हो तो लोकल समिति बनाकर व्यवस्था करनी चाहिये। इस पर भी आप एडमिनिस्ट्रेटर भेजते हैं वे जनता की परवाह नहीं करते, क्योंकि आप अपने भाई-बन्धों को भेज देते हैं। अच्छा होता यदि कोई नई योजना आती तो जनता उसका स्वागत करती। आप ऐसे ऐसे प्रशासक भेजते हैं जिनको पैसे की जरूरत पड़े तो बैठे बैठे हाउस टैक्स एसेस कर डालें जिनके मकान नहीं हैं, ढूंढे हैं, उनका भी बिल भेज दिया कि इतना किराया आयेगा इसलिए इतना हाउस टैक्स देना पड़ेगा। वहां की जनता ने हाउस टैक्स नहीं देने का फैसला कर दिया है। बहुत बड़ी टसल होने वाली थी लेकिन हमने एमर्जेंसी देखकर अभी उसको रोक दिया। आप हाउस टैक्स वसूल करने की कोशिश करेंगे तो उल्टा असर हो जायेगा। चुना हुआ बोर्ड बनने दीजिये। जनता को अभी विश्वास नहीं है। कर्मचारियों को पेमेन्ट तक करने की परवाह नहीं है, उसकी ओर आपकी तवज्जोत नहीं है और ऐसा संकल्प लाते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष: मैं निवेदन करूंगा कि यथा क्रम सब के नाम आ चुके हैं। ५ मिनट से अधिक समय नहीं लें तो बोल सकते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार: हमारा नाम होते हुए भी दूसरे बोल जाते हैं, फिर भी हम खामोश रहते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर): मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है कि इस अधिनियम को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

ऑर्डिनेन्स कायम करने से पहले मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि संविधान में यह प्रावधान निस्चयात्मक है और राज्य सरकार को यह शक्ति मिली है कि ऑर्डिनेन्स बना सके। लेकिन वे कौनसे सर्कम्सटान्सेज हैं, कौनसी परिस्थितियां हैं जिनमें ऑर्डिनेंस लाया जाना चाहिये और यदि इन परिस्थितियों को एक रूप दिया जाता है, एक कल्पना की जाती है और उसके आधार पर यदि ऑर्डिनेन्स लाया जाता है तो मैं निःसंकोच कहूंगा कि इस प्रकार की प्रवृति राज्य सरकार या किसी के लिये भी अच्छी प्रवृति नहीं मानी जा सकती। उदाहरण के लिये इसमें एक कारण बताया गया वह देश पर छाई हुई संकटकालीन स्थिति को देखते हुए यह अध्यादेश लाने की आवश्यकता पड़ी। राज्य सरकार के सामने यह ऑर्डिनेन्स २५ मई को लाया गया और जैसा कि विदित है, १६ अप्रेल तक एसेम्बली चली है और सहसा संकटकालीन स्थिति राज्य सरकार को २५ मई को मालूम हुई, उसके पूर्व संकटकालीन स्थिति हो या वैसा वातावरण हो और राज्य सरकार को मालूम नहीं हो, यह कोई कल्पना नहीं करेगा। और राज्य सरकार स्वयं मान कर चलती है कि १६ अप्रेल के बाद २५ मई तक राज्य सरकार को संकटकालीन स्थिति का मालूम नहीं था तो मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार इतनी उदासीन प्रवृति से चलती है या इतनी लापरवाही से चल रही है कि उसको संकटकालीन स्थिति का ज्ञान नहीं हो सका, अन्दाज नहीं हो सका, यह उचित बात नहीं है।

दूसरी बात यह आती है कि संकटकालीन स्थिति कह कर आर्डिनेन्स ले आये, लेकिन

Page No 95

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

क्या वास्तव में संकटकालीन स्थिति के अनुरूप आपने कार्य किया है या उन नगरपालिकाओं को जिनका दमन करना चाहते हैं या फेवर करना चाहते है, उनको फायदा या नुकसान देने की चेष्टा की है ?

एक माननीय सदस्य: कोरम नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : राज्य सरकार को यह सोचना चाहिये कि इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स बना कर, कानून बना कर अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करें। मैं यह चाहूंगा अच्छा यह होगा कि अपनी सारी शक्ति को राज्य सरकार उन विषयों पर लगावे और सोचे कि नगरपालिकाओं का सुधार किस प्रकार हो सकता है ? मैं जयपुर की बहुत सी बातें बताना चाहूंगा। जयपुर की बढती हुई पॉपुलेशन को लेकर उन लोगों को स्थान देने का राज्य सरकार ने कोई विचार नहीं किया। लोगों के रहने के लिये जमीन बेच कर मकान बनाने की सुविधा के बारे में राज्य सरकार ने विचार नहीं किया। लेकिन राज्य सरकार के पास समय आ जाता है इस प्रकार का कानून बनाने के लिये। गन्दी बस्तियों को दूर करने के लिये, स्लम्स को दूर करने के लिये, नगरपालिकाओं के अधिकार में जितनी सड़कें हैं, उनका जीर्णोद्धार करने के लिये, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए सरकार के सामने याचनाएं की जाती हैं लेकिन सरकार उन पर विचार नहीं करेगी। राज्य सरकार को समय मिल जायगा इस प्रकार का कानून बनाने के लिये। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, यह मैं आज कहता हूं लेकिन कल दुनियां इस बात को कहेगी। देश में इस समय संकटकालीन स्थिति है। निस्संदेह देश पर संकटकालीन स्थिति आती है। लेकिन इस संकटकालीन स्थिति के अन्दर सारे विरोधी दल इस राज्य सरकार की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सारे विरोधी दल शुद्ध हृदय और भावना को लेकर देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस संकटकालीन स्थिति का आश्रय लेकर, इस संकटकालीन स्थिति का सहारा लेकर यह मंत्री और हुकूमत करने वाली सरकार स्थिति का दुरुपयोग करना चाहती है और उसका अनुचित लाभ उठाना चाहती है। मैं यह कहूंगा, देश में संकटकालीन स्थिति आती है तो यह मान कर चलना चाहिए जो राज्य सरकार को अधिकार देने की भावना है वह यह है कि अधिकारों का हुकूमत करने में सही उपयोग हो सकता है ....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

श्री दुर्गालाल बाढदार : लेकिन उसी प्रकार यह अधिकार नहीं है कि वह जैसा चाहे उस प्रकार उससे अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा करे। मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि इनका लाभ इन मंत्री महोदयों को विशेष रूप से मिल जाय, किन्तु यही परिस्थिति रही तो यह समझ लीजिये कि दो-चार साल में इस देश में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार अब भी इस बात पर तैयार है, जैसा आश्वासन मंत्री महोदय ने दिया और

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

जैसा वह कहते हैं कि हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितनी भी नगरपालिकायें हैं उनके साथ हर प्रकार से समता का व्यवहार रखा जायगा, उनके साथ विषमता का व्यवहार नहीं किया जायगा। यह आश्वासन मात्र है। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है, जो सुबह परिस्थिति थी वह अब दोपहर को नहीं है और जो अब दोपहर को है वह परिस्थिति कल नहीं होगी। अब समय इस प्रकार का है कि इसमें सोचना चाहिए,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि एक सुव्यवस्था के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि आर्डिनेन्स जिस संकटकालीन स्थिति को बता कर लाये हैं वह स्थिति अब रहती नहीं है, तो क्या इस पर पुनर्विचार करने के लिए सदन के चुने हुए व्यक्तियों को अवसर दिया जाय, इसे एक प्रवर समिति के समक्ष रखा जाय, ताकि सही मायने में डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स पर विचार किया जा सके और सदन के सामने अपनी ओपिनियन रखी जा सके और उसके बाद में इस सदन में इस कानून को पास किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, वैसे जो यह राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज (अमेंडमेन्ट) बिल आया है और इसमें एक साल के बजाय दो साल की म्याद बढाने के प्रावधान को रखने का संशोधन एमर्जेन्सी की बात बता कर लाये हैं, मेरी मान्यता है कि क्या यह सरकार मानती है कि एमर्जेन्सी हमेशा रहेगी इसलिए इस कानून को हमेशा लागू रहने का रूप दिया जाय? क्या यह हमेशा हमेशा के लिए काम में आने वाली बात होगी? अगर ऐसा नहीं है तो महरबानी करके जो इन्चार्ज मंत्री हैं जो इस बिल को पाइलट कर रहे हैं वे इसमें ये शब्द और लिख दें: "as far as the emergency exists" अगर इसमें ये शब्द बढा दें "during emergency" तो जो आप यह संशोधन कर रहे हैं, उसके लिए समझूंगा कि सरकार की धारणा है कि एमर्जेन्सी के टाइम में दो साल का टाइम बढा हुआ माना जायगा और साधारण टाइम यह टाइम बढा हुआ नहीं माना जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कई बातें बतलाई गई हैं, मैं ज्यादा लम्बी बातें बता कर इस बहस को लम्बी नहीं करना चाहता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसे लोकल सैल्फ डिपार्टमेन्ट के कर्मचारियों की अकलबन्दी कहा जाय तो यह उचित नहीं होगा। वह लोग उचित कार्यवाही नहीं करते हैं और पक्षपात करना उनकी आदत बन गई है जिसके पचासों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि वह लोकल सैल्फ डिपार्टमेन्ट से पूछें कि जालौर में कितने का गबन हुआ और इस विभाग के द्वारा उसको कितना दबाया गया है। लोकल सैल्फ विभाग के कर्मचारी जिन केसेज को दबा रहे हैं मैं समझता हूं कि यह सही नीति नहीं है बल्कि जिन मामलात में गबन किया है और जिन लोगों ने किया है उनको अदालत के सामने खड़ा किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, निम्बाहेड़ा की म्युनिसिपैलिटी के मामले में उप-मंत्री जी ने कमिट किया है कि वहां गबन किया गया है, लेकिन उसका चालान नहीं किया गया। यह अफसोस की बात है और शर्म की बात है कि वहां के कर्मचारी काम नहीं

Page No 97

(श्री अब्दुल जब्बार)

करते हैं तो क्या झख मारते रहते हैं? वे तनख्वाह लेते हैं राज्य के कोष से और काम में ढिलाई करते हैं और भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं और भ्रष्टाचार को अपनाते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गबन कर डालते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हद यह है, उपाध्यक्ष महोदय, बिल्कुल दिन दहाड़े एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गबन कर डालता है, सोक-पिट ले लिये, जो सामान खरीद उसमें से गबन हो गया और जब वह सरकार की रोशनी में आ जाता है तो भी सरकार के कर्मचारी उस सम्बन्ध में खामोश बैठे रहते हैं। फिर कहते हैं कि स्वायत्त शासन में सरकार की निष्पक्षता की नीति है।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपेलिटीज में मुकर्रर कर देते हैं-यह खुशी की बात है कि एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देते हैं। लेकिन इसके लीगल कॉन्सीक्वेन्सेज क्या होते हैं–इसके ऊपर स्वायत्त शासन मंत्री विचार नहीं करते हैं। दूध का मामला है, सफाई का मामला है, एन्क्रोचमेंट का मामला है, और दूसरे जो मामले हैं जो पीनल लॉज के अन्दर आते हैं, वह तमाम एस० डी० ओ० की अदालत में चालान किये जाते हैं। अब जो एस० डी० ओ० है वही उस म्युनिसिपेलिटी का एडमिनिस्ट्रेटर है। वही चालान करायेगा और वही कानून के अनुसार न्याय देगा। मैं आपके सामने एक उदाहरण देकर इस पर प्रकाश डालूंगा कि निम्बहेड़ा में जो एस० डी० ओ० है, वही एडमिनिस्ट्रेटर है। अब पीनल लॉज के जितने भी मामलात हैं, वह सब उसकी अदालत में जाते हैं; अब वही चालान करने वाला होता है और वही सजा देने वाला होता है और जुर्माना लेने वाला होता है। वह किसी केस को ट्रान्सफर करे तो अपनी मर्जी से करेगा। सवाल इसमें यह है कि एस० डी० ओ० ही कम्प्लेनेन्ट है और वही न्याय देने वाला है। उसकी जो कम्प्लेन्ट्स हैं वे किसी और अदालत में जानी चाहिएं। इस्तगासा उसकी अदालत में पेश होता है, म्यूनिसिपेलिटी का एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते वह दावा करता है। तो इस्तगासा कौन है-एस० डी० ओ० और फैसला देने वाला कौन है–एस० डी० ओ०। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर स्वायत्त शासन मंत्री को ध्यान देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि किस व्यक्ति को अपोइन्ट किया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री और इस बिल को पायलट करने वाले मंत्री से निवेदन करता हूं कि पक्षपात की इन्तहा होती है। चित्तौड़गढ़ एक डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है और वहां एक डिस्ट्रिक्ट डिस्पेंसरी बनी हुई है, एक डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बना हुआ है जिसकी बाउन्ड्री नहीं खिची हुई है। मेरे पास में अभी फोटो ग्राफ्स मौजूद नहीं हैं, नहीं तो मैं आपको बताता। वहां पर एक नेता महोदय ने आरा मशीन लगाई हुई है और उस पर तिरंगा झंडा लगाया हुआ है। उसको हटाने के लिए कई मर्तबा ऑर्डर हो चुके हैं, एक तो वह अस्पताल के पास में नहीं होना चाहिए और दूसरे प्रिमिसेज के अन्दर है, अगर बाउन्ड्री खिचे तो उसके अन्दर वह आता है। लेकिन उसकी बाउन्ड्री इसलिए नहीं खिच रही है कि नेता महोदय के आरे की मशीन लगी हुई है। इस सम्बन्ध में नगरपालिका और सरकार का ध्यान आकर्षित

(श्री अब्दुल जब्बार)

किया गया है, लेकिन वे ध्यान नहीं देते हैं और नेता महोदय के अ.रे की मशीन को हटाते नहीं हैं। ऐसी सूरत में साफ जाहिर होता है कि नगरपालिकाओं के अन्दर पक्षपात होता है और इस तरह पक्षपात को पनपाया जाता है। मैं निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जनहित में जो मंत्री महोदय इस बिल को पाइलट कर रह हैं वे राजस्थान स्वायत्त शासन मत्री को इस बात के लिए सतर्क करें कि जनहित में काम करने वाला स्वायत्त शासन विभाग निम्बहेड़ा में चल रहे अस्पताल को इसलिए हटाते हैं कि वह यूनानी दवाखाना था। जिन गरीबों को उससे दवाइयां मिलती थीं उनको उसमें महरूम कर दिया है, क्योंकि वह यूनानी दवाखाना हटा दिया गया है। जब इस सम्बन्ध में प्रश्न रखते हैं तो इस विभाग के मंत्री कहते हैं कि उनकी पचपन वर्ष की उम्र हो गई थी। हमें दुःख है, आप एक तरफ कहते हैं कि पचपन वर्ष से बढ़ा कर उम्र अठावन कर दी गई है और दूसरी तरफ इस तरह की कार्यवाही करते हैं। इसके साथ ही इसी दवाखाने की दवाई जो हजारों रुपयों की थी, उन्हें पचास रुपये में नीलाम कर दिया गया। जब इस सम्बन्ध में क्वेश्चन देते हैं तो उसका ऐसा जवाब आता है। यह बिल्कुल मखौल है। मैं कहता हूं भूलें नहीं लोकल सैल्फ विभाग के कर्मचारी और भूलें नहीं लोकल सैल्फ मंत्री, कि जनता का पैसा इस राज्य के खजाने में आता है और वह सरकार द्वारा खर्च होता है, इसलिए यह इस प्रकार का ज्यादा दिन मखौल चलने वाला नहीं है। लिहाजा मैं निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का संशोधन करना है तो साथ में ये शब्द जोड़ दें "only during emergency"; तो मैं समझूंगा कि आप सही मायने में अमेंडमेंट कर रहे हैं और सही मायने में आवश्यकतानुसार इसको काम में लेना चाहते हैं, अन्यथा जैसा मेरा संशोधन है, जैसा मेरा प्रस्ताव है कि इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय ताकि पता लग जाय कि सरकार कहां है और जनमत कहां है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दुहाई दी गई है जनतंत्र की, लेकिन इस जनतंत्र में जो केरल में राष्ट्रपति शासन हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस कितना जनतंत्र में विश्वास रखती है और जनता की भावना की कद्र करती है। यह बात, यह मिसाल बताती है······

श्री उपाध्यक्ष : That is all please.

श्री अब्दुलजब्बार : मैं निवेदन करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री चौसरसिंह बावेल (बैंगू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश को प्रवर समिति को भेजने के संबंध में मैंने प्रस्ताव दिया है। मेरा यह निवेदन है कि यह अध्यादेश अकारण ही इस वक्त लाया गया है क्योंकि देश में समी लोग करीब करीब अच्छी हालत में हैं। देश का संघठन मजबूत है और हम दुश्मनों से मजबूती से मुकाबला करते रहे हैं यह हमारा अच्छापन है। लेकिन थोड़े से पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव नहीं हों यह बहुत मुश्किल नहीं है सरकार के लिये। यह सरकार की कमजोरी का नमूना है अगर चुनाव नहीं कराते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को

(श्री चौसरसिंह वाबेल)
ऐसा अध्यादेश नहीं लाना चाहिये। ऐसे समय में सरकार को चाहिये कि वह जनता के मनोबल को बढ़ावें, ऐसे काम करने चाहिये। सरकार का रुख विरोधी पक्ष की म्युनिसिपैलिटीज के बारे में अच्छा नहीं होने के कारण वहां की म्युनिसिपैलिटीज का समय नहीं बढ़ाया जाता है और एडमिनिस्ट्रेटर कायम किये जाते हैं; इसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीन दफा बैंगू म्युनिसिपैलिटी में मुझ पर झूठे आरोप लगाये गये, मुझे ६ महीने तक मौत्तिल रखा, मेरे पर कई आरोप लगाये गये, मगर वे सिद्ध नहीं हो पाये। मैं पंचायत समिति का सरपंच बना और मेरे पर आरोप लगाये गये जो बिल्कुल निराधार थे। जब हम पर आरोप लगाये गये और साबित नहीं हुए तो यह अच्छापन नहीं है। जनता आपकी बातों को सब समझती है ·······

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अकारण ही कोई कानून नहीं लावें। अगर लाना ही है तो सोच कर लावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप-मंत्री।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि) उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और खास तौर से एक बात तो सब ने कॉमन कही कि जो यह विधेयक लाया गया है, वह संकट कालीन स्थिति की ओट में सरकार अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति करना चाहती है। इसके बारे में मैं सबसे अंत में कहूंगा। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने म्युनिसिपैलिटीज के संबंध में कई छोटी-मोटी बातें कही हैं उसके बारे में मैं जवाब दूंगा।

सबसे पहले विरोधी दल के नेता ने कहा कि विरोधी पक्ष की म्युनिसिपैलिटीज को बराबर इस बात के नोटिस दिये जाते रहे हैं कि हाउस टैक्स इम्पोज किया जाए और अपनी इन्कम रेज की जाए। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि जैसा कि सदन जानता है कि हाउस टैक्स के लिये सदन ने पास किया है, इसलिये इस सदन द्वारा पास किये हुए किसी भी नियम को अगर कोई पालन नहीं करता है तो सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह उसको सतर्कता से पालन कराए और यह सरकार का फर्ज है कि अगर कोई म्युनिसिपैलिटी हाउस टैक्स नहीं लगाती है तो उसको नोटिस देती है। मगर मैं यह कहूंगा कि फिर भी हमने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है, जो अपने इन्टरनल रिसोर्सेज रेज करके जनता की सेवा कर रही है। मैं आपको पाली की म्युनिसिपैलिटी का उदाहरण देता हूं। जिस समय म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था उस समय उसकी आमदनी १॥ लाख थी। आज उसकी आमदनी १० लाख है। उसने अपने रिसोर्सेज बढ़ाये। उसने कम्पलसरी हाउस टैक्स लगाये हैं। आज अगर आप पाली कस्बे में घूमें तो आपको मालूम होगा कि निश्चत तौर से वहां पर म्युनिसिपैलिटी में काम हुआ है। वहां पर टैक्स को गुरेज नहीं कर सकते।

दूसरी बात यह कही गई कि सागवाडा म्युनिसिपैलिटी को एक दिन का भी एक्सटेन्शन नहीं दिया गया और दूसरी म्युनिसिपैलिटीज को एक्सटेन्शन दिया गया। यह बात सही है कि सागवाडा की म्युनिसिपैलिटी को एक

(श्री परसराम मदेरणा)

दिन का भी एक्सटेन्शन नहीं दिया गया। मगर मैं यह कहूंगा कि ४२ म्युनिसिपेलिटीज को जिन की मयाद समाप्त हुई उनका एक दिन का भी समय नहीं बढाया गया। इन ४२ म्युनिसिपेलिटीज में ३१४ कांग्रेस की म्युनिसिपेलिटीज हैं। इसलिये यह नहीं कह सकते कि विरोधी पक्ष की म्युनिसिपेलिटीज में ही समय नहीं बढाया गया।

कुछ में एडमिनिस्ट्रेटर बिठाये गये, कुछ में पहले और कुछ में बाद में। ऐसा करने में हमने किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। जिनका मेनेजमेन्ट अच्छा था और एनक्रोचमेंट वगैरह में कोई अनियमिताएं नहीं की हैं, उनको हमने एक्सटेन्शन दिया और बाकी की म्युनिसिपेलिटीज पर हमने एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिये।

इसके अलावा यह बात कही गई कि चुनाव जल्दी से जल्दी होने चाहिये। मैं इसके लिये यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये युनिफोर्म पॉलिसी नियुक्त करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर सभी पर मुकर्रर हों। बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पहले सरकार ने जो गलती की है उस गलती को रेक्टीफाई कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने विरोधी दल के सदस्यों से और कांग्रेस के सदस्यों से चैम्बर में बात की थी और यह बातचीत की थी कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं और किसी को किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रहे, इसके लिये युनिफोर्म पॉलीसी एडोप्ट की गई।

विरोधी दल के नेता ने कहा कि कितनी म्युनिसिपेलिटीज हैं, मैं जानकारी के लिये कहूं कि राजस्थान में १४२ म्युनिसिपेलिटीज हैं उसमें से ७० के चुनाव हो चुके हैं और ७२ में से ४२ में एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं और बाकी में से २७ की टर्म एक्सटेन्ड की गई है और दो म्युनिसिपेलिटीज माउन्ट आबू आदि की नोमीनेटेड हैं और रतनगढ की म्युनिसिपैलिटी पंचायत में परिणत कर दी गई है। इस तरह से १४२ म्युनिसिपेलिटीज हैं और उनका ब्योरा इस तरह से है, फिर समझ में नहीं आया कि १४९ कैसे आईं। इसके अलावा जैसा कि सारा सदन जानता है कि जो इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटीज काम कर रही हैं उनका टर्म एक्सटेन्ड करने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि अभी तक उनका टर्म बाकी है।

दूसरे कई माननीय सदस्यों ने कई बातें कहीं और खास तौर से गिरवा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जनसंघ की म्युनिसिपेलिटी उदयपुर में है वहां के सेक्रेट्री को इसलिये ट्रान्सफर कर दिया है कि मुख्य मंत्री उदयपुर के हैं। सत्य तो यह है कि उनका ट्रान्सफर किया गया। कोई भी व्यक्ति तीन साल से ज्यादा एक जगह नहीं रहना चाहिये। स्पेशल केसेज में ४ साल हो जाते हैं। मगर जब उनका ट्रान्सफर हुआ और उन्होंने ट्रान्सफर के ऑर्डर को कम्प्लाई नहीं किया और आप ही सोचिये कि अगर एक व्यक्ति का आज ट्रान्सफर करें और वह उस ऑर्डर को कम्प्लाई नहीं करता है तो नतीजा यह होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकता। सरकार जिस मशीनरी से काम करती है और उसको ट्रान्सफर के लिये ऑर्डर देती है और वह उसकी कम्पलायेन्स नहीं करता है, उसकी अवहेलना करता है तो उसके साथ सख्ती से कदम उठाया जाता है और जब उन्होंने ऑर्डर को कम्पलाई नहीं किया तो

(श्री परसराम मदेरणा)
उनके खिलाफ कदम उठाना पडा, कोई राजनैतिक कारण नहीं जिसके कारण उनको सस्पेन्ड किया हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जो ऑर्डर दे और वह खुलमखुल्ला उस ऑर्डर को डिफाइ करे और ऑर्डर को केरी आउट नहीं करे तो उसके प्रति कदम उठाया जाना चाहिये। इसलिये यह कदम

श्री ओर्षसिंह चौहान (गिरवा): अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा उसकी कोई वेल्यू नहीं। आप उसकी आवाज को नहीं सुनते।

श्री परसराम मदेरणा: आप जनता के प्रतिनिधि हैं और वे भी जनता के प्रतिनिधि हैं। आप भी एक लाख जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के प्रतिनिधियों के कहने पर विचार और गौर नहीं किया जावे, यह प्रश्न नहीं है, लेकिन जहां तक सरकारी ट्रान्सफर का प्रश्न है, यह प्रश्न जगह जगह पंचायतों में खडा होता है। यह किस तरह से होता है, यह हम जानते हैं। मैं आपकी बात नहीं कहता। एक पंचायत समिति का केस है वह मेरे ध्यान में है। करप्ट कर्मचारी होते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिये इलेक्टेड सदस्य भी मिल जाते हैं।

ट्रान्सफर के मामलों में जो स्वायत्त शासन संस्थाओं के प्रधान हैं, उनकी बात कुछ हद तक ही मानेंगे। कोई भी गवर्नमेन्ट दुनिया में नहीं मानती। जिस कर्मचारी की सर्विसेज लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट को दे दी गई हैं, उनके खिलाफ वे एक्शन ले सकती हैं। जैसे म्युनिसिपेलिटी के दूसरे कर्मचारी हैं, जिनके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना है। सस्पेन्ड भी कर सकते हैं, जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे एक कर्मचारी को सस्पेन्ड किया, सस्पेन्ड ही नहीं किया, बरखास्त भी कर दिया। एड्मिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल जिन पर गवर्नमेंट का है उनका ट्रान्सफर गवर्नमेन्ट करती है।

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां सडक बनाई है, ४ हजार का एस्टीमेट बना फिर १३ हजार हो गये, बिल भी उठ गया। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, पर मैं उसकी इन्क्वायरी करा लूंगा कि उसकी क्या स्थिति है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा): ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, जैसा कि बताया गया उदयपुर नगरपालिका के सेक्रेटरी का स्थानान्तरण का सवाल है, हम मानते हैं पर उसकी अपोइन्टिंग ऑथोरिटी कौन थी? सेक्रेटरी को अपाइन्ट किसने किया था?

श्री परसराम मदेरणा: जो सेक्रेटरी की अपोइन्टिग ऑथोरिटी है उसी ने अपोइन्ट किया होगा। गवर्नमेन्ट सेक्रेटरी का ट्रान्सफर कर सकती है।

श्री अब्दुल जब्बार: अगर गवर्नमेंट अपोइन्टिग ऑथोरिटी है तो गवर्नमेंट उसके ट्रान्स्फर का अधिकार रखती है, अगर म्युनिसिपेलिटी अपोइन्टिंग ऑथोरिटी है तो गवर्नमेन्ट नहीं कर सकती. According to the will of the Municipality he was appointed and then Government has no right to transfer him.

श्री परसराम मदेरणा: यह मामला तो हाई कोर्ट में चल रहा है। बी. क्लास म्युनिसिपेलिटीज के सेक्रेटरीज का ट्रान्सफर हम करते हैं, उदयपुर की बी. क्लास म्युनिसि-

(श्री परसराम मदेरणा)
पॅलिटी है, हमने किया है। यह डिस्प्यूटेड पोइन्ट है, हाई कोर्ट में चल रहा है। हम पूरे राजस्थान में कर रहे हैं। इसलिये गवर्नमेन्ट के पास जो पॉवर्स हैं, राइट्स हैं उनको गवर्नमेन्ट किसी पर्टीक्यूलर म्युनिसिपैलिटी को लेकर वेव नहीं करना चाहती।

श्री जोधसिह चौहान : आपने अभी दलील दी कि तीन साल से ज्यादा नहीं रखते। वहां पर जो इन्जीनियर हैं वह तीन साल से कहीं ज्यादा अर्से से वहां पर हैं, उनको कांग्रेस की नींव मजबूत करने के लिये वहां रखा जा रहा है। उनके खिलाफ करप्शन की कई शिकायतें हैं, एन्टीकरप्शन में शिकायतें हैं। पहले मुख्य मंत्री थे उन्होंने उसे सस्पेन्ड किया था। इसलिये तीन साल की जो दलील आपने दी वह ठीक नहीं है। उस सेक्रेटरी के खिलाफ एक भी शिकायत नहीं है, करप्शन की या अनियमितता की एक भी शिकायत आप उनके खिलाफ नहीं बता सकते, फिर भी उनका ट्रान्सफर किया जाता है, उस समय ट्रान्सफर किया जाता है जब कि वे टाइफाइड से बीमार थे। मैं समझता हूं, यह आपने अन्याय किया है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन उठाया वह सबजुडिस है, उसको उठाना नहीं चाहिये।

श्री जोधसिह चौहान : आप प्रेज्युडिस्ड हैं, हम आपको नहीं सुनना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

श्री परसराम मदेरणा : हमारे तो हर एक ऐक्शन का आधार न्याय है, पक्षपात से चलने का नहीं। जो वस्तुस्थिति थी वह मैंने रखी, केस सबजुडिस है इससे ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं कि किसको अधिकार है, किसको नहीं। ह्यूमनिटेरियन आधार पर कइयों की शिकायत नहीं होती है तो भी ट्रान्सफर होते हैं। इसके पीछे प्रिन्सिपल यह है कि ३ साल से ज्यादा कोई व्यक्ति रहता है तो उसका इन्ट्रेस्ट वझक्रियेट हो जाता है।

श्री जोधसिह चौहान : तो फिर आप अपनी मर्जी माफिक कर लें।

श्री परसराम मदेरणा : थ्रू आउट कन्ट्री यह प्रिन्सिपल है।

श्री जोधसिह चौहान : जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उससे साबित है कि जनता आपको नहीं सुनना चाहती।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका रगडा क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!! प्लीज कन्टीन्यू।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि निम्बाहेडा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि यह अगर इमर्जेन्सी की वजह से टर्म्स का एक्स्टेन्शन किया गया है तो क्वालिफाइंग क्लॉज रखना चाहिये, वह क्वालिफाइंग क्लाज होगा "as far as the emergency exists."

यह बात कही। मैं निवेदन करूं कि हालांकि इसका एक्स्टेन्शन २५ मई से एक साल के लिये दो साल के एग्रीगेट के पॉवर्स अपने पास गवर्नमेन्ट ने लिये हैं। पहले म्युनिसिपैलिटी की मयाद १९ जून को होने वाली थी, इसलिये ७ महीने से ज्यादा समय बढाया

(श्री परसराम मदेरणा)
नहीं है। कई की दिसम्बर, अक्टूबर में समाप्त हो रही थी, ३१-१-६६ तक की टर्म एक्सटेन्ड की है। निम्बाहेडा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और विरोधी पक्ष के नेता ने भी कहा था कि चुनाव कब कराये जायेंगे? अगर स्थिति ठीक रहती है तो चुनाव कम से कम जल्दी से जल्दी कराने चाहिये। मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूं, जल्दी से जल्दी कब चुनाव करा सकते हैं, इस संबंध में मैं चुनाव अधिकारी की राय लूंगा।

एक साल का तो एग्जीक्यूट हो गया, एक साल के और पॉवर लिये हैं। ३१-१-६६ तक एक्सटेन्ड किया है। हम कोशिश करेंगे कि इसके पहले या कुछ बाद में चुनाव करा लिये जायं, यदि देश में स्थिति ठीक रहती है........

श्री अब्दुल जब्बार : इमर्जेन्सी नहीं हो तो चुनाव करा लेंगे यह आपने कहा पर मैं यह जानना चाहता हूं कि यह एक्ट का पर्मानेन्ट पार्ट बन गया या नहीं?

श्री परसराम मदेरणा : इमर्जेन्सी सब्जेक्टिव पर्पज है, जो शासन चलाते हैं उनके सोचने की बात है, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। १२॥ बजे तक इमर्जेन्सी थी, बेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दिया कोई एमर्जेन्सी नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : एमर्जेन्सी के साथ में विभेद क्यों करते हैं?

श्री अब्दुलजब्बार : मैं यह सेक्शन पढता हूं, इसमें साफ तौर पर आता है

"Provided the State Government may by notification in the official Gazette."

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले उनको कहने दें, फिर आप अपना पोइन्ट रखें।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं पोइन्ट नहीं रखता।

श्री उपाध्यक्ष : I think let us follow the parliamentary procedure Let us speak one by one

आप कह चुके, इसके बाद आपको कहने दीजिये, फिर स्पष्टीकरण चाहें तो कर लें।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो जनरल डिबेट हो रही है, क्लॉज बाई क्लॉज होगा तो उसमें सोचेंगे। मगर २७ म्युनिसिपेलिटीज का टाइम ऑलरेडी एक्स्टेन्डेड था। एक्स्टेन्शन के पावर्स लेकर एड्मिनिस्ट्रेटर बाद में लगा दिया हो तब तो कह सकते हैं कि ऑर्डिनेन्स से पॉवर लिये हैं उनका ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

अब मैं उस विषय पर आता हूं जिसमें संकटकालीन स्थिति नहीं। अप्रेल, मई, जून में संकटकालीन स्थिति नहीं थी, १८ अप्रेल तक तो यहां सत्र विसर्जन हुआ था। यह नहीं कह सकते थे कि स्थिति ऐसी खराब हो जायेगी, एक पोस्ट पर उनका हमला भी हुआ था, पर पैटन टैंक वाला अटैक उस वक्त तक नहीं किया था। १८ अप्रेल के बाद स्थिति काफी गम्भीर हो गई। उनकी तरफ से अटैक हुआ, इन्वेडर्स की तरफ से अटैक हुआ, उनके टैंक तोडे, वे भागे, उसके बाद सीज फायर आज हुआ है, पर इसके माने यह नहीं कि एक बात एक मौके पर अनुकूल थी वह दूसरे समय अनुकूल नहीं है।

रात को जोधपुर में बम्ब गिर रहे थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं जहां बम्ब गिर

(श्री परसराम मदेरणा)

रहे हों और पचास हजार पाउंड्स से भी ज्यादा बम्ब गिरे हैं वहां लोगों की स्थिति क्या होगी। इवेक्यूएशन भी शुरू हो सकता था। इसलिये उस समय की स्थिति को रीयलाइज करने से हमारे ऊपर बहुत बडी जिम्मेदारी हो जाती है जिसे डिस्चार्ज करना पडता है, नहीं तो आप खुद कहते कि आपने कॉशन क्यों नहीं बर्ता। जब हम सुरक्षा प्रयत्नों में लगते हैं तो हमें पूरी सख्ती से जनता के जान-माल की रक्षा करने का प्रश्न सामने आ जाता है। इसलिये हम चुनाव करना जरूरी नहीं समझते थे। स्थिति ठीक होने के बाद चुनाव करायेंगे और माननीय सदस्यों ने छोटी-मोटी बातें उठाई हैं मैंने उन फाइलों को स्टडी नहीं किया है। संसद में भी ऐसे केसेज में तीन दिन का समय दिया जाता है इन्फोर्मेशन सीक करने के लिये। अतः मैं आपके सभी मुद्दों में नहीं जा सकता और ऑथॉरीटेटिवली कोई बात नहीं कह सकता। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे और इस बिल को पास करेंगे।

श्री दयाचन्द सोनी (बारां-सु.) : बारां में चेयरमैन का एकदम चुनाव रोक दिया गया, उसका नोमीनेशन-पत्र भी भरा हुआ था और ऐन टाइम पर कैंसिल क्यों किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : क्या फरमाया ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बारां के चेयरमैन के लिये नोमीनेशन फॉर्म भरा लिए गए, चुनाव होने वाला था, वह क्यों स्थगित कर दिया ? बारां में तो बम्ब नहीं गिर रहे थे, वहां तो एमर्जेन्सी नहीं थी ?

श्री परसराम मदेरणा : बारां के संबंध में १० तारीख को नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव थे और १३ तारीख को जोधपुर में भी इलेक्शन था। यह इसलिये पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि एमर्जेन्सी चल रही थी। एमर्जेन्सी के समय आपके यहां ही पोस्टपोन नहीं किया, जोधपुर में भी किया है, लेकिन जहां तक बारां नगरपालिका की बात कहते हैं, कोटा के संबंध में नागरिक सुरक्षा के उपाय लेने की बात ८-१० दिन पहले ही तय कर दी गई थी, क्योंकि कोटा औद्योगिक केन्द्र है इसलिये उसके लिए खतरा था। हम कोशिश कर रहे थे कि वहां बमबारी न हो। यह हमने जोधपुर में भी किया। अविश्वास प्रस्ताव जो आने वाले थे उनको भी पोस्टपोन किया और जो चुनाव होने वाले थे उनको भी पोस्टपोन किया।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दयाचन्द सोनी: यह कोई जवाब है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव जनमत आनने के लिये आया ह उसे पारित किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव विधेयक को कुछ समय के लिए प्रवर समिति में भेजने के लिये आए हैं उनको पारित किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन), विधेयक, १९६५ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

'हां' पक्ष जीता।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : 'ना' पक्ष जीता।

श्री परसराम मदेरणा: A yes have it

श्री उपाध्यक्ष : I will put it again. प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः १० बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ३.४५ बजे दिनांक २३ सितम्बर, १९६५ के म. पू. १० बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर देखिये)

राजस्थान में अजमेर के विलीनीकरण के पूर्व अजमेर राज्य में एक परिवार नियोजन केन्द्र चल रहा था जो चालू रखा गया है। इसके अतिरिक्त सन् १९५६ में इस राज्य में ये ६ परिवार नियोजन केन्द्र चालू किये गये हैं :—

१. जनाना अस्पताल, बीकानेर
२. एम. जी. हॉस्पिटल, जोधपुर
३. जनाना अस्पताल, उदयपुर
४. एम. सी. डब्लू. सेन्टर, भरतपुर
५. जनाना अस्पताल, कोटा
६. जनाना अस्पताल अलवर

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २३ शहरी व ७० ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्रों को व दो चल शल्य इकाइयों की स्थापना की गई है जिनका सालवार ब्योरा निम्न प्रकार है :—

	शहरी प. क. केन्द्र	ग्रामीण प. क. केन्द्र	चल श. प. निम्न इकाइयां
१९५६-५७	..	..	..
१९५७-५८	११	२५	..
१९५८-५९	५	२५	..
१९५९-६०	२	५	..
१९६०-६१	५	१५	२
योग	२३	७०	२

तृतीय पंचवर्षीय योजना के आधारित लक्ष्य के अनुसार पांच शहरी और २५ ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र हर साल खोले जाने हैं जो निम्न प्रकार खोले गये :

	शहरी प. क. केन्द्र	ग्रा. प. क. केन्द्र	चल श. प. नि. इका.
१९६१-६२	५	३५	१०
१९६२-६३	५	३५	६
१९६३-६४	५	३५	..
१९६४-६५	५	३५	..
	२०	१४०	१६

सालवार प्रगति के आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)।

राजकीय प्रारंभिक पाठशाला, ग्राम बस्सी को पंचायत समिति सलूम्बर द्वारा सहायता

४७. **श्री उदयलाल वदिया** (लसाडिया) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) गांव बसी, तहसील सलूम्बर, जिला उदयपुर में तड झंझावतों में राजकीय प्रारंभिक पाठशाला कितने वर्षों से चलती है ?

(२) क्या इस पाठशाला भवन का निर्माण ग्रामीणों ने अपने श्रम से ही किया है ? भवन की लागत क्या है और उसे पंचायत समिति सलूम्बर से क्या सहायता दी गई है ? यदि कोई सहायता नहीं दी गई है, तो क्यों ?

उत्तर

(१) सन् १९६१ से चल रही है।

(२) भवन निर्माण में जन सहयोग दिया गया व पंचायत समिति ने भी अनुदान दिया था। भवन पर कुल २८१९) रु० का खर्चा हुआ।

झालावाड जिले की विद्युत् योजना के अधीन कस्बों को बिजली

४८. **श्री भैरव लाल 'कालावादल'** (अकलेरा-सु.): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) झालावाड जिले के किस २ कस्बे को अब तक बिजली दे दी गई है और किस किस कस्बे को बिजली दिये जाने की योजना विचाराधीन है ?

(२) सन् १९६५ के अन्त तक किस किस कस्बे को बिजली दे दी जावेगी ?

(३) झालावाड जिले के कस्बा खानपुर व मनोहरथाना कस्बे को बिजली देने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(१) सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) खानपुर का विद्युतिकरण १९६५-६६ की योजना में है और मनोहरथाना को किसी योजना में अभी नहीं लिया गया है।

सूची नं० (क)

(१) झालावाड (२) झालरा पाटन (३) भवानी मंडी (४) पंचपहाड (५) झालावाड रोड (६) श्री छतरपुरा (७) सिघानीया (८) राजपुरा (९) सीपलिया (१०) सुनेल (११) परोलिया (१२) भीलवाडा (१३) दीलवाडी (१४) अरोलिया (१५) कालिया खेडी (१६) कोटरा (१७) ताई का खेडा (१८) मोतीपुरा (१९) खोद (२०) समराई (२१) गनेशपुरा जरनावद (२२) मोगरा (२३) सुलावट (२४) गुराडिया (२५) खानपुरिया (२६) हेमडा (२७) सिरपोई (२८) थावला खेची (२९) मांडवी (३०) सामिया (३१) धोबी का खेया (३२) सामरिया (३३) रामनिवास घटोल (३४) निपानिया (३५) गुराडिया जोगा (३६) आवंली कलां

(श्री विद्युत् मंत्री)

(३७) इकलेरा (३८) मिसरोली (३९) नन्दिया खेडी (४०) रुपा रेल (४१) तालिया खेडी (४२) मोंडा (४३) फूमकी (४४) मंवराजा (४५) बावडी खेडा (४६) कनवाडा (४७) डबलिया (४८) आजमपुर (४९) कुटकी (५०) गांडिया (५१) रायपुर (५२) जगन्नाथपुरा (५३) डोडा (५४) कनवाडी ।

ी ० (ख)

(१) दुर्गापुरा (२) खांवडा (३) घनवास (४) गिन्डोर (५) अकलासा (६) झुनाखेडा (७) असनावर (८) सीमला (९) ओसाव (१०) करमा खेडी (११) उडेल (१२) रुंडलाव (१३) रुनज़ो (१४) देवली (१५) मोटन सोटत खेडी (१६) उमलि (१७) तालमंडी कलां (१८) गुराडिया झाला (१९) माली का खेडा (२०) खोती (२१) नारायण खेडा (२२) सांगीलिया (२३) सरकन्या (२४) नलखेडी (२५) नाहर कटथ (२६) ताल (२७) अल (२८) करनपुरा (२९) मुन्दनपुरा (३०) महरपुरा (३१) करणपुरी (३२) मोगा खेडी (३३) काली तलाई (३४) मंगल (३५) चिनलाई ।

इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट

४९. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट कितने हैं और कहां कहां हैं ?

(२) उनकी केपेसिटी क्या है, तथा उनमें विद्यार्थियों की संख्या क्या है ? विगतवार विवरण दें ?

(३) क्या यह सही है कि सामान्यतया जितने लोगों को इनसे फायदा उठा लेना चाहिये था उतना उन्होंने नहीं उठाया ? यदि हां, तो इनमें छात्रों की संख्या तथा इनकी लोकप्रियता कम होने के कारण क्या हैं ?

(४) क्या यह भी सही है कि सिलेबस उपयुक्त नहीं होने के कारण उचित लाभ प्राप्त नहीं होने की आशंका से विद्यार्थी इनमें पूरी तादाद में नहीं आते ?

उत्तर

(१) राज्य में अब तक १५ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निम्न स्थानों पर स्थापित किये गये हैं:—

प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत	१. अजमेर
	२. जयपुर
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत	३. कोटा
	४. उदयपुर
	५. जोधपुर
	६. बीकानेर
तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत	७. अलवर
	८. भरतपुर
	९. पाली
	१०. भीलवाड़ा
	११. नागौर
	१२. श्री गंगानगर
	१३. रतनगढ
	१४. खेतड़ी
	१५. सीकर

(२) इस समय ४१०४ सीटों प्रबन्ध है । विवरण संलग्न सूची में प्रस्तुत किया गया है ।

(श्री श्रम मंत्री)

(३) जी हां।

छात्रों की संख्या कम होने के कारण निम्नलिखित हैं:—

(१) राज्य में साधारणतया छात्र हस्त कार्यों व इन्जीनियरिंग ट्रेड्स के प्रति रुचि नहीं रखते हैं।

(२) इन संस्थानों में विद्यार्थियों की भर्ती वर्ष में किसी निश्चित समय या मास में नहीं होती है। समय बदलता रहता है। प्रशिक्षण की कुल अवधि २ वर्ष की होती है (६ माह के दो कोर्स-जूनियर व सीनियर तथा ६ माह की इन-प्लांट ट्रेनिंग किसी फैक्ट्री में)। भर्ती का समय सामान्य पाठशालाओं की भर्ती के समय से नहीं मिलता है।

(३) इस समय भारत सरकार के आदेशानुसार छात्रवृत्ति केवल एक तिहाई छात्रों को ही मिलती है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का हिस्सा १२ १/२ प्रतिशत व ५ प्रतिशत के अनुपात से निश्चित है।

(४) ये संस्थान नगर से बाहर कुछ दूरी पर हैं तथा किन्हीं कारणों से इनके अपने छात्रावास अभी तक नहीं बन सके हैं। यह भी एक कारण है जिनके अभाव में छात्र या तो असुविधा के कारण आते ही नहीं हैं या छोड़ कर चले जाते हैं।

(५) विद्यार्थी बेसिक व्यवसाय (ट्रेड्स) जैसे ब्लेक स्मिथ, कारपेंटर, मोल्डर, पैटर्न मेकर इत्यादि में रुचि न होने के कारण बहुत ही कम संख्या में भर्ती होते हैं तथा सीटें खाली पड़ी रहती हैं परन्तु यह व्यवसाय बेसिक होने के नाते इनका रखना आवश्यक है।

(४) हर ट्रेड का सिलेबस भारत सरकार द्वारा देश भर की मांग को दृष्टिकोण में रख कर बनाया गया है। इसमें बेसिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है; जैसे ब्लेक स्मिथ, कारपेन्टर, मोल्डर इत्यादि जिनमें छात्र रुचि तो नहीं रखते परन्तु तो भी इन व्यवसाय का होना अनिवार्य होता है। इस पाठ्यक्रम की नेशनल कौन्सिल फार वोकेशनल ट्रेड्स के तत्वावधान में मन्जूरी दी जाती है।

इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट्स (राजस्थान) की इनटेक कैपेसिटी (सीट्स) व विद्यार्थियों की संख्या का विगतवार विवरण:—

नाम औद्योगिक संस्थान	१९६४-६५		१९६५-६६	
	कैपेसिटी	विद्यार्थियों की संख्या	कैपेसिटी	विद्यार्थियों की संख्या
१	२	३	४	५
१. अजमेर	४५६	३०६	४५६	२३५
२. जयपुर	४०४	३२२	४०८	२८०
३. कोटा	२४८	१४०	२६४	१२८
४. उदयपुर	२६४	१६१	३०४	१०८
५. [जो]धपुर	२५६	१२३	३०४	१२३

(श्री श्रम मंत्री)

१		२	३	४	५
६.	बीकानेर	२४४	११६	२७२	७८
७.	अलवर	२३६	१६०	२५२	१२६
८.	नागौर	२३६	४६	२५२	३४
९.	पाली	२१२	५६	२६०	३१
१०.	भीलवाड़ा	१६२	७१	२५६	४२
११.	भरतपुर	२४०	१६६	२५६	१३३
१२.	रतनगढ़	१८४	१०२	२५६	५४
१३.	गंगानगर	१८८	६८	२६०	६१
१४.	खेतड़ी	१८४	११२	२५६	८७
१५.	सीकर	—	—	४८	२६
	कुल योग	३५४४	१६८८	४१०४	१५५२

बारां-शाहबाद सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य

५०. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि बारां सब-डिवीजन में बारां-शाहबाद सड़क पर खोड़ा खाल की पुलिया का काम हुआ ?

(२) यह काम कब से शुरू किया व कितने अर्से तक चलता रहा व कितना शेष है ?

(३) कितना काम ठेकेदार से कराया व कितना २ काम लेबर अमानी से हुआ ?

(४) क्या यह सच है कि जो काम अमानी से ३-४ माह पहले हुआ था उसकी मजदूरी लोगों को अभी तक भी नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) यह कार्य १०-१२-६४ को आरम्भ कराया जाकर २०-३-६५ को पूर्ण करा दिया गया है; अब कोई कार्य शेष नहीं है।

(३) पुलिया का कार्य ठेकेदार द्वारा ही कराया है।

(४) मजदूरों को चुकारा हो चुका है।

तहसील प्रतापगढ़ की कृषि सहकारी समितियां

५१. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला चितौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ में कितनी कृषि सहकारी समितियां हैं और कहां कहां पर व इन समितियों को कितनी कितनी जमीनें दी गई हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इन कृषि सहकारी समितियों के सदस्य नियमानुसार खेती नहीं कर व्यक्तिगत खेती करने लगे हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है या की जाने का विचार है ?

परिशिष्ट

(श्री सहकारी मंत्री)

उत्तर

(१) जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ में ८ कृषि सहकारी समितियां हैं। समितियां कहां पर हैं एवं इनको दी गई जमीन की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(२) जी हां। उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि ये सब रैयत कृषि सहकारी समितियों के उप-नियम में ४६ से ५० तक के प्रावधान के अनुसार जो जमीन समिति को दी जाती है उस जमीन को समिति सदस्यों की संख्या के अनुसार चकों में विभाजन कर सदस्यों को व्यक्तिगत खेती करने हेतु देती है और सदस्यगण खेती करते हैं। उनका यह व्यक्तिगत रूप से खेती करना उप-नियमानुसार है। अब ऐसी रैयत कृषि सहकारी समितियों को सामूहिक कृषि सहकारी समितियों में बदलने की कार्यवाही नई योजनानुसार की जा रही है

सूची

क्रम संख्या	समिति का नाम व पता	कितनी जमीन दी गई
१.	सामरिया रैयत कृषि सहकारी समिति लि०, सामरिया	११३ एकड़
२.	गम्भेर रैयत कृषि सहकारी समिति लि०	६२ एकड़
३.	वरडिया रैयत कृषि सहकारी समिति लि०	१५० एकड़
४.	भूमासिया रैयत कृषि सहकारी समिति लि०	६७ एकड़
५.	मालेश्वर रैयत कृषि सहकारी समिति लि०	५५।। एकड़
६.	पिलू रैयत कृषि सहकारी समिति लि०	१२१ बीघा १६ बिस्वा
७.	बनेरा रैयत कृषि सहकारी समिति लि०	६६ बीघा १५ बिस्वा
८.	कल्याणपुरा रैयत कृषि सहकारी समिति लि०	सिविल होने से जमीन एलॉट नहीं हुई।

पूलासर तहसील सरदारशहर की विद्युत् योजना

५२. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पूलासर, तहसील सरदारशहर के विद्युतिकरण की कोई योजना है?

(२) यदि हां, तो इसकी पूर्ति कब तक होगी?

(३) यदि नहीं, तो अब कब तक योजना बनेगी और पूर्ति कब तक की जा सकेगी?

उत्तर

(१) जी हां। प्रोवीजनल लिस्ट में।

(२) मार्च १६६६ के अन्त तक की आशा की जाती है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

फतहपुर, जिला सीकर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की मांग

५३. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री

(श्री मानिकचन्द सुराणा) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान के किन किन जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) अब तक खोले गये हैं ?

(२) क्या फतहपुर, जिला सीकर में इस प्रकार प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिये वहां के नागरिकों द्वारा आर्थिक सहयोग देने का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है ?

(३) यदि हां, तो सरकार ने उस प्रस्ताव पर अब तक क्या निर्णय लिया है ?

(४) क्या इस प्रकार के संस्थान खोलने में जन सहयोग आवश्यक शर्त माना गया है ? यदि हां, तो जिन जिलों में ये केन्द्र खोले गये हैं, वहां किस किस रूप में और कितनी मात्रा में जन-सहयोग प्राप्त हुआ है ?

(५) क्या जिला केन्द्रों के अलावा भी इस प्रकार के संस्थान अब तक खोले गये हैं ? यदि हां, तो उसका क्या आधार है ?

(६) फतहपुर, जिला सीकर में इस प्रकार का संस्थान खोलने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में निम्नलिखित स्थानों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये हैं:—

१. अजमेर, २. जयपुर, ३. कोटा, ४. उदयपुर, ५. जोधपुर, ६. बीकानेर, ७. भरतपुर, ८. अलवर, ९. पाली, १०. नागौर, ११. भीलवाड़ा, १२. रतनगढ़ (जि० चूरू), १३. गंगानगर, १४. खेतड़ी (जि० झुंझुनू), १५. सीकर।

(२) जी हां। गत वर्ष कलकत्ते के नागरिकों ने मुख्य मंत्रीजी को ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(३) जहां तक इस आर्थिक सहयोग के प्रस्ताव का सम्बन्ध है यह मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

(४) जी नहीं। संस्थानों का जो व्यय होता है उसे केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार ६०:४० के अनुपात में वहन करती हैं। ट्रेनिंग मेनुअल में अनुदान लेने का भी प्रावधान है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रतनगढ़ व सीकर में खोलने के लिये २ लाख रुपये का आर्थिक सहयोग मिलने का आश्वासन है।

(५) जी हां। जिला केन्द्रों के अलावा भी इस प्रकार के संस्थान खेतड़ी तथा रतनगढ़ में खोले गये हैं। प्रशिक्षण संस्थान खोलने का आधार निम्न बातों पर निर्भर है:—

(१) मेट्रिक तथा मिडिल पास छात्र जो इस प्रशिक्षण में रुचि रखते हैं समुचित संख्या में उपलब्ध होने जरूरी हैं ताकि सीटें खाली न रहें।

(२) उस स्थान पर या आसपास के क्षेत्र में उद्योगों के बढ़ने की सम्भावना हो।

(३) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिये तथा छात्रावासों के लिये भवन आदि उपलब्ध हों।

(६) जिला सीकर में दूसरा संस्थान खोलने की सम्भावना बहुत कम है क्योंकि अभी तक साधारणतया एक जिले में एक ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की

Page No 113

(श्री श्रम मंत्री)

सरकार की नीति है । इसके अतिरिक्त फतहपुर के पास ही रतनगढ़, जिला चूरू में दूसरा संस्थान खुला है । इस वर्ष दूसरा संस्थान सीकर में खोल दिया गया है ।

टोरडी से तिलांजू तक पक्की सड़क का निर्माण

५४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम तिलांजू, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में टोरडी से तिलांजू के रास्ते में सदा पानी भरा रहता है और कोई दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं है ?

(२) क्या सरकार इस मार्ग पर पक्की सडक बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां, केवल बरसात में। दूसरा मार्ग नहर के किनारे २ है जो सिंचाई विभाग की मरम्मत सूची पर है ।

(२) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है अर्थाभाव के कारण ।

सर नदी और आहू नदी के बीच के पुलिया की मरम्मत पर व्यय

५५. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सन् १९६२ के आस-पास सर नदी व आहू नदी के बीच पुलिया का ब्रीच हुआ था ? अगर हां, तो कब व क्यों ?

(२) इस ब्रीच की मरम्मत में कुल कितना रुपया लगा व यह कार्य कब सम्पूर्ण हुआ ?

(३) क्या यह सत्य है कि इस कार्य के लिए टेंडर्स आमन्त्रित नहीं किए गये ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पंचायत समिति सलूम्बर के नयागांव में आदिवासियों द्वारा श्रमदान से तालाब का निर्माण

५६. **श्री उदयलाल वर्दिया** (लसाडिया): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सलूम्बर, जिला उदयपुर के नया गांव में आदिवासियों की प्रार्थना पर एक तालाब बनाने का एस्टीमेट बनकर नियमानुसार श्रमदान के आधार पर टैक्निकल स्वीकृति होकर पंचायत समिति, सलूम्बर ने स्थानीय ओवरसियर को मौके पर श्रमदान द्वारा कार्य प्रारम्भ करने का कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो यह योजना कितने रुपयों की है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त आदेश के पालन के फलस्वरूप ओवरसियर ने साइट पर ले-आउट कर दिया और गांव वालों ने मौके पर प्रथम किश्त का कार्य कर रिपोर्ट भी पंचायत समिति को दे दी है और प्रथम किश्त की रकम की मांग की है ?

(३) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति ने अपनी उप-समिति की बैठक में

(श्री उदलाल वर्दिया)

तालाब की रकम (अनुदान) देने से इन्कार कर दिया है एवं बिना किसी आधार के यह कह कर टाल दिया कि नया गांव में दूसरे तालाब की नहर आने वाली है ?

(४) क्या दूसरा तालाब 'मालपुर' की नहर से नया गांव सिचाई करेगा और क्या इसके संबंध में कोई लिखित सूचना सिचाई विभाग ने पंचायत समिति, सलूम्बर को भी दी है ?

(५) यदि नये गांव में उक्त तालाब की नहर नहीं आती है, तो आदिवासियों के श्रम के अनुसार क्या अब भी उक्त तालाब को नियमानुसार अनुदान देकर बंधवाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां। कार्य का तखमीना १८,३९०) रुपये का था।

(२) जी हां।

(३) पंचायत समिति की स्थायी समिति (सिचाई) ने यह निर्णय लिया कि जब तक श्रमदान की रकम जमा नहीं हो जाती तब तक अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह भी जानकारी चाही कि इस क्षेत्र में मालपुर तालाब से नहर आने की योजना है या नहीं।

(४) सिचाई विभाग से स्थायी समिति के निर्णय के बाद दिनांक २८-५-६५ को पंचायत समिति को यह सूचना दी गई है कि मालपुर तालाब से नया गांव में नहर आने की कोई योजना नहीं है।

(५) पंचायत समिति स्वयं इसके लिये सक्षम है।

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २२ सितम्बर, १९६५)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२०७	२	म. पू. ४.१० बजे	म. पू. १०.४ बजे
२११	८	श्री मानकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
,,	११	श्रौ रावतराम	श्री रावतराम
,,	१३	श्री जयनारायण सालोदिय	श्री जयनारायण सालोदिया
२१२	१६	फरक	फर्क
२१४	१४	एडिमट	एड्मिट
,,	अन्तिम से २	स्ट्रेर्लाइजेशन	स्ट्रेलाइजेशन
२१५	१६	स्टेरलाईजेशन	,,
२१७	३	स्टरर्लाइजेशन	,,
२१८	७	श्री गोबिन्दसिंह (पिन्ड़ावा)	श्री गोबिन्दसिंह (पिड़ावा)
२२१	२ व ५	ग्रेडस	ग्रेड्स
२२२	६	इरिगेशन	ईरिगेशन
२५७	शीर्षक	२२ सिम्तबर	२२ सितम्बर
२७०	८	वितरि	वितरित
२७१	१०	चरू	चूरू
,,	२२	क`	के
२७३	शीर्षक	२२ सित बर	२२ सितम्बर
२८१	८	सव ल	सवाल
२८७	१३	गहूं	गेहूं
२८८	१६	की फसल	की मुख्य फसल
२९३	शीर्षक	रतपुर	भरतपुर
३००	१२	उर्पेक्षा	उपेक्षा
३०७	शीर्ष	(श्री ग्रधयक्ष)	(श्री ग्रध्यक्ष)
३०९	ग्रन्तिम	एमजन्सी	एमर्जेन्सी
३१३	१५	बढया	बढ़ाया
३१५	७	कहें	कहेंगे
,,	८	बठो	बैठो
३१६	६	वायोलशन	वायोलेशन
३१७	१६	कोट	कोर्ट
३१८	११	फसला	फैसला
३१९	३	-mm nt	-mm nt

(ख)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३२१	२२	Dear ir	Dear Sir
,,	२३	ere ted	erected
,,	३०	पट्रोल	पैट्रोल
३२३	अन्तिम	ेना	होना
३२७	१	फसला	फैसला
,,	३	मे	में
३२८	२४	म	में
३२९	१६	क	के
,,	२६	ह	है
३३५	अन्तिम	मतलब	मतलब यह
३३८	२०	म्यनिसिपेलिटीज	म्युनिसिपेलिटीज
३४४	अन्तिम से ६	सम्बन्ध मंत्री	सम्बन्ध में मन्त्री
३४८	२२	ह	है
३४९	१६	सकत	सकते
३५२	१६	ी गई	की गई
३५६	अन्तिम	—	नहीं लड़ा ।
३६५	१३	श्री मोहनलाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाडिया
३६७	शीर्ष व ७	,,	,,
३६८	अन्तिम से १०	ह,	है,
३७१	,, २	दती	देती
३७६	,, २	प राजय.	पराजय
४११	अन्तिम से ३	Gover ment	Government
,,	,, २	not fic i n	notification
४१३	क्रमशः २३ व २०	श्री दयाचन्द सोनी	श्री दयाचन्द सोन
व ४१४	१६	श्री उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
४१७	४	ह	है
४१९	९	ी ० (ख)	सूची नं० (ख)
४२५	शीर्षक	राजस्थान नगरपालिका- २२ सितम्बर, १९६५- (संशोधन) विधेयक, १९६५	परिशिष्ट
,,	शीर्ष	(श्री उदलाल वर्दिया)	(श्री उदयलाल वर्दिया)
४२६	स्कम्भ	—	४२६
,,	अन्तिम से ७	सिवाई	सिचाई